खण्ड-349, अंक-6
सोमवार, 11 फाल्गुन, शक संवत् 1902
(2 मार्च, 1981 ई0)

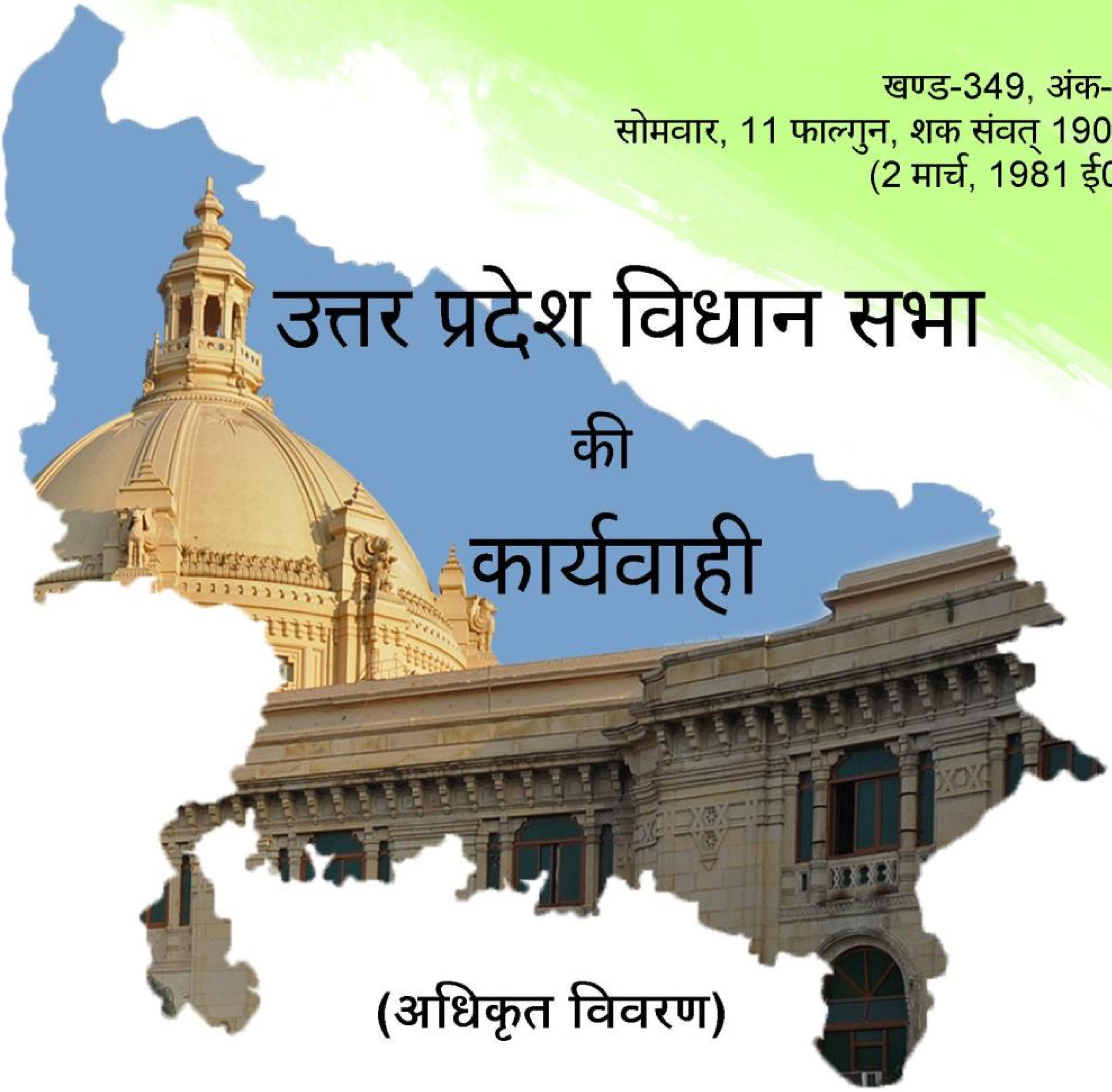

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 349 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	791–794
प्रश्नोत्तर	795–834
ग्राम मेवापुर, थाना कुन्मारगंज, जिला फैजाबाद में अग्निकाण्ड से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	834–835
वाराणसी मन्डल में विद्युत् वितरण टाइम टेबिल के अनुसार विद्युत् सप्लाई न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	835
रानीखेत—मासी तथा पिथौरागढ़—धारचूला मार्ग पर बस दुर्घटनाओं में कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	836
मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के प्रधानाचार्य व अध्यापकों द्वारा पिटाई से दो बच्चों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	836–837
आगरा बर्तन भण्डार की फैक्टरी में बम विस्फोट से दो व्यक्तियों की मृत्यु तथा कई व्यक्तियों के घायल होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	837
श्री मशरूर जाफरी, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध की सूचना	837–838
श्री राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा के मध्य हरिजन कल्याण उपमंत्री के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का "इंडिया टू डे" पत्रिका द्वारा छापे जाने के सम्बन्ध में उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	838–839
कृषि मंत्री श्री बलराम सिंह यादव के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	840
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 (पुरः स्थापित किया गया)	840–841
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	841–845
1981–82 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 49–सहकारिता, अनुदान संख्या 58–खाद्य तथा रसद, अनुदान संख्या 86–सहकारिता विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 98–खाद्य तथा रसद विभाग—पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान 121–सहकारिता विभाग–ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	845–900
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	900

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण संस्थान

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 2 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—283

अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोण्डा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० प्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारती)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भन्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्ण दत्त उर्फ बलराज, श्री (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टंडन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गूड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)

जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनारायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीपू उर्फ दीपनारायण, श्री (आजमगढ़)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्दराम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पार्वती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पान्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूप सिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
मान्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुंशी लाल, श्री (मैनपुरी)

मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, (बुलन्दशहर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रमा कान्त मिश्र, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजमंगल पान्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
रामकृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
राम जी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (उन्नाव)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिज़वानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वसुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढान, कुंवर (गाजियाबाद)
शम्भू नाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिवदर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शौनाथ सिंह, (बिजनौर)

श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सतीश अग्रवाल, श्री (खीरी)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमनलता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्य नाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पान्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकुम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

विधान सभा सचिवालय

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 2 मार्च, 1981

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

पंचायत उद्योग, भोलेपुर जिला फर्रुखाबाद के प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*1--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि पंचायत उद्योग, भोलेपुर जनपद फर्रुखाबाद के प्रबन्धकों के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं की शिकायत 7-7-80 को प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो इन आरोपों के विषय में क्या कोई जांच की गई और उसके क्या परिणाम निकले ?

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

जी हां।

शिकायत की जांच कराई गयी, आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि किस अधिकारी ने जांच किया जैसे पहले उत्तर आया कि पंचायतराज अधिकारी ने जांच किया, तो यदि उन्होंने जांच किया है तो क्या किसी अन्य उच्च अधिकारी से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यह बात सत्य है कि इसकी जांच जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा करायी गयी थी, पहले वाले चूंकि चले गये थे। यदि सम्मानित सदस्य चाहते हैं कि यहां से किसी उच्च अधिकारी से जांच करायी जाय, तो वह करा दी जायेगी।

श्री मित्रसेन--

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों की शिकायतें थीं, तो क्या उन शिकायतकर्ताओं से भी पूछ-तांछ की गयी थी कि नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी--

जिन्होंने शिकायत किया था और जिनके खिलाफ थी, सबसे सम्पर्क किया गया था और जांच करायी गयी गयी थी लेकिन यदि सम्मानित सदस्य जांच से संतुष्ट नहीं हैं, तो उच्च अधिकारी से जांच करा लेंगे जिससे सारे तथ्य सामने आ जायेंगे।

कृषि रक्षा विभाग, जिला देवरिया के लिपिक श्री रामायन प्रसाद के विरुद्ध लिखायी गयी एफ0 आई0 आर0

*2—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला कृषि रक्षा अधिकारी, देवरिया के अधीन कृषि रक्षा अनुभाग के लिपिक श्री रामायन प्रसाद जो भारतीय दंड संहिता के धारा 420, 467 के अन्तर्गत अभियुक्त हैं तथा इसके ही अन्तर्गत 1974-75 में 62 दिन कारावास के बन्दी रहे और जमानत पर हैं, को सेवा में बहाल करके स्थायी घोषित कर दिया गया है तथा साथ ही पदोन्नति भी दे दी गयी है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

श्री रामायन प्रसाद कार्यालय कृषि रक्षा अधिकारी, देवरिया ने दिनांक 10-1-75 को कृषि रक्षा अधिकारी, देवरिया द्वारा भारतीय दण्ड विधान की धारा 420, 409, 467, 468 के अन्तर्गत पुलिस में दर्ज करायी गयी एक एफ0 आई0 आर0 के मामले में स्वयं भयभीत होकर दिनांक 27-1-75 को न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत के लिये आवेदन दिया था परन्तु उस समय जमानत की स्वीकृति न मिलने के कारण उन्हें जेल में रहना पड़ा तथा विलम्बित भी हुये । तत्पश्चात् दिनांक 31-3-75 को उनकी जमानत स्वीकृत हुई और वे दिनांक 1-4-75 को जेल से रिहा हुये । पुलिस विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र में श्री प्रसाद आरोपित नहीं किये गये बल्कि मामले में वे सरकारी गवाह नं0 6 हैं । इस प्रकार श्री प्रसाद मामले में अभियुक्त नहीं हैं ।

श्री प्रसाद को सेवा में बहाल करने तथा यथासमय उन्हें स्थायी करने व पदोन्नति देन की कार्यवाही नियमों के अनुसार ही की गयी है ।

श्री नन्द किशोर सिंह—

अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित पूछना चाहता हूं कि जो यह गबन का मामला है, उसके अन्तर्गत श्री रामायन प्रसाद और कृष्णानन्द लाल दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे, दोनों के ऊपर एक ही धारा लागू थी और उसके बाद से श्री बी0 एन0 सिंह, जो उस समय के अपराध अनुसंधान शाखा के पुलिस अधीक्षक थे, उन्होंने कृषि निदेशक श्री ब्रह्म सिंह को चिट्ठी लिखी थी, उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ था कि दोनों ही व्यक्ति दोषी पाये गये और उस पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय, तो एक तो कृषि निदेशक को लिखा गया, वे गिरफ्तार भी हुए । उस पर जेल से निकलने के बाद उसको तुरन्त बहाल किया गया, सर्विस में कन्फर्म किया गया और उसका प्रमोशन भी किया गया और कृष्णानन्द लाल अभी तक सस्पेन्ड हैं । इसमें जिलाधिकारी देवरिया को भी निर्देश दिये गये थे कि तीन ट्रेजरी आफिसर के खिलाफ कार्यवाही की जाय, तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो अवैधानिक काम पूरा हुआ है, आपका विभाग क्या कृष्णानन्द लाल को बहाल करके उनको नौकरी में लेने का काम करेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, जहां तक एफ0 आई0 आर0 का प्रश्न है इसमें किसी को नष्कासित नहीं किया गया, मगर एफ0 आई0 आर0 दर्ज करने के बाद इन्सपेक्टर

पुलिस ने जो तफतीश की उसमें उन्होंने एक पत्र लिखा जिला कृषि अधिकारी को । उसमें लिखा था कि श्री कृष्णानन्द लाल तथा श्री रामायन प्रसाद दोनों पर शक है कि ये दोनों इस मामले में इनवाल्व हो सकते हैं । तत्पश्चात् पुलिस इन्सपेक्टर जो इन्वेस्टीगेशन कर रहे थे उन्होंने दोनों की राईटिंग ली और उस राइटिंग को राइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा था । उसके बाद राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट यह आयी कि इसमें श्री रामायन प्रसाद का कोई हस्ताक्षर नहीं मिलता है, श्री कृष्णानन्द लाल की राइटिंग मिलती है और इस तरह से इसमें श्री रामायन प्रसाद को मुलजिम नहीं बनाया गया ।

श्री विजय सिंह राना--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और उसके बाद उसको जेल भेज दिया और उसके बाद उसे छोड़ भी दिया तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पुलिस ने ही उसको गिरफ्तार किया और उसके बाद उसको जेल भेज दिया और उसके बाद उसे छोड़ भी दिया, तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो पुलिस ने उसको मुल्जिम बनाया, तो क्या उसके बाद आपने कोई आवश्यकता नहीं समझी या आवश्यकता नहीं अनुभव की कि किसी दूसरी एजेन्सी द्वारा इस मामले की जांच कराई जाय ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, इसमें पुलिस ने उसको मुलजिम नहीं बनाया । इन्सपेक्टर को शक था इसलिये उसे निलम्बित कर दिया गया था परन्तु राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ गयी लिहाजा उसको इम्पलीकेट करने का सवाल ही नहीं उठा ।

श्री हुकम सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर नहीं मिले और उनका अपराध सिद्ध नहीं हुआ, तो किन आधारों पर उन्हें बन्दी बनाकर जेल भेज गया ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, इनको बन्दी बनाकर जेल नहीं भेज गया । इन्होंने कोर्ट में पेश होकर एन्टिसिपेटरी बेल पर अपने को रिहा करा लिया ।

श्री हुकम सिंह--

एन्टिसिपेटरी बेल का तो कोई नियम ही नहीं है, हमारे यहां ।

श्री बलराम सिंह यादव--

एन्टिसिपेटरी बल का मेरे पास लिखकर आया । मैं सूचना दे रहा हूं कि वे कोर्ट में सरेंडर हुए और जेल गए और उसके बाद जब हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आई, तो उन्हें चार्ज शीट से निकाल दिया गया और यह जेल से रिहा हो गए ।

श्री विजय सिंह राना--

इसमें 62 दिन तक जेल में रहने की बात है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब कोई 62 दिन जेल में रह गया और उसके बाद छोड़ दिया गया, तो उसकी किसी अन्य एजेन्सी से जांच कराने की आवश्यकता क्यों नहीं समझी और क्या अब पुनः किसी अन्य एजेन्सी द्वारा जांच के आदेश देंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, स्पष्ट हो गया है कि उनके खिलाफ फर्जी बिल आदि बनाने का मामला था और अब हैन्ड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट से स्थिति स्पष्ट हो गई लिहाजा कोई प्रश्न नहीं पैदा होता जांच कराने का।

श्री नन्द किशोर सिंह--

3 मई, 1975 को विशेष अनुसंधान शाखा कृषि द्वारा साफ-साफ कहा गया है कि उसको निलम्बित किया जाय और उसके बाद कैशियर यही थे और इन्होंने पैसा निकाला है। यह पूरी फाइल है अपराध-अनुसंधान शाखा की आपके पास। उसके जेल से निकलने के बाद तुरन्त आपके अधिकारियों ने उसे कन्फर्म किया और प्रोन्नत किया, इस बात का क्या औचित्य है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, जब वह व्यक्ति निर्दोष है और पुलिस ने उसको निर्दोष साबित कर दिया, उसके खिलाफ कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ, तो उसके प्रमोशन्स को रोकना कोई न्यायसंगत बात नहीं है।

[दिनांक 2 मार्च, 1981 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

कृषि विभाग के कृषि स्नातक, ग्राम सेवक एवं सामुदायिक विकास विभाग के ग्राम सेवकों की ज्येष्ठता सूची

*1--श्री मित्रसेन--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि स्नातक ग्राम सेवकों का समन्वीकरण (मर्जर) ग्राम सेवक सामुदायिक विकास के साथ 1974 में कर दिया गया। कृषि स्नातक ग्राम सेवकों की प्रोन्नति सूची अलग से (कृषि निदेशक के अन्तर्गत) बनाये जाने से सरकार को क्या आपत्ति है ? क्या सरकार कृषि स्नातक ग्राम सेवकों की ज्येष्ठता सूची तथा प्रोन्नति सूची अलग से बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, चूंकि सभी ग्राम सेवकों का कैडर, एक हो गया है अतः पदोन्नति के लिए ग्राम सेवकों की एक ही सम्मिलित सूची बनाना न्याय संगत है।

जी नहीं। कृषि विभाग के कृषि स्नातक ग्राम सेवकों की ज्येष्ठता सूची तथा पदोन्नति सूची अलग से नहीं बनाई जा रही है क्योंकि कृषि स्नातक ग्राम सेवकों को सामुदायिक विभाग के ग्राम सेवकों के संवर्ग में रखे जाने के आदेश 1973 में ही

हो चुके हैं और अब अलग ज्येष्ठता सूची और प्रोन्नति सूची बनाना उचित नहीं होगा ।

श्री मित्रसेन--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब कृषि स्नातक ग्राम सेवकों की योग्यता आपके सामुदायिक ग्राम्य विकास के ग्राम सेवकों से अधिक है और जो ग्राम सेवकों की निर्धारित योग्यता है, उससे यह अधिक योग्य हैं, तो उन्हें उसी योग्यता के आधार पर उनकी ज्येष्ठता और प्रोन्नति अलग से निर्धारित न करने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यह निर्णय 73-74 में लिया गया था । जहां तक योग्यता और क्वालीफिकेशन का सम्बन्ध है, क्वालीफिकेशन एक ही कैडर के लिए अलग-अलग हो सकती हैं जैसे पी0 सी0 एस0 का ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएट लोग आ जाते हैं, पी-एच0 डी0 के लोग आ जाते हैं और बाद में वे यह क्लेम करें, यह बात करें, कि हमारी क्वालीफिकेशन ज्यादा है और इसकी वजह से हमारा यहां अलग कैडर बनाया जाय यह उचित नहीं होगा, न्याय संगत नहीं होगा। जिस वक्त रिक्रूटमेंट हुआ उस वक्त मिनिमम क्वालिफिकेशन इण्टरमीडिएट थी, इनकी भी इण्टरमीडिएट थी और उनकी भी मिनिमम क्वालिफिकेशन इण्टरमीडिएट थी । ज्यादा क्वालिफिकेशन से अलग कैडर बनाया जाय उसका कोई औचित्य नहीं होता ।

श्री मित्रसेन--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं फिर जानना चाहता हूं कि जब मर्जर किया गया, तो क्या इस कारण स्नातक ग्राम सेवकों की कोई मांग थी कि हमको मर्जर कर दिया जाय और क्या यह बात माननीय मंत्री जी को मालूम है कि कृषि स्नातक ग्राम सेवकों में अपनी योग्यता के आधार पर प्रोन्नति के प्रश्न को लेकर कहीं पर असंतोष है और उस असंतोष को लेकर संघर्ष करने को तैयार हो रहे हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, संघर्ष की सूचना तो हमारे दोस्त मित्रसेन जी को होगी । लेकिन जहां तक इस संदर्भ का सवाल है, जो इण्टरमीडिएट पास के लोग लिये जाते हैं, उनको दो साल के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है और जो लोग ग्रेजुएट होते हैं, कृषि में उनको 6 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ती है । इस तरह से डेढ़ साल का फायदा सीनियारिटी में उनको मिल जाता है क्योंकि डेट आफ ज्वाइनिंग से सीनियारिटी होती है । जहां तक उनकी मांग पर एक ही कैडर करने की बात है यह तो विभागों की क्या आवश्यकतायें हैं और किस प्रकार से विभाग के काम सुचारु रूप से चलते हैं इस चीज को ध्यान में रखा जाता है न कि लोगों की व्यक्तिगत इस तरह की मांग पर कि इनका कैडर अलग किया जाय, उनका कैडर अलग किया जाय । इस प्रकार का कोई मामला विचाराधीन नहीं है ।

(प्रश्न संख्या 2--पुकारे जाने पर)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मान्यवर, ये दोनों मामले अलग हो गये हैं एक को तो आप देखते हैं और दूसरे को यादव साहब देखते हैं । कृषि विभाग से सम्बन्धित जो ग्राम सेवक है

उनकी तो प्रोन्नति भी होती है, जहां चाहे उनको फिट कर देते हैं और जो ग्राम विकास वाले हैं उनका ऐसा नहीं है। वे चाहते हैं कि हमारा अलग डाइरेक्टर हो। इस सम्बन्ध में उन्होंने कई बार आन्दोलन भी कर दिये हैं। इसका असर गांवों में भी पड़ता है। यह भी देखा जाता है कि चाहे आपके ग्राम विकास का हो या कृषि से सम्बन्धित हो इनका एक ही प्रकार का काम होता है, इसलिए इनको एक ही में शामिल क्यों नहीं किया जाता या तो कृषि मंत्रालय में ही रहें या ग्राम विकास में ही रहें····

श्री अम्मार रिजवी--

ताकि आपसे सम्पर्क स्थापित होता रहे।

गोरखपुर जिले के ग्राम मिठौरा में पुष्टाहार योजना एवं ग्राम सेवकों के विरुद्ध लिखायी गयी रिपोर्ट

*2--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक मिठौरा में पुष्टाहार या अल्पाहार में वितरण हेतु मिली सामग्री के दुरुपयोग की कितनी शिकायतें शासन को माह अक्तूबर, 1980 से अब तक प्राप्त हुई हैं ? क्या इसी संदर्भ में दिनांक 29-10-80 को स्थानीय थाना महाराजगंज में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दो ग्राम सेवकों एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध रपट भी दर्ज हुई है ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी--

गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड मिठौरा में पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत मिली सामग्री के दुरुपयोग के विषय में अक्तूबर, 1980 से अब तक दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसी संदर्भ में दिनांक 29-10-80 को स्थानीय थाना महाराजगंज में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दो ग्राम सेवकों एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज हुई थी। स्थानीय पुलिस विवेचनोपरान्त आरोप झूठा पाये जाने पर दिनांक 11-12-80 को अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

माननीय अध्यक्ष जी, यह मामला इतना गंभीर है। प्रदेश में पुष्टाहार या अल्पाहार गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं को खिलाने के लिए थी। मान्यवर, मेरे पूरे जनपद में पूर्णरूप से यह चीज न बांट कर लोगों ने सरेआम बाजार में बेंच दी। माननीय मंत्री जी को मालूम होगा जो इसकी मूल रिपोर्ट एफ0 आई0 आर0 थी उसकी पकड़ में मैं भी उस समय था।

मेरे कार्यकर्ताओं ने उस व्यक्ति को बेचते हुये और खरीदते हुये पकड़ा। उसके सम्बन्ध में सारे कागजात दोनों ग्राम सेवकों के पास थे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चूंकि मेरा नाम भी एफ0 आई0 आर0 में दिया हुआ है और इस मामले की जांच एक अनट्रेन्ड नायक द्वारा जो कि कोई तिवारी हैं, उन्होंने की और जो वहां के ग्राम सेवक हैं, वे हाल ही में रिटायर होने वाले हैं, उनकी रिपोर्ट पर इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है और आपको सूचित कर दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस मामले की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराने के लिये तैयार हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय सदस्य की शिकायत पर तुरन्त कार्यवाही की गई और उसके बाद जो तफतीश हुई और उसमें जो तथ्य सामने आये, वे मैंने माननीय सदन के सामने रख दिये । उसमें कोई ऐसी बात महसूस नहीं होती और अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसकी जांच करायी जाय तो मैं यह समझता हूं कि जुडीशियल मजिस्ट्रेट के सामने वह फाइनल रिपोर्ट गई होगी और तभी यह रिपोर्ट आयी होगी । उसके बाद यह उचित मालूम नहीं होता ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर आप सदन की एक कमेटी बना दें और उनको मौके पर भेज दें तो पता चल जायेगा । मान्यवर, ग्राम अरहवा टौला झंझनपुर दरहटा के बीच दस बोरा चावल टायर गाड़ी पर लदा हुआ था और चार बोरा वे वहीं निकट बेचकर जा रहे थे । जो लोग स्वल्पाहार बनाते थे, उनको तीन महीने की मजदूरी नहीं दी गई थी । जब उनको पकड़ा गया , तो उन्होंने बताया कि इसी तीन महीने की मजदूरी देने के लिये 4 बोरा बेचा गया है और उसी आधार पर इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस मामले में सी0 आई0 डी0 द्वारा आप जांच कराने के लिये तैयार हैं ? अन्यथा इसी विषय में मैं अपना त्यागपत्र आपको दे सकता हूं कि आप कृपया इस विषय का सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच करायें अन्यथा मेरा त्याग पत्र स्वीकार करें ।

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, माननीय सदस्य को इतना एक्सट्रीम उठाने की जरूरत नहीं है कि वे इस मामले में त्याग-पत्र दे दें । मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करूंगा कि वे मुझसे सम्पर्क स्थापित कर लें और जो भी विभागीय कार्यवाही वे चाहते हों जिससे वे संतुष्ट हों जांय वह मुझे करने में कोई ऐतराज नहीं है ।

बीज एवं उर्वरकों की ढुलाई हेतु दिया गया ठेका

*3--श्री ऊदल--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 के लिये बीज एवं उर्वरकों की ढुलाई के लिये ठेका जिस वक्त स्वीकृत किया गया उसके बाद जून, 1980 में डीजल की दर में प्रति लीटर 65 पैसे की वृद्धि हो गयी ? यदि हां, तो बढ़ते हुये डीजल के मूल्यों को देखते हुये क्या ठेकेदारों के ढुलाई की दरों में वृद्धि हेतु कोई कार्यवाही की गयी ? क्या यह भी सत्य है कि प्रदेश के कुछ जनपदों में डीजल के भाव में वृद्धि होने के बाद ठेके बढ़े हुये दरों के हिसाब से स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त असमानता को दूर करने का आदेश दे चुकी है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जौनपुर जिले के ग्राम गोसाईगंज-पनौली मार्ग की मरम्मत की मांग

*4--श्री जंगबहादुर--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री जौनपुर जनपद के विकासखंड खुटहन के शाहगंज-खुटहन मार्ग के ग्राम गोसाई गंज से ग्राम पनौली तक ग्रामीण विकास हेतु कच्ची सड़क का

जीर्णोद्धार खाद्यान योजना के अन्तर्गत कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो यह कार्य कब प्रारम्भ किया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद जौनपुर के विकास खंड खुटहन के शाहगंज खुटहन मार्ग के ग्राम गोसाईगंज से पनौली तक कच्ची सड़क के जीर्णोद्धार का कार्य खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत अब तक नहीं लिया गया है और न ऐसा प्रस्ताव सम्बन्धित खंड विकास अधिकारी से प्राप्त हुआ है । अतः कार्य प्रारम्भ करने का प्रश्न ही नही उठता ।

श्री जंग बहादुर--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी का जो उत्तर है, वह मेरे प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । मेरा प्रश्न यह है कि उस क्षेत्र के विकास के लिये यह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है और उसका खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निर्माण करने के लिए हमने कहा था । उत्तर आया है कि विकास खन्ड अधिकारी ने यह नहीं किया है वह सम्भव नहीं है । मैं चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि उस क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुये इस सड़क का निर्माण हो जाय ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश शासन की नीति यह है कि जो पिछड़े हुये क्षेत्र हैं, उनको आगे बढ़ाया जाय और सड़कों से जोड़ा जाय । जो माननीय सदस्य ने कहा है कि उसमें वह जिला शामिल किया जाय । मेरा निवेदन है कि जिला स्तर पर जो कमेटी बनी हुई है उससे वे एक प्रोपोजल हमारे यहां भिजवा दें, तब मैं समझता हूं कि उनको कोई शिकायत नहीं होगी ।

डाक्टर रामकृष्ण उपाध्याय--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जनपद जौनपुर में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जितनी भी सड़कें बनीं हैं, उनमें किसी पर भी कार्य नहीं हो रहा है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अनाज के मामले में सरकार दिवालिया हो गयी है, अभी तक अनाज नहीं भेजा है क्या बात है कि काम शुरू नहीं हो रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, 30 नवम्बर को काम के बदले अनाज की योजना को बन्द किया गया, उसकी जगह में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना आगयी थी । गत योजना में करीब 32 हजार मीट्रिक टन गल्ला बैकलांग का देना था जो कि पिछले दिनों में लोगों ने काम किया था जो कि नहीं दिया जा सका था, तो इस काम को रोक कर यह देखा गया कि कितना गल्ला हमें देना है । उसके बाद राष्ट्रीय विकास योजना आ गयी इसमें साढ़े 74 हजार मीट्रिक टन गल्ला मिला है और इस योजना में काम आरम्भ किया जा रहा है ।

बस्ती जिले के नौरंगिया-जिगिना मार्ग का खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निर्माण

*5--श्री राम आसरे पासवान (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बस्ती के खलीलाबाद क्षेत्र में नौरंगिया, जिगिना मार्ग पर खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जिला परिषद् द्वारा जो

मिट्टी का कार्य सितम्बर, 1979 में कराया गया था उसके मजदूरों को मजदूरी का भुगतान अब तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? भुगतान कब तक कराया जायगा तथा दोषी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

माह सितम्बर तथा अक्तूबर, 1979 में 25,895 रु0 का कार्य कराया गया था जिसमें से 12,523 रु0 का खाद्यान्न मजदूरी में वितरित किया गया । अवशेष 13,372 रु0 का खाद्यान्न इस कारण वितरित नहीं किया जा सका क्योंकि भूतपूर्व अवर अभियन्ता जिला परिषद् ने 7,857 रु0 मूल्य के खाद्यान्न का दुरुपयोग करके खाद्यान्न के चोरी हो जाने की झूठी रिपोर्ट लिखा दी थी ।

विभागीय जांच में भूतपूर्व अवर अभियन्ता को खाद्यान्न के गबन का दोषी पाया गया और उनकी सेवायें 6-8-80 से समाप्त कर दी गयीं ।

मजदूरी को नगद रूप में भुगतान किये जाने की स्वीकृति जिला परिषद् ने मांगी है । उसकी प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है ।

*6--श्री मोती लाल देहलवी तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

[26वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*7--श्री राम आसरे वर्मा--

[25वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

राज्य पुरातत्व विभाग के निदेशक के पद की अर्हतायें

*8--राम स्वरूप वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि डा0 कैलाश चन्द्र ओझा तत्कालीन निदेशक पुरातत्व के जाने के बाद उस पद की अर्हताएं घटा कर लोक सेवा आयोग के पास भेजी गयी ? यदि हां, तो क्यों ? पूर्व निर्धारित अर्हता और घटाई गई अर्हताएं अलग-अलग क्या हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

डा0 कैलाश चन्द्र ओझा को पुरातत्व विभाग में नियुक्ति के पूर्व लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को जो अर्हतायें सूचित की गई थी, वही अर्हतायें निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के पद पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को पुनः सूचित की गई ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग को डा0 कैलाश चन्द्र ओझा के चयन के अवसर पर जो अर्हतायें भेजी गयी थी वह क्या थी ?

श्री अम्मार रिजवी--

भारतीय इतिहास या संस्कृत या पुरातत्व शास्त्र में मास्टर या आनर्स डिग्री किसी उत्तरदायी पद पर फील्ड आर्कोलौजी का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव तथा भारतीय पुरातत्व शास्त्र या इतिहास में किसी विभाग में अनुसंधान ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दूसरे निदेशक के लिए योग्यतायें भेजी गयीं थी क्या उन्हें आर्केलोजी का अनुभव प्राप्त था ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, दूसरे के लिये भी वही अर्हतायें भेजी गयी जो क्वालिफिकेशन ओझा के लिए रखी गयी थी और उन्हीं क्वालिफिकेशन के आधार पर उनका चयन हुआ ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें एक यह था कि 5 साल का अनुभव होना चाहिए आर्केलोजी में यानी उत्खनन का अनुभव तो क्या यह अनुभव था जो दूसरे आदमी का चयन किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी--

मैंने निवेदन किया कि सारी अर्हतायें जो थी सब को पूरा करते थे ।

हरदोई जिले के पंचायत सेवकों का प्रत्यावर्तन

*9--श्री राम लाल वर्मा--

क्या यह सत्य है कि जनपद हरदोई में वर्ष 1978 से सेवारत पंचायत सेवकों को एक माह की नोटिस मास सितम्बर, 1980 में देकर निकाल दिया गया है ? यदि, हां, तो ऐसे पंचायत सेवकों की संख्या कितनी है और उन्हें किस आधार पर सेवाओं से पृथक किया गया है तथा उनमें हरिजनों एवं पिछड़े वर्ग के सदस्यों की संख्या कितनी है ? क्या शासन इनको अन्यत्र नियोजित करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद हरदोई में प्रशिक्षित ग्राम सेवकों की नियुक्ति के फलस्वरूप स्थानापन्न रूप से ग्राम सेवक पद पर पदोन्नत 35 कनिष्ठतम पंचायत सेवकों को प्रत्यावर्तित किया गया जिससे 35 कनिष्ठतम पंचायत सेवकों की सेवा समाप्त करने की स्थिति उत्पन्न हुई । इन 35 पंचायत सेवकों में से 15 पंचायत सेवकों को जनपद में रिक्त अल्पकालीन रिक्तियों के समक्ष समायोजित कर लिया गया और शेष 20 पंचायत सेवकों को अन्य जनपदों में, जहां पद रिक्त थे, स्थानान्तरित कर दिया गया। इस प्रकार किसी भी पंचायत सेवक की सेवा समाप्त नहीं की गई । अतः सेवा से पृथक पंचायत सेवकों में अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के कर्मचारी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को देखते हुए कि जो समस्या हरदोई जनपद में है, उसी से मिलती-जुलती समस्या आपके गृह-स्थान सीतापुर में भी उत्पन्न है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी वहां जिन कर्मचारियों का समायोजन कहीं नहीं हो सका है, तो क्या कोई व्यवस्था वहां भी आप कर रहे हैं नियोजित करने की ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जो भी लिए गये थे, टेम्परेरी शब्द वहां स्पष्ट था। फिर भी जो स्थिति हरदोई में उत्पन्न हुई है, उन्हें तेजी से कहीं न कहीं एडजस्ट किया जा रहा है और साथ ही इस बात का भी प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें कहीं न कहीं मर्ज भी कर दिया जाए ताकि भविष्य में उनके लिए बेरोजगारी की समस्या सामने न आ खड़ी हो।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, विभिन्न जिलों में वहां के जिलाधिकारियों को माननीय मन्त्री जी की चिट्ठी इस मत की गई है कि यदि कोई स्थान रिक्त हो तो इन्हें ले लिया जाय। इस सम्बन्ध में मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि जो चिट्ठियां जिलों में गईं हैं। जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि पंचायत सेवक को कहीं न कहीं समायोजित करने को कहा गया है कहीं कोई समायोजित नहीं किया गया। क्या माननीय मंत्री जी कोई प्रभावी आदेश देंगे कि कहीं कोई भी रिक्ति होती है तो यही लोग लिये जायेंगे, सीतापुर सहित ?

श्री अम्मार रिजवी--

यह प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। जैसे हरदोई में आपने देखा, लोग समायोजित किए गए। मैं इस मामले को फिर से दिखलवा लूंगा माननीय सदस्य ने जो बात कही है, इसकी इंक्वायरी करा लूंगा अगर कहीं कोई जिलाधिकारी अवहेलना किये हैं, तो उससे पूछा जायेगा, इसको सुनिश्चित करेंगे।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय अध्यक्ष जी, यह सीतापुर और हरदोई का ही मामला नहीं है, यह सम्पूर्ण प्रदेश का मामला है। हरदोई से निकाला गया तो झांसी में ले लिया और जो झांसी से निकाला गया है उनको कहां रखेंगे, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन सब कर्मचारियों को कहीं न कहीं काम दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य प्रश्नकर्ता हरदोई के थे मंत्री जी सीतापुर के, यह दोनों तो मिल गये, इसमें पूरे प्रदेश को न मिलाइये, फिर से प्रश्न करिये।

खन्ड विकास अधिकारी, कौड़ीराम, जिला गोरखपुर के विरुद्ध शिकायत-पत्र

*10--श्रीमती गौरी देवी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 16 मई, 1979 को तत्कालीन विधायक श्री रवीन्द्र सिंह द्वारा खन्ड विकास अधिकारी, कौड़ी राम के विरुद्ध लगाये गये आरोप की जांच हेतु आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या एम-252/स्था0-1-79, दिनांक 4 अप्रैल, 1979 द्वारा जिलाधिकारी, गोरखपुर को भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्न में संदर्भित, आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास के पत्रांक एम-252/स्था0-1-79, दिनांक 4 अप्रैल, 1979 द्वारा तत्कालीन विधायक श्री रवीन्द्र सिंह का शिकायती-पत्र दिनांक 19 मार्च, 1979 जांच हेतु जिलाधिकारी, गोरखपुर को भेजा गया था ।

जी हां ।

जिलाधिकारी, गोरखपुर की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार कथित शिकायतें निराधार पाई गईं । अतः अग्रेतर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

शिकायती-पत्र दिनांक 16 मई, 1979 जो बाद में प्राप्त हुआ, जिलाधिकारी को जांच हेतु भेजा गया है । उनकी रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है ।

श्रीमती गौरी देवी--

श्री रवीन्द्र सिंह का शिकायती-पत्र जो दिनांक 19 मार्च, 1979 और 16 मई, 1979 का था जिलाधिकारी, गोरखपुर को कब भेजा गया और अब तक जांच रिपोर्ट न मिलने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो पत्र था उसमें लिखा था 19 मार्च, 1979 को मा0 मंत्री जी 17 मार्च को विकास क्षेत्र कौड़ीराम गोरखपुर के अधिकारियों ने खाद्यान्न योजना का एक बोरा गेहूं श्री विश्वनाथ, निवासी कौड़ीराम के हाथ सौ रुपये में बेचा, मुझे व्यक्तिगत रूप के इस विषय में सूचित किया गया था, घटना गम्भीर है । कृपया शीघ्र जांच करवा कर प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें । हस्ताक्षर : रवीन्द्र सिंह ।

श्री रियासत हुसैन--

16 मई, 1979 को जो पत्र डी0 एम0 को भेजा गया था, तो उस पर कोई प्राइमरी इंक्वायरी, डी0 एम0, गोरखपुर से प्राप्त हुई ? यदि नहीं, तो शासन ने तब से अब तक उस पर कितने बार रिमाइन्डर्स भेजे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मालूम पड़ता है कि माननीय सदस्य यह 19 मार्च, 1979 के सन्दर्भ में पूछ रहे हैं क्योंकि दूसरा पत्र बाद का है, तो उसके सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया कि उसकी जांच हो रही है और एक बोरा खाद्यान्न सम्बन्धी शिकायत सही नहीं पाई गई और दूसरे वाले की जांच हो रही है, उसके बारे में मैं यथासमय माननीय सदस्या को सूचित कर दूंगा ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

यह किस अधिकारी के माध्यम से जांच हो रही है और इतने समय तक यह मामला कहां पड़ा रहा ?

श्री अम्मार रिजवी--

यह जून, 1980 तक जहां मामला पड़ा रहा, उसके बारे में जसवन्त सिंह जी जानते हैं । अब इसकी जांच करवाई जा रही है और पूरी जांच होने पर बता दिया जायेगा ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या प्रश्न में सन्दर्भित बी0डी0ओ0 अब भी वहीं है और उसको रखकर जांच कराई जा रही है ? तथा जो नया पत्र गया है, उसमें और पुराने पत्र में क्या-क्या समता है और उसमें क्या नये आरोप लगाये गये हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जांच जिलाधिकारी द्वारा कराई गई थी और इस समय भी उनके द्वारा कराई जा रही है । जिनके सम्बन्ध में लिखा है, वह अभी वहीं पर हैं गोरखपुर में ह । सत्र के मध्य में नीति के अनुसार उनका ट्रांसफर नहीं किया गया है । यदि प्राईमाफेशी कोई चीज आ जाए तो हटाना ही नहीं कार्यवाही भी की जाती ।

श्री चन्दन सिंह--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप इस जांच से पहले उन बी0 डी0 ओ0 को वहां से हटाने का कष्ट करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

यह सत्र का मध्य है और आप जानते हैं कि इसमें सबके बच्चे आदि पढ़ा करते ह ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

कोई नहीं पढ़ रहा है ।

श्री अम्मार रिजवी--

यदि प्राईमाफेशी कोई चीज निकलती है, तो उसको वहां से अवश्य हटाया जाएगा और आगे कार्यवाही होगी ।

विकास क्षेत्र, जलालपुर मुफ्तीगंज, जिला जौनपुर में उर्वरक पर दी गयी कथित छूट

*11--श्री प्रभुनारायण सिंह (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद जौनपुर में उर्वरकों पर सरकार द्वारा दी गई दस प्रतिशत छूट का लाभ विकास क्षेत्र जलालपुर और मुफ्तीगंज के कृषकों को नहीं दिया गया ? क्या यह भी सत्य है कि इन विकास क्षेत्रों में लघु एवं सीमान्त कृषकों को भी उर्वरक की छूट का लाभ नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रभारी, राजकीय कृषि बीज भण्डार, भटनी जिला देवरिया द्वारा उर्वरक अनुदान का कथित दुरुपयोग

*12--हरिवंश सहाय--

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1979-80 में देवरिया जनपद के भटनी बीज भण्डार प्रभारी द्वारा उर्वरक पर दी गई अनुदान का दुरुपयोग करने तथा स्टेशन पर उर्वरक बिहार भेजते हुए पकड़े जाने के सम्बन्ध में एक सहायक विकास अधिकारी एवं कुछ जन प्रतिनिधियों द्वारा की गई रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों नहीं की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव--

वर्ष 1979-80 में प्रभारी, राजकीय कृषि बीज भंडार भटनी जिला देवरिया द्वारा उर्वरक पर दिये गये अनुदान का दुरुपयोग करने तथा उर्वरक बिहार भेजते हुए पकड़े जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या मंत्री जी बताएंगे कि फासफेटिक खादों पर 20, 25 व 30 प्रतिशत जो छूट, जिन किसानों के नाम देना दिखाया गया है, उसमें से 13 किसान ऐसे हैं, जिनकी मृत्यु वितरण के कई वर्ष--3-4 वर्ष पहले हो चुकी है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इस सप्लीमेंट्री प्रश्न से मूल प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री हरिवंश सहाय--

जरूर है । मेरे प्रश्न को देखें--"क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1979-80 में देवरिया जनपद के भटनी बीज भंडार प्रभारी द्वारा उर्वरक पर दिया गया अनुदान का दुरुपयोग करने तथा स्टेशन पर उर्वरक बिहार भेजते हुए पकड़े जाने के सम्बन्ध में एक सहायक बिकास अधिकारी एवं कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ?" तो आप देखें प्रश्न के दो भाग हैं । एक तो खाद के वितरण और अनुदान के वितरण के बारे में है और दूसरा बिहार भेजे जाने के बारे में है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

न तो अनुदान के दुरुपयोग की कोई शिकायत शासन को प्राप्त हुई है और न बिहार भेजते हुए पकड़े जाने की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ।

श्री हरिवंश सहाय--

फोस्फेटिक खाद जिन लोगों के नाम वितरण किया गया दिखाया है, उनमें से 13 ऐसे आदमी हैं जिनकी मृत्यु 3 साल पहले हो चुकी है और

दूसरे सहायक विकास अधिकारी (एग्रीकल्चर) श्री राय जिनका स्थानान्तरण हो चुका है तथा वहां के नागरिकों ने खाद बिहार भेजते पकड़ा था ? यदि हां, तो क्या माननीय मन्त्री जी इस मामले की जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इस सम्बन्ध में शासन को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है, लेकिन यदि माननीय सदस्य को कोई स्पेसिफिक शिकायत है, तो वे कृपया लिख करके दे दें, मैं उसकी जांच करा लूंगा । जो भी खाद बिहार भेजा जाना बताया है, उसमें कोई सरकारी आदमी नहीं पकड़ा गया । 23 मार्च, 1980 को बनारसी राम चन्दन, जो कि एक प्राइवेट डीलर था, उसको 10 बोरे खाद बिहार भेजते हुए जी0 आर0 पी0 थानाध्यक्ष ने पकड़ा था और उसके खिलाफ कार्यवाही हो रही है । मामला न्यायालय में है ।

श्री हरिवंश सहाय—

क्या वह प्राइवेट आदमी लाइसेन्सी था या वह सरकारी खाद बाहर भेज रहा था ?

श्री बलराम सिंह यादव—

यह प्राइवेट डीलर था, तो लाइसेन्सी जरूर होना चाहिए ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

जो बनारसी पकड़ा गया, तो उसने कोई बयान अवश्य दिया होगा कि यह किसकी खाद थी ? यदि हां, तो वह क्या है ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी ने कहा है कि मामला न्यायालय में है ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

उस पकड़े गये व्यक्ति ने यह अवश्य कहा होगा कि लाइसेन्स मेरे पास तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसका बयान क्या था ?

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी ने कहा है कि मामला न्यायालय में है वे उसके बयान पर क्या कार्यवाही कर सकते हैं जब तक न्यायालय का निर्णय न हो जाय ।

श्री बलराम सिंह यादव—

मैंने निवेदन किया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है । उसका क्या बयान है सब कुछ बताना जनहित में नहीं है ।

जिला उद्यान अधिकारियों का लोक सेवा आयोग द्वारा चयन एवं नियुक्ति

*13--श्री पंचानन--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में तीन जिला उद्यान अधिकारियों का चयन लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया ? क्या शासन द्वारा उनके नियुक्ति के आदेश दिये जाने के बाद भी इन अधिकारियों को निदेशक, उद्यान द्वारा पोस्टिंग आर्डर नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं । केवल दो जिला उद्यान अधिकारियों के पदों पर चयन हुआ ।

जी हां। चूंकि वित्तीय वर्ष समाप्ति पर था और इन अधिकारियों को आहरण एवं वितरण के कार्य का अनुभव नहीं था। अतः उन्हें जिला उद्यान अधिकारी के पद का कार्यभार नहीं दिया गया ।

श्री पंचानन--

यह उत्तर अपने आप में कितना अस्पष्ट है । गत 3 वर्षों में 3 जिला उद्यान अधिकारियों का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया, लेकिन 2 का ही माननीय मंत्री जी कहते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि जब आवश्यकता नहीं थी, तो इन लोगों का चयन ही क्यों कराया गया और क्या किसी अधिकारी को यह अधिकार है कि उनको नियुक्त न किया जाय ?

श्री बलराम सिंह यादव--

नियुक्ति कर दी गई है, पोस्टिंग कर रहे हैं । 2 महीने की डिले इसमें अवश्य हुई है क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक सर्विस कमीशन को देनी पड़ती है, तो अब नियुक्ति करके पोस्टिंग भी कर दी है ।

आगरा जिले के अछनेरा (किरावली) विकास खण्ड में चालू की गई आई0 आर0 डी0 योजना

*14--श्री बदन सिंह (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को जानकारी है कि आगरा जनपद के अछनेरा (किरावली) ब्लाक में अत्यन्त पिछड़ापन होने पर भी आई0 आर0 डी0 योजना चालू नहीं की गई है ? यदि हां, तो सरकार वहां इस योजना को चालू करने का शीघ्र विचार करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

आगरा जनपद के अछनेरा (किरावली) विकास खण्ड मे 2 अक्तूबर, 80 से आई0 आर0 डी0 योजना लागू हो गई ।

*15--श्री रघुवीर सिंह यादव तथा श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा--

[23-2-81 को तारांकित प्रश्न संख्या 13 द्वारा उत्तरित ।]

तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, श्री भगवानदीन, मानधाता, जिला प्रतापगढ़ के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*16--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन को प्रतापगढ़ के तत्कालीन विधायक श्री संगमलाल शुक्ल का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 30-10-79 का तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी (श्री भगवानदीन) मानधाता, प्रतापगढ़ के खिलाफ रुपये के गोलमाल गबन से सम्बन्धित प्राप्त हुआ था जिसका उद्घाटन लेखा परीक्षा की 1979-80 की रिपोर्ट में भी हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रसंगगत शिकायती-पत्र प्राप्त हो ा नहीं पाया गया ।

उप विकास आयुक्त, फैजाबाद के कार्यालय के मण्डलीय लेखादल द्वारा विकास खण्ड मानधाता के सहायक अनुदान सम्बन्धी लेखे का वर्ष 77-78 से नवम्बर, 1979 तक का निरीक्षण किया गया था जिसकी लेखा रिपोर्ट अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास) के कार्यालय में दिनांक 23-1-80 उप विकास आयुक्त के कार्यालय से भेजी गई है । जांच कराई जा रही है । जांच पूर्ण होने पर दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी/प्रधान के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित प्रश्न पूछना चाहता हूं । क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो जांच कराई जा रही है, वह किस अधिकारी द्वारा कराई जा रही है और उसकी जांच कब प्रारम्भ हुई और जांच कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जांच उप विकास आयुक्त कार्यालय को भेजी जा रही है । यह जांच जिला विकास अधिकारी द्वारा कराई जा रही है । हम कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि जांच जल्दी ही पूरी हो जाय ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, यह जो आडिट रिपोर्ट है, जिसकी यह जांच हो रही है, बी0 डी0 ओ0 के खिलाफ आरोप क्या हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, 41 योजनायें थीं, जिनमें से 32 केवल योजनाएं ये पूरी कर सके हैं, जिसका हवाला सम्मानित सदस्य ने दिया था । वह पत्र सभी रजिस्टर में देखा गया, कहीं पर उसका हवाला नहीं मिला । जांच के उपरान्त यह पाया गया कि 41 योजनाओं में से 32 योजनाएं इन्होंने करायी और शेष 9 योजनाएं ये पूरी नहीं कर पाये । अभी यह देखा जा रहा है कि 9 योजनाएं ये क्यों नहीं पूरी कर पाये हैं । अगर उनकी इसे न पूरा करने में गल्ती साबित हो जाती है, तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, इस जांच से यह तो इस्टैब्लिश हो ही गया है कि उस बी0 डी0 ओ0 के खिलाफ आरोप हैं, तो इस बात को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी इस बी0 डी0 ओ0 को सस्पेंड करने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी ।

मान्यवर, ए दम से यह कहना कि वह बी0 डी0 ओ0 दोषी है और उसे सस्पेंड कर दिया जाय, जब तक यह न देख लिया जाय कि उनको जो कार्य दिया गया था, वह किस कारण से पूरा नहीं हो सका था । अगर अभी उनके खिलाफ सस्पेंड की कार्यवाही कर दी जाती है, तो यह इवस्ट्रीम ऐक्शन होगा । यह जांच के उपरान्त ही कार्यवाही की जा सकती है ।

जिला परिषद्, देवरिया के अस्पताल के कर्मचारियों का बकाया वेतन

*17--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला परिषद् के अस्पताल में कार्यरत 21 कर्मचारियों का वेतन 1 मार्च से नवम्बर, 1980 तक का नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जिला परिषद्, देवरिया की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण परिषद् के अस्पतालों में कार्यरत सात डाक्टरों तथा आठ चपरासियों का वेतन 1 मार्च, 1980 से नवम्बर, 1980 तक नहीं दिया गया है ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

मान्यवर, नवम्बर का यह सवाल है, फरवरी खत्म हो गयी, लेकिन आज तक एक पैसा नहीं दिया गया । मान्यवर, 3 पत्र इस सम्बन्ध में दिये गये थे, एक दिनांक 17-5-80 को दूसरा दिनांक 29-9-80 को और तीसरा दिनांक 22-10-80 को दिया गया था और उनमें यह निवेदन किया गया था कि वेतन भुगतान करके सूचित करें । वे लोग भूखों मर रहे हैं । इनकी एक साल की तनख्वाह पड़ी हुई है, क्या स्थिति इनकी होगी ? इसको देखते हुए माननीय मंत्री जी जल्द से जल्द कब तक वेतन दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं उससे पूरा सहमत हूं । 24 जनवरी, 1982 को वहां के कार्यवाहक अधिकारी ने वित्तीय स्थिति ठीक न होने की वजह से इनको हटाने की कार्यवाही करने को कहा, लेकिन उसकी स्वीकृति उन्हें नहीं दी गयी । जहां तक तनख्वाह का सवाल है, उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए । मैं जिलाधिकारी देवरिया से इस बात के लिए कहूंगा कि वह इस सम्बन्ध में शासन से सम्पर्क स्थापित करें और वह अपने वित्तीय साधनों से प्राथमिकता दें और इनको तनख्वाह दिलायें ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, जिला परिषद् देवरिया की वित्तीय स्थिति पूरे प्रदेश में सबसे अच्छी है । उसके पास तमाम दुकानें हैं, क्या इसकी जांच करायेंगे कि उस दुकान

की आमदनी क्या हो रही है ? क्या इन सब बातों की जांच कराकर, जो लोग दोषी पाये जायेंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जैसा कि ऊदल जी ने कहा है, काश ऐसा ही हो । मैं इसकी जांच कराऊंगा और अगर पैसा होते हुये भी जानबूझ कर इन अधिकारियों को तनख्वाह नहीं दी गयी है, तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से दो बातें निकलीं । एक तो यह कि वेतन नहीं दिया और दूसरा यह कि उनको निकालने के लिये वहां से अनुमति मांग ली गयी है । तो मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से इस माननीय सदन के समक्ष स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि क्या शासन उनके लिये वित्तीय सहायता देगी ताकि एक तरफ उनको वेतन मिल सके और दूसरे इस बेरोजगारी के जमाने में जबकि जिलाधिकारी का दायित्व है कि दवा का व्यवस्था करे, इन लोगों को न निकालने के बारे में क्या आश्वासन देंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य ने मेरी बात को पूरी तरह से सुना नहीं । मैंने कहा कि शासन ने अनुमति नहीं दी । जहां तक दूसरे अंश का सम्बन्ध है, मैं इस बात से सहमत हूं कि किसी को महंगाई के जमाने में अलग करना और तनख्वाह न देना उचित बात नहीं है । तो, जो हमारी वित्तीय कठिनाइयां हैं, उनको देखते हुये, किस प्रकार समस्या का समाधान हो सकता है, इस पर विचार कर रहे हैं ।

श्री दलगंजन सिंह--

मान्यवर, यह समस्या केवल देवरिया की नहीं है । यू० पी० के करीब-करीब सभी जिला परिषदों की है । तो क्या सरकार के पास कोई ठोस योजना है जिसके अन्तर्गत जिला परिषद् को नियमित वेतन दिलाने की व्यवस्था की जा सके ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, दलगंजन सिंह जी का मार्गदर्शन हमें हमेशा चाहिये। आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वह कोई ठोस योजना भेज दें ताकि उस पर विचार करके उनको तनख्वाह दे सकें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, ऐसा मामला सामने आया कि शासन ने ऐसी परिस्थितियों में अपने वित्तीय स्रोतों से वेतन दिया है । तो देवरिया की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये क्या इन मुद्दों पर माननीय मन्त्री जी विचार करने की कृपा करेंगे कि देवरिया में वेतन जब नहीं मिल रही है, तो शासन अपने पास से वेतन दिलाने की कोशिश करेगा और बाद में नियमानुसार व्यवस्था होती रहेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, सभी पहलुओं पर विचार होना आवश्यक है । क्योंकि जिला पंचायत ऐक्ट में देखना है कि किस हद तक शासन किस बात के लिये ग्रान्ट दे

सकता है । मान्यवर, शासन इसमें पूरी तरह से तत्पर है और पूरा सतर्क रहकर विचार कर रहा है कि किस प्रकार इन अधिकारियों को तनख्वाह दिलायी जाय । तो, जो माननीय सदस्य ने कहा है, हम विचार कर रहे हैं और कोई न कोई तरीके से इनको करने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सारे प्रदेश की यही स्थिति है और जिला परिषद् के कर्मचारियों को हर साल छुट्टी कर रहे हैं, तो क्या इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुये उन कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी ट्रीट करने का आश्वासन देंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यह प्रश्न अलग और बड़ा विस्तृत है और सम्मानित सदस्य इसको अलग से पूंछ लें ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि सरकार इसको करने के लिए विचार कर रही है । तो मैं जानना चाहता हूं कि आपकी कृपा कब तक होगी और विचार करने की प्रक्रिया कब समाप्त होगी ? क्या आश्वासन माननीय मन्त्री जी देंगे कि अगर वहां कठिनाई होगी, तो उनको वेतन दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो सम्मानित सदस्य ने कहा है कि कब तक करेंगे, तो आखिर हमें देखना होगा कि हमारी वित्तीय स्थिति क्या है । लेकिन देखना होगा कि संसाधन कैसे जुटा सकते हैं ।

श्री हरिवंश सहाय--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि जिस तरह से जिला परिषद्, लखनऊ को 50,000 रुपया की वित्तीय सहायता देकर कर्मचारियों को वेतन दिलाया है, क्या उसी तरह से इनको भी एक लाख रुपया देकर बकाया वेतन दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय सदस्यों के प्रश्नों से दो चीजें उत्पन्न हो गयी हैं । अभी ऊबल जी ने कहा कि वहां की वित्तीय स्थिति अच्छी है और आप कह रहे हैं कि कुछ ग्रान्ट दी जाय । तो दोनों विकल्पकों को देख रहे हैं और जो भी सम्भव होगा, आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

गोरखपुर मण्डल के बीज गोदामों में गबन

*18--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे वर्तमान समय में गोरखपुर मण्डल के किन-किन बीज गोदामों पर 10 हजार से अधिक धन का गबन प्रकाश में आया है और उसके लिए कौन-कौन कर्मचारी उत्तरदायी हैं तथा इन कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, यह प्रश्न हमारा 3 महीने पूर्व का है । और गोरखपुर यहां से लगभग 284 किलो मी0 की दूरी पर ही है और मंत्री जी के स्पेशल मैसेंजर लगभग रोज आते-जाते होंगे । तो यह कहना कि सूचना अभी एकत्र की जा रही है । इसका तो कहने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री बलराम सिंह यादव--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, उसको जरा पढ़ें, जिसमें कोई बात स्पष्ट नहीं की गई है । इन्होंने अपने प्रश्न में कहा है कि "क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान समय में गोरखपुर मण्डल के किन-किन बीज गोदामों पर 10 हजार से अधिक धन का गबन प्रकाश में आया है और उसके लिये कौन-कौन कर्मचारी उत्तरदायी हैं तथा इन कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?"

इसमें न तो स्पष्ट रूप से किसी डिपार्टमेंट का नाम आया और न ही किसी स्पैसिफिक जगह का आया । तो जब तक प्रश्न ही स्पैसिफिक नहीं हो, तब तक सूचना एकत्र करने में कठिनाई होती है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी के पास उनके डिपार्टमेंट से हर तीसरे महीने रिपोर्ट आती होगी, इससे मामला तो इनको मालूम ही होगा । यह जानबूझकर छुपाना चाहते हैं क्योंकि इसमें बहुत से अधिकारी आते हैं, हो सकता है इनके जानने वाले हों, तो अब क्या माननीय मंत्री जी, यह सत्र समाप्त होने से पहले-पहले इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट आ जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

किसी रिपोर्ट को छुपाने और किसी को बचाने का कोई प्रश्न नहीं है । हमारा आश्वासन है कि इस प्रश्न की सूचना इसी सत्र में माननीय सदस्य को दे दी जायेगी ।

*19--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

[25वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

खाद्यान्न योजना के स्थान पर चलाई गई राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना

*20--श्री राजकुमार राय (अनुपस्थित)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि काम के बदले अनाज योजना को आगे चालू रखने का सरकार का इरादा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । काम के बदले अनाज योजना के स्थान पर एक नई योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारम्भ की गई है । प्रश्न नहीं उठता ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग के अधिकारी, श्री ए0 पी0 मिश्रा की बहिन के नाम से पुलिस आफिसर्स मेस, लखनऊ में कमरे का आवंटन

**1 --श्री भीखालाल--.

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि रिसर्च और एनालिसिस विंग का एक अधिकारी एक संदिग्ध महिला के साथ फर्जी नाम से सप्रू मार्ग, लखनऊ पर स्थित पुलिस आफिसर्स मेस के कमरा नं0 8 में 24 से 27 दिसम्बर, 1980 तक ठहरा और खाने व किराये का 120 रुपया 5 पैसा कशमेमो नं0 1680 के द्वारा अदा किया और उसी अधिकारी ने वर्ष 1980 में महानगर, लखनऊ में एक भूखण्ड डेढ़ लाख रुपये का तथा एक भूखण्ड राम सागर मिश्र नगर में 40,000 रुपये का खरीदा ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी जांच कराई और धोखा धड़ी करने के मामले में कोई कार्यवाही की तथा अन्य मामलों में भारत सरकार को कोई रिपोर्ट भेजी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

यह सत्य नहीं है कि कोई अधिकारी किसी संदिग्ध महिला के साथ, फर्जी नाम से सप्रू मार्ग, लखनऊ पर स्थित पुलिस आफिसर्स मेस के कमरा नं0 8 में 24 से 27 दिसम्बर, 1980 तक ठहरा था। वास्तविकता यह है कि उक्त कमरे में अपने दो बच्चों सहित दिनांक 24 से 27 दिसम्बर, 1980 तक एक महिला ठहरी, जो कि एक अधिकारी की बहिन हैं और इस अधिकारी के द्वारा महिला एवम् उसके बच्चे के ठहरने तथा खाने का व्यय 120 रु0 5 पैसा, कैशमेमो संख्या 1680 द्वारा अदा किया गया।

उक्त अधिकारी द्वारा वर्ष 1980 में महानगर, लखनऊ में डेढ़ लाख रुपये की लागत का कोई भूखण्ड नहीं खरीदा गया। राम सागर मिश्र नगर में अवश्य इस अधिकारी द्वारा अपनी बचत से एक भूखण्ड 47,000 रु0 लागत का खरीदा गया है, जिसकी अन्तिम किस्त का भुगतान वर्ष 1980 में किया गया है।

उल्लिखित परिस्थितियों में उक्त अधिकारी के विरुद्ध धोखाधड़ी करने की शिकायत की जांच कराने अथवा भारत सरकार को किसी रिपोर्ट के भेजे जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भीखा लाल--

क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह अधिकारी जिनकी बहिन बताया जाता है ठहराई गई थी उन अधिकारी का नाम क्या था, बहन का नाम क्या था और कमरा किसके नाम एलाट था ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, जिस अधिकारी के सम्बन्ध में हम चर्चा कर रहे हैं उनका नाम ए0 पी0 मिश्रा था और उनकी बहन का नाम क्षमा मिश्रा था कमरा श्री डी0 सी0 मिश्र के नाम एलाट था।

श्री भीखा लाल--

माननीय अध्यक्ष जी यह देखें अधिकारी का नाम ए0 पी0 मिश्र, बहिन का नाम क्षमा मिश्र और कमरा डी0 सी0 मिश्र के नाम एलाट था। मैंने पूछा है कि

कमरा फर्जी नाम से एलाट किया गया, आपने कहा कि यह सत्य नहीं है। क्या इससे मैं यह न समझूं कि जाली नाम से इस अधिकारी डी0 सी0 मिश्रा के नाम एलाट कर महिला को ठहराया ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

माननीय अध्यक्ष जी, यह इसमें किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं है। डी0 सी0 मिश्र, आई0 पी0 एस0, सहायक पुलिस निरीक्षक, पी0 ए0 सी0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सम्बोधित अर्द्धशासकीय पत्र संख्या एल0 एस0 बी0-21 (स्टेट)-80-12943, दिनांक 23-12-80 से अनुरोध किया गया था कि उनके संगठन के श्री डी0 सी0 मिश्रा, आई0 पी0 एस0, सरकारी कार्य हेतु लखनऊ आ रहे हैं अतः उन्हें पी0 ए0 सी0 कान्फ्रेन्स रूम में एक सूट, दिनांक 24-12-80 से 28-12-80 के लिए आबंटित कर दिया जाये।

श्री भोखा लाल--

एक-आध सप्लीमेन्ट्री पूछ लेने दीजिए। यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह महिला जो उक्त अधिकारी की बहिन बतायी जाती हैं यह भारत सरकार के एक्स्टर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में इम्प्लाई हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

ऐसी बात नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक स्कूल में अध्यापिका हैं।

श्री भोखा लाल--

इस "रा" अधिकारी, श्री मिश्रा के बारे में बताया गया है, उन्होंने कोई भू-खण्ड महानगर में नहीं खरीदा है। उन्होंने महानगर में अपनी पत्नी के नाम एक डेढ़ लाख रुपये का भू-खण्ड खरीदा है।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

उनकी पत्नी ने खरीदा है, यह तो प्रश्न में नहीं था, अगर होगा तो पता लगा कर बता दिया जायेगा।

देवरिया जिले के नरायनपुर काण्ड की जांच रिपोर्ट

**2--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री गौरीशंकर भैया, श्रीमती गौरी देवी, श्री राम गोविन्द, श्री रियासत हुसैन, श्री मित्रसेन तथा श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नरायनपुर (देवरिया) में हुई घटना की जांच के सम्बन्ध में जो आयोग बना था उसने अपना प्रतिवेदन शासन को दे दिया है ? यदि हां, तो प्रतिवेदन में उल्लिखित दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही तत्काल की गयी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

अगर कोई रिपोर्ट नहीं आयी है, तो क्या कोई अन्तरिम रिपोर्ट आयी है, या कोई मैजिस्टीरियल जांच की रिपोर्ट आयी है, शासन के पास ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, कोई अन्तरिम रिपोर्ट नहीं आयी है बल्कि पत्र आया है, जिसके द्वारा समय और बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में माननीय न्यायाधीश ने लिखा है कि बहुत काम पूरा हो चुका है थोड़ा सा हिस्सा बाकी है और 2 महीने का समय लगेगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

अगर न्यायिक जाँच की पूरी रिपोर्ट नहीं आयी है, तो क्या कोई मैजिस्टीरियल जांच की रिपोर्ट आयी है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आयी है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि न्यायिक जांच के साथ-साथ मैजिस्टीरियल जांच भी हो रही थी, तो क्या कोई रिपोर्ट आयी है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आयी है ।

श्री मित्रसेन--

इसकी रिपोर्ट शासन के पास कब तक आ जायेगी और दूसरा प्रश्न के लास्ट हिस्से में लिखा गया है कि किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की गयी है, तो किसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

शासन की ओर से प्रयास है कि जल्दी रिपोर्ट आये । जब रिपोर्ट आ जायेगी, प्रस्तुत की जायेगी, वह शीघ्र ही रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

शासन को कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और चूंकि मामला एक केन्द्र के मंत्री का था इसलिए उसे फाइल से गायब कर दिया गया, तो क्या इस प्रश्न पर कोई प्रकाश डालेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

इस सम्बन्ध में दिखवा लेंगे । ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन--

सारे पत्रों में प्रदेश के छपा था नारायणपुर कान्ड के सम्बन्ध में कि रिपोर्ट चोरी हो गयी है, तो अगर यह बात सही नहीं थी, तो मंत्री जी को इसका प्रतिवाद निकलवाना चाहिये था कि यह खबर गलत है कि कोई अन्तरिम रिपोर्ट मैजिस्टीरियल जांच की, शासन के पास भेजी गयी थी ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया कि कोई रिपोर्ट गायब होने की जानकारी उपलब्ध नहीं है । अगर कोई इस तरह की जानकारी माननीय सदस्य कर रहे हैं, तो उसे दिखलवा लेंगे ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, प्रश्न के आखिरी हिस्से में यह पूछा गया है कि प्रतिवेदन में उल्लिखित दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही तत्काल की गई ? तो क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि किन-किन अधिकारियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं पहले दिन ही निवेदन कर चुका हूं कि रिपोर्ट ही नहीं प्राप्त हुई है, तो फिर कार्यवाही कैसे की जा सकती है ।

श्रीमती गौरी देवी--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि एक साल से अधिक समय बीत जाने पर भी अभी आयोग ने नरायनपुर कांड का प्रतिवेदन नहीं दिया । इसमें विलम्ब का कारण किसी केन्द्रीय मंत्री का अनावश्यक हस्तक्षेप है और अधिकारियों, दोषी पुलिस कर्मचारियों को बचाने के लिए शासन द्वारा जानबूझ कर प्रयास किया जा रहा है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

यह बात सत्य से परे है । ऐसी कोई बात सामने नहीं आयी है ।

अतारांकित प्रश्न

बांदा जिले की गांव सभा, घुरेटनपुर के प्रधान के विरुद्ध शिकायती-पत्र

1--श्री ऊदल--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के चित्रकूट विकास खंड के अन्तर्गत ग्राम घुरेटनपुर निवासी श्री राम लाल सिंह ने 23-10-80 को पंचायत राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी) को एक प्रार्थना-पत्र देकर शिकायत की थी कि गांव सभा घुरेटनपुर के प्रधान ने हजारों रुपयों का घोटाला, गोलमाल तथा गबन किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । जांच के आदेश दे दिए गए हैं । जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

फैजाबाद जिले के कतिपय विकास खंडों के अन्तर्गत हरिजन कालोनियों का निर्माण

2--श्री मित्रसेन--

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1879-80 में विकास खंड अमानीगंज, मिल्कीपुर, हरिंग्टनगंज, जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत कितनी हरिजन कालोनियां (बस्तियां) बनाने की स्वीकृति प्रदान हुई थी, कितने का निर्माण कार्य पूरा हुआ, कितना अधूरा है ? क्या यह भी सही है कि बाढ़ के पूर्व बस्तियों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था, किन्तु बाढ़ में उन्हें क्षतिग्रस्त दिखाकर पैसा हड़प लिया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

कृषि विभाग के ग्राम सेवकों एवं कृषि सेवा वर्ग तीन के कर्मचारियों को पदोन्नति

3--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या कृषि मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि शासनादेश सं0 3084, दिनांक 15 जून, 1961 के अनुसार 1-4-78 के पश्चात् कितने ग्राम सेवकों को वर्ग 2 में पदोन्नति दी है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

अधीनस्थ अधिकारियों से कृषि निदेशालय में अब तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 1-4-78 के पश्चात अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2 के पदों पर कृषि विभाग में 42 ग्राम सेवकों को पदोन्नतियां दी जा चुकी हैं ।

4--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-4-78 के बाद अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 के कितने व्यक्तियों को निदेशक, कृषि विभाग ने वर्ग 2 में कुल कितनी पदोन्नतियां की हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

दिनांक 1-4-78 के पश्चात अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 के 722 सदस्यों को वर्ग 2 में पदोन्नतियां की गई हैं ।

5--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[4थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

श्रीमती सुदामी देवी, सहायक विकास अधिकारी, सोहांव, जिला बलिया के वेतन का निर्धारण

6--श्री हरिवंश सहाय--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती सुदामी देवी, सहायक विकास अधिकारी पौष्टिक आहार योजना, सोहांव जिला बलिया का वेतन निर्धारण, सन् 1970 से अब तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो वेतन निर्धारण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, वेतन निर्धारण करने की कार्यवाही की जा रही है जिसके शीघ्र पूर्ण होने की आशा है ।

सचिव, हिन्दी साप्ताहिक, सीतापुर के बिल का भुगतान

7--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको संबोधित प्रश्नकर्त्ता के इस विषयक शिकायती पत्र दिनांक 23-11-80 पर कि सूचना निदेशालय द्वारा

सचिव, हिन्दी साप्ताहिक, सीतापुर के बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

"सचिव" हिन्दी साप्ताहिक, सीतापुर को उनके बीजक के भुगतान (1125·10 रु0 का) बैंक ड्राफ्ट 16 दिसम्बर, 1980 को भेजा जा चुका है ।

विशेष वेतन क्रम के खण्ड विकास अधिकारियों की पदोन्नति एवं पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति का आरक्षण

8--श्री हरिवंश सहाय--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि 13 जनवरी, 1972 को विशेष वेतन-क्रम के कितने स्थायी खण्ड विकास अधिकारी थे तथा इनमें से कितने की पदोन्नति प्रथम श्रेणी में की गई तथा उनमें से कितने कौन-कौन पिछड़ी जाति के हैं ? यदि पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के लोगों की पदोन्नति नहीं की गई तो कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

13 जनवरी, 1978 को विशेष वेतन-क्रम के 72 स्थायी खण्ड विकास अधिकारी थे । इनमें से 42 की पदोन्नति प्रथम श्रेणी में की गई, जिनमें से निम्नांकित 3 अधिकारी पिछड़ी जाति के हैं :--

(1) श्री राम रिछपाल सिंह,

(2) श्री राम पाल सिंह यादव,

(3) श्री रामदीन यादव,

अनुसूचित जाति के उपयुक्त अधिकारियों को पदोन्नति करने के बारे में, नियमानुसार यथा समय विचार किया जायेगा ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के एकीकरण का कथित प्रस्ताव

9--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को सार्वजनिक निर्माण विभाग में मिलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक यह लागू हो जायेगा और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग से एक अलग विभाग है तथा अलग ही रहेगा ।

प्रशासक, गंडक समादेश, गोरखपुर के लेखाकार, श्री त्रयम्बकधर दुबे की पदोन्नति

10—श्री मोहन सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रशासक गण्डक समादेश गोरखपुर के कार्यालय में पहले पदोन्नति की क्या पद्धति थी ? क्या तत्कालीन प्रशासक ने उस पद्धति को बदल दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रशासक, गंडक समादेश, गोरखपुर के कार्यालय में पदोन्नति वरिष्ठता, योग्यता तथा उपयुक्तता के आधार पर की जाती रही है तथा यही पद्धति अब भी लागू है ?

11—श्री मोहन सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रशासक, गण्डक समादेश, गोरखपुर के कार्यालय में श्री त्रयम्बकधर दुबे, सहायक लेखाकार की पदोन्नति की गई थी परन्तु बाद में उन्हें पदावनति किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, श्री त्रयम्बकधर दुबे की पदोन्नति लेखाकार के पद पर की गई थी। उनके द्वारा लेखाकार के पद का कार्यभार ग्रहण न किए जाने के फलस्वरूप पदोन्नति के आदेश निरस्त कर दिए गए। उनकी पदावनति नहीं की गई।

सुबेहा—बाराबंकी सड़क पर रारी नदी के घाटमपुर के पुल का शिलान्यास

12—श्री राम सागर—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सुबेहा से बाराबंकी सड़क वाया देवीगंज पर ग्राम घाटमपुर के पास रारी नदी के पुल का शिलान्यास जिला परिषद् से निर्माण हेतु दिनांक 30-4-78 को हुआ था ? यदि हां, तो अब तक निर्माण पूर्ण न होने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

13—श्रीमती गौरी देवी—

[5वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 53 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जालौन जिले की कालपी नगरपालिका के जूनियर हाई स्कूल का गिराया गया भवन एवं मुआवजा

14—श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जालौन जनपद के कालपी नगरपालिका में जिला परिषद् के जिस जूनियर हाई स्कूल को राष्ट्रीय मार्ग के बीच में आ जाने के कारण गिरा दिया गया था उसका कितना मुआवजा जिला परिषद् को

दिया गया था ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जब जिला परिषद् को भवन निर्माण हेतु मुआवजा दिया जा चुका है फिर अभी भवन न बनाये जाने के क्या कारण हैं तथा भवन कब तक बन जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

भूमि व भवन के मुआवजा हेतु 62,409.00 रुपये की धनराशि की मांग की गई थी। भवन का मुआवजा 44,000.00 रुपये केवल प्राप्त हुआ है जो भवन निर्माण हेतु अपर्याप्त है।

भवन निर्माण की अनुमानित लागत 95,700.00 रु0 होती है। धनाभाव के कारण जिला परिषद् द्वारा भवन निर्माण हेतु भूमि क्रय करना सम्भव नहीं है। जिलाधिकारी से नजूल भूमि की मांग की गई है।

मुआवजा के अतिरिक्त होने वाला 51,700.00 रुपये का व्यय तथा परिषद् के हक में नजूल भूमि का अंकन होने पर ही भवन निर्माण कराया जा सकेगा।

जौनपुर जिले के विकास क्षेत्र, जलालपुर के अन्तर्गत खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

15—श्री प्रभु नारायण सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर में वर्ष 1979–80 में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कितने सम्पर्क मार्ग स्वीकृत हुए थे और उन पर स्वीकृत सम्पर्क मार्गों में से कितने का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया ? उन स्वीकृत सम्पर्क मार्गों में से अपूर्ण या बिलकुल काम न किए गए मार्गों पर भी क्या शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जनपद जौनपुर के विकास खंड जलालपुर में 14 कि0 मी0 लम्बाई की कुल 10 सम्पर्क मार्ग स्वीकृत हुए थे जिसमें से 6 कि0 मी0 लम्बाई के 5 सम्पर्क मार्ग पूर्ण हो गए हैं। शेष स्वीकृत 5 सम्पर्क मार्ग जिनकी लम्बाई 6 कि0 मी0 है, पर कार्य 20 फिट चौड़ी भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्रारम्भ नहीं कराया जा सका।

16—श्री विजय सिंह राना—

[5वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 54 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बांदा जिले के ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा किए गए कार्य

17—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने बांदा जनपद के ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की स्थापना से अब तक इनके कार्यकरण का कोई मूल्यांकन किया है और वर्ष 1978–79, 1979–80 के दौरान ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा किए गए कार्य का व्योरा क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध परिषद् में इस समय 5 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। विश्वविद्यालय के प्रबन्ध परिषद् में 10 सदस्य अब भी हैं, अतः इन सदस्यों के अभाव में विश्वविद्यालय के प्रबन्ध परिषद् के कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो रहा है।

विकास खण्ड, कर्नेलगंज, जिला गोंडा का भवन

21--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र कर्नेलगंज, जिला गोंडा का कार्यालय व क्वार्टर भवन किस स्थान पर कब तक बनाने का विचार रखती है ?

श्री अम्मार रिजवी--

कर्नेलगंज विकास खन्ड कार्यालय भवन नगरपालिका कर्नेलगंज की नजूल भूमि पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन के निकट निर्माण हेतु प्रस्तावित है। भूमि अभी निर्विवाद रूप से उपलब्ध नहीं हो पाई है। जिसे प्राप्त करने की कार्यवाही जारी है। भूमि मिल जाने पर निर्माण शीघ्र कराया जायेगा।

कर्नेलगंज, जिला गोंडा का मन्डी स्थल

22--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कर्नेलगंज, जिला गोंडा का मन्डी स्थल का निर्माण किस स्थान पर कब तक पूरा करने की योजना है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

कर्नेलगंज जिला गोंडा में मन्डी स्थल के स्थान का प्रस्ताव शासन को अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

मऊरानीपुर, जिला झांसी के कमला सागर जलाशय एवं लहचूरा जलाशय की मछलियों का ठेका

23--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या पशुधन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि मऊरानीपुर, जिला झांसी स्थित कमला सागर जलाशय को पांच वर्ष के लिए मत्स्य पालन करने हेतु श्री सलीम भाई, मऊरानीपुर, जिला झांसी ने इस जलाशय को माह सितम्बर, 1980 को 5 वर्ष के लिये 3,35,000 0 में मांग की थी जबकि यह धनराशि पिछले पांच वर्षों की आय से कहीं अधिक है और अन्य लोगों की मांगों से अधिक है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि जलाशय क्षेत्रीय श्री सलीम भाई को नहीं दिया जा रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी--

यह सत्य है कि कमला सागर जलाशय (झांसी) का 5 वर्षों के लिये एक मुश्त आधार पर 3,35,000 रुपये का आफर दिनांक 19-9-80 के प्रार्थना-पत्र द्वारा ठेका स्वीकृत किए जाने हेतु प्राप्त हुआ था। चूंकि यह जलाशय एक वृहद्

है अतः वर्तमान नियमानुसार इस जलाशय की मछलियां निकालने का ठेका प्रति वर्ष एक वर्ष के लिए ही दिया जाता है । इसी कारण श्री सलीम भाई को 5 वर्ष के ठेके का आफर स्वीकृत नहीं किया जा सका । वर्ष 1980-81 का ठेका रायल्टी के आधार पर श्री कल्लू भाई, मऊरानीपुर (झांसी) को टेन्डर द्वारा प्राप्त उनको सर्वोच्च दर पर स्वीकृत किया जा चुका है ।

24--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या पशुधन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मऊरानीपुर, जिला झांसी स्थित लहचूरा जलाशय 50,000 रु0 में आम नीलामी द्वारा माह अगस्त, 1980 में श्री मुहम्मद हुसैन बक्स के नाम सबसे अधिक बोली टूटी थी जो पिछले वर्षों से कहीं अधिक है ? क्या कारण है कि जो अभी तक इसकी मंजूरी नहीं दी गई ?

श्री अम्मार रिजवी--

मऊरानीपुर जिला झांसी स्थित लहचूरा जलाशय मछलियों का वर्ष 1980-81 का ठेका श्री मुहम्मद हुसैन बक्श के नाम 50,000 रु0 की उच्चतम बोली पर स्वीकृत किया जा चुका है ।

कृषि विभाग के प्रथम श्रेणी अधिकारियों की दक्षता रोक

25--श्री ऊदल--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में कितने प्रथम श्रेणी के अफसर हैं जिनकी एफिसियेंसी बार को रोक रखा गया है ? उसको अब तक क्रास न करने का कारण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

कृषि विभाग में कोई प्रथम श्रेणी अधिकारी नहीं है जिसकी दक्षता रोध को रोक रक्खा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पशु चिकित्सालय, रहीमाबाद, लखनऊ के कम्पाउन्डर का रिक्त पद

26--श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी--

क्या पशुधन मंत्री की जानकारी है कि पशु चिकित्सालय रहीमाबाद, लखनऊ में पिछले 4 माह से कम्पाउन्डर का पद खाली पड़ा है जिससे अस्पताल के कार्य तथा जनता की सेवा में भारी व्यवधान पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्यों तथा क्या शीघ्र इसकी व्यवस्था करेंगे ?

श्रीबलराम सिंह यादव--

तैनात किए गये कम्पाउन्डर के अवकाश पर होने के कारण कम्पाउन्डर का पद अगस्त, 1980 से यद्यपि रिक्त चल रहा है, परन्तु उससे अस्पताल तथा जनता की सेवा में व्यवधान नहीं आने दिया जा रहा है ।

उद्यान विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की पदोन्नति

27--श्री झिलमिट राम--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान (हार्टी कल्चर) विभाग में 615से लेकर दिनांक 30-11-80 तक कितने अप्रूव्ड कर्मचारी वर्ग (1) व

अधिकारी श्रेणी दो के प्रोन्नति के पात्र हैं ? उनकी प्रोन्नति न करने का क्या कारण है ? और कितने स्थान श्रेणी दोनों–दो श्रेणी एक में 30–11–80 तक रिक्त हैं ? उन रिक्त स्थानों को प्रोन्नति द्वारा न भरे जाने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

53 कर्मचारी वर्ग–1 के तथा 13 अधिकारी श्रेणी–2 के हैं ।

उपरोक्त में से 41 वर्ग–1 के कर्मचारियों को व 7 श्रेणी–2 के अधिकारियों को प्रोन्नति दी जा चुकी है । शेष को प्रोन्नति पदों की उपलब्धता तथा उनकी अर्हता के अनुसार दी जाएगी । दिनांक 30–11–80 को श्रेणी–1 के दो पद तथा श्रेणी–2 के 6 पद रिक्त हैं । इन पदों पर चुनाव किये जाने का मामला विचाराधीन है ।

गोरखपुर जिले की ग्राम सभा, लोहेपार के ग्राम प्रधान श्री शारदा दुबे के विरुद्ध शिकायती–पत्र

28—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा लोहेपार, ब्लाक सिसवा बाजार, जनपद गोरखपुर के ग्राम प्रधान शारदा दुबे के विरुद्ध भूतपूर्व विधायक, सिसवा क्षेत्र गोरखपुर द्वारा 17–5–79 को लिखित शिकायत गम्भीर अनियमितताओं तथा भारी घपला एवं गांव समाज की सम्पत्ति बेचने के सम्बन्ध में की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त शिकायत की जांच आज तक न कराये जाने का कारण क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर जिले के विकास खंड निचलौल के अन्तर्गत खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत मार्गों का निर्माण

29—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत जन सम्पर्क मार्गों का निर्माण वर्ष 1979–80 में खंड विकास अधिकारी निचलौल, जनपद गोरखपुर द्वारा कराये जाने के संबंध में भूतपूर्व क्षेत्रीय विधायक द्वारा दिनांक 19–6–80 को शिकायती–पत्र शासन को दिया गया था जिसकी जांच न कराये जाने पर निरन्तर स्मरण–पत्र जून, 1980, जुलाई, 1980 में दिया गया । सरकार क्या उपरोक्त शिकायती–पत्र की जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों के निर्माण में की गयी धांधली के लिये खंड विकास अधिकारी, निचलौल, जनपद गोरखपुर के विरुद्ध शिकायत से संबंधित भूतपूर्व विधायक, श्री शारदा प्रसाद जायसवाल के पत्र दिनांक 19–6–80 पर आवश्यक जांच जिलाधिकारी, गोरखपुर से कराई जा रही है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा जांच के परिणाम के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करना सम्भव होगा ।

30—श्री जमुना प्रसाद—

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 32 के अन्तर्गत उत्तरित]

ग्राम पंचायत, दौलतपुर, जिला लखनऊ द्वारा सम्पत्ति की कथित बिक्री एवं पुल निर्माण के लिये दिया गया अनुदान

31--श्री सोमांश प्रकाश--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम दौलतपुर, पोस्ट पहाड़पुर, जिला लखनऊ की ग्राम पंचायत में प्रति वर्ष कितने रुपये की सम्पत्ति बेची जाती है जो सम्पत्ति बेची गयी है उस धनराशि का क्या उपयोग किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी--

गत दो वर्षों से गांव पंचायत द्वारा कोई सम्पत्ति नहीं बेची गयी है ।

अतः ऐसी धनराशि के उपयोग का प्रश्न नहीं उठता ।

32--श्री सोमांश प्रकाश--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम पंचायत दौलतपुर, पोस्ट पहाड़पुर, जिला लखनऊ को जो पुल, पुलिया निर्माण हेतु गत 2 वर्षों से सरकार द्वारा सहायता दी गयी, उसका उपयोग किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

वर्ष 1976-77 में गांव पंचायत, दौलतपुर को पुलिया निर्माण हेतु 1,000 (एक हजार) रु0 का अनुदान दिया गया था किन्तु पुलिया नहीं बनवायी गयी।

गांव पंचायत को धन उपयोग हेतु एक सप्ताह की नोटिस दी गयी है । उपयोग न करने की दशा में धन वापस ले लिया जायेगा ।

तत्कालीन भूमि संरक्षण अधिकारी, श्री आत्माराम, जिला एटा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

33--श्री कुबेर भंडारी, श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री मोहन सिंह--

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि तत्कालीन भूमि संरक्षण अधिकारी, एटा (श्री आत्माराम) द्वारा व्यापक गम्भीर अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच हेतु जनपद एटा के विधायक ने शासन को हुई क्षति लगभग 114 हजार रु0 के प्रति पत्र दिनांक 27-9-80 प्रेषित किया है तथा उक्त अधिकारी के जिला कृषि अधिकारी एटा कार्यालय में किये गये गोलमाल एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध 4 सूत्रीय आधारभूत शिकायत महामंत्री, भ्रष्टाचार उन्मूलन परिषद् उत्तर प्रदेश ने दिनांक 3-10-78 को करके उक्त अधिकारी के आहरण वितरण अधिकार से वंचित करने एवं निलंबित करने की मांग की है ? यदि हां, तो क्या किये गये कार्यवाही से सरकार सदन को अवगत करायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां, श्री आत्मा राम तत्कालीन भूमि संरक्षण अधिकारी, एटा के विरुद्ध शिकायत विषयक जनपद एटा के विधायक का पत्र दिनांक 7-9-80 प्राप्त हुआ था जिसमें उल्लिखित आरोपों की जांच के लिए कृषि निदेशक को आदेश दे दिए गये हैं । उक्त अधिकारी के जिला कृषि अधिकारी के एटा के कार्यकाल से सम्बन्धित महामंत्री भ्रष्टाचार उन्मूलन परिषद् उत्तर प्रदेश का शिकायती-पत्र दिनांक 3-10-78 भी प्राप्त हुआ था, जिसमें श्री आत्मा राम के केवल निलम्बन की मांग की गयी थी

परन्तु आहरण-वितरण से वंचित करने सम्बन्धी कोई उल्लेख नहीं था । इस शिकायती पत्र की जांच करा ली गई है और जांच आख्या का परीक्षण कराया जा रहा है ?

34--श्री हरिवंश सहाय, श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[13-10-80 को अतारांकित प्रश्न संख्या 32 द्वारा उत्तरित]

35--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 60 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हरदोई जिले के सहायक कृषि निरीक्षक, श्री राम सुन्दर सिंह शेरे का प्रतिवेदन

36--श्री कुबेर भंडारी, श्री नन्द किशोर सिंह, श्री मोहन सिंह, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री हरिवंश सहाय--

विधान सभा के दिनांक 22 सितम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधायकों के पत्र दिनांक 29-9-77 एवं 9-7-80 के अनुसार श्री राम सुन्दर सिंह शेरे के प्रतिवेदन दिनांक 28-2-77 में आरोपित 16 आरोपों की अविलम्बनीय जांच करा ली गई तथा क्या श्री शेरे के मामले में संबंधित अधिकारी को शासन द्वारा चार्जशीट प्रेषित की गई है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण आरोपों की जांच रिपोर्ट सरकार सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगरपालिका, टाण्डा, जिला फैजाबाद की मण्डी समिति में आने वाली कृषि उपज

37--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, टांडा, फैजाबय की आबादी कितनी है और इस नगरपालिका में कौन-कौन से कृषि उपज विक्रद हेतु आते हैं तथा इस आवक के अंकन में मंडी समिति का क्या योगदान रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

1980-81 में जनगणना के प्रारम्भिक आंकड़ों के अनुसार नगरपालिका, टाण्डा (फैजाबाद क्षेत्र) की आबादी 54,771 है । इस नगरपालिका में धान, चावल, उर्द, जौ, जना, गेहूं, सरसों, अलसी, गुड़, मक्का, बाजरा, मूंगफली-मिर्चा (पक्का), मूंग, आलू, भूसा, अंडो, चमड़ा, आम, प्याज, महुआ, लकड़ी, केला, संतरा, हल्दी, खरबूज तथा धनियां कृषि उपज विक्रय हेतु आते हैं । इनके आवक का अंकलन मण्डी समिति के 44-ए आंकड़ प्रपत्र पर किया जा रहा है ।

कृषि निदेशालय के सहायक लेखाकार का स्थायीकरण

38--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने ऐसे सहायक लेखाकार कृषि निदेशालय में कार्यरत हैं जो वर्ष 1963 में कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त हैं

और लेखाकार की परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त भी उनका स्थायीकरण विभाग में रिक्त पद होते हुए भी अब तक किसी भी पद पर नहीं हुआ ? क्या यह सही है कि असफल घोषित सहायक लेखाकारों का, जिन्होंने 1-4-74 को तीन वर्ष की लगातार सेवायें पूरी कर ली थीं, का स्थायीकरण कनिष्ठ/ ज्येष्ठ लिपिक के पदों पर किया जा चुका है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

कृषि निदेशालय में केवल एक सहायक लेखाकार ऐसा है, जो वर्ष 1963 में कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त था तथा जिसने वर्ष 1973 में सहायक लेखाकार की परीक्षा उत्तीर्ण की थी परन्तु सहायक लेखाकार के पद पर नियमित हो जाने के फलस्वरूप संवर्ग बदल जाने के कारण उसका लिपिक के पद पर स्थायीकरण नहीं किया जा सका, लेकिन सहायक लेखाकार के पद पर इनको स्थायी करने का मामला विचाराधीन है। असफल घोषित सहायक लेखाकार का, जिन्होंने 1-4-74 को 3 वर्ष की लगातार सेवायें पूरी कर ली थी, का स्थायीकरण कनिष्ठ/ज्येष्ठ लिपिक के मूल पदों पर किया जा चुका है।

कानपुर जिले में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

39--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद कानपुर के अन्तर्गत ब्लाक बिल्हौर, ककवन तथा ब्लाक रसूलाबाद के विभिन्न गांवों की जिन सड़कों पर केवल मिट्टी डालने का कार्य खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सम्पन्न हो चुका है, क्या सरकार उन सड़कों को पक्का बनाने अथवा उन पर खड़ंजा बिछाने के लिए दृढ़ संकल्पित है ? यदि हां, तो उन पर कब से कार्य प्रारम्भ किया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी---

प्रदेश में लगभग 34,000 कि0 मी0 कच्चे मार्ग खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बने हैं। इस वर्ष खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत मार्गों को पक्का कराने एवं खड़जा बिछाने के लिये अब तक 8 करोड़ रुपये की धनराशि दी जा चुकी है जिससे समस्त कच्चे मार्गों को पक्का कराना एवं खड़ंजा बिछाने का कार्य नहीं कराया जा सकता है। कानपुर जनपद को इस कार्य के लिये 15 लाख रु0 की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे मार्गों को पक्का कराने के लिये लगभग इतनी ही और धनराशि आवंटित करने की व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक ब्लाक में कम से कम 2 कि0 मी0 मार्ग पक्का कराये जाने का लक्ष्य है।

बस्ती जिले के बसवारी खाद विक्रय केन्द्र के प्रभारी के विरुद्ध लिखायी गयी रिपोर्ट

40--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में हैसर बाजार विकास क्षेत्र के अन्तर्गत पैकेज स्कीम में खाद बिक्री केन्द्र खुला था ? क्या यह सही है कि उसके प्रभारी ने अनुचित ढंग से सरकारी धन का दुरुपयोग किया है ? यदि हां, तो इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

बिक्री केन्द्र पर्यवेक्षक, बसवारी, गांव विकास क्षेत्र हैसरबाजार, जनपद बस्ती ने अपने कार्यकाल में कतिपय वित्तीय अनियमितायें व शासकीय स्टाक का दुर्विनियोग किया था । विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत शासकीय हानि की वसूली के आदेश जारी कर दिये गये हैं और पुलिस में भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का गठन

41--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपदों में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गठित करने हेतु हाल में ही कोई निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो अभिकरण की रूपरेखा क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं । किन्तु भारत सरकार के निर्देशानुसार एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रत्येक जनपद में "जिला ग्राम्य विकास अभिकरण" का गठन किया गया है । यह अभिकरण रजिस्ट्रेशन आफ सोसाइटीज ऐक्ट के अन्तर्गत एक रजिस्टर्ड सोसाइटी होगी, जिसके अध्यक्ष जिला अधिकारी होंगे । इस अभिकरण के माध्यम से लघु/सीमान्त किसानों, खेतिहर मजदूरों एवं ग्रामीण कारीगरों के लिए कृषि, अल्प सिंचाई, पशु-पालन एवं ग्रामीण उद्योग सम्बन्धी परियोजनायें संस्थागत वित्त तथा अनुदान देकर कार्यान्वित कराई जायेंगी, ताकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के आय के साधन जुटा कर उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जा सके ।

42--श्री राम आसरे वर्मा--

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 61 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

43--श्री हुकम सिंह--

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 66 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

कृषि निदेशालय के कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची

44--श्री हरिवंश सहाय तथा श्री कुबेर भंडारी--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या 1839/143--आर0 ए0-6364-ए0-586-आर0 ए0-4, दिनांक 16-4-67 के द्वारा अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2 के कुछ कर्मचारियों का कृषि निदेशक, उ0 प्र0 के द्वारा प्रकाशित सन् 1973 की ज्येष्ठता सूची में क्रमांक 1340 से 1415 तक था, परन्तु सन् 1979 में कृषि निदेशक के द्वारा प्रकाशित ज्येष्ठता सूची में क्रमांक 1340 से 1415 तक कर्मचारियों के नाम अंकित नहीं हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त कर्मचारियों की ज्येष्ठता क्रम सूची कब तक ठीक कर दी जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

राजकीय कृषि विद्यालय, गोरखपुर के प्रधानाचार्य का स्थानान्तरण

45--श्री नन्द किशोर सिंह, श्री कुबेर भंडारी तथा जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कृषि विद्यालय चरगवां, जनपद गोरखपुर के वर्तमान प्रधानाचार्य के विरुद्ध वर्ष 1980 में शिकायती-पत्र प्राप्त हुये हैं ? क्या यह सही है कि शिकायती आरोपों की निष्पक्ष जांच प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्बन्धित प्रधानाचार्य का स्थानान्तरण हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

प्रधानाचार्य, राजकीय कृषि विद्यालय, गोरखपुर का स्थानान्तरण जनहित में किया गया था, जिसे बाद में माननीय विधायक द्वारा शासन से आग्रह करने पर निरस्त कर दिया गया था ।

46--श्री गोपीनाथ वर्मा--

[6ठे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

दूध डेरी, वाराणसी एवं मेरठ द्वारा दूध का उपार्जन

47--श्री मुख्तार अनीस--

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि आपरेशन फ्लड योजना के तहत बनने वाली मेरठ तथा वाराणसी की दुग्ध डेरी में प्रति दिन कितने दूध की खपत हो सकती है तथा कितना दूध प्राप्त हो रहा है। इन दोनों दुग्ध डेरियों को बनाने में किन-किन संस्थाओं से राज्य सरकार को धन प्राप्त हुआ है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

फीडर बैलेन्सिंग डेरी, मेरठ एवं वाराणसी प्रत्येक की प्रतिदिन की दुग्ध हैण्डलिंग करने की क्षमता एक-एक लाख लीटर है ।

मेरठ डेरी ने वर्ष 1979-80 में 73,180 किग्रा० औसतन दूध प्रतिदिन तथा वर्ष 1980-81 में 1-7-80 से 31-12-80 तक 66,957 किग्रा० औसत दूध प्रतिदिन उपार्जन किया ।

वाराणसी डेरी दिनांक 14-10-80 तक चालू हुई है । इस डेरी ने माह अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, 1980 में क्रमशः 710·22 किग्रा०, 1,638·36 किग्रा० तथा 7,861·61 किग्रा० औसत प्रतिदिन दूध का उपार्जन किया ।

उक्त दोनों डेरियों के बनाने में इण्डियन डेरी कारपोरेशन द्वारा प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन को 2,92,75,700 रुपये तथा राज्य सरकार द्वारा 3,05,05,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई ।

अल्मोड़ा जिले में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना

48--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा में आकाशवाणी केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री अम्मार रिजवी--

अल्मोड़ा में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने की योजना स्वयं भारत सरकार की है । आवश्यकतानुसार भारत सरकार को भूमि की व्यवस्था कराया जा चुकी है। अब आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने की अग्रिम कार्यवाही भारत सरकार द्वारा होनी है ।

साप्ताहिक पत्र, 'संकठा उवाच' जिला खीरी को विज्ञापन न मिलना

49--श्री ऊदल--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के तीसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 135 के उत्तर के संदर्भ में क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विज्ञापन देने के लिए निर्धारित नियमों में साप्ताहिक पत्र संकठा उवाच लखीमपुर खीरी में क्या-क्या कमी है जिसके आधार पर इसे मान्यता नहीं दी गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

साप्ताहिक "संकठा उवाच" खीरी की प्रसार संख्या निर्धारित न्यूनतम प्रसार संख्या (500) से कम है ।

2--कुछ अंकों की पृष्ठ संख्या निर्धारित पृष्ट संख्या (चार) से कम है । समाचार पत्र का आकार भी निर्धारित आकार (37×25 से0 मी0) से कम है तथा पत्र में समाचारों की पुनरावृत्ति हुई है ।

सांस्कृतिक कार्य निदेशालय द्वारा टेलीविजन की खरीद

50--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सांस्कृतिक कार्य निदेशालय में एक टेलीविजन खरीदा गया था ? यदि हां, तो उक्त टेलीविजन कहां पर लगाया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । उक्त टेलीविजन सांस्कृतिक कार्य निदेशालय में लगाया गया है ।

राज्य पुरातत्व संगठन में कर्मचारियों की नियुक्ति एवं कैशबुक तथा कैश चेस्ट की चेकिंग

51--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य पुरातत्व संगठन के अधीन 1 जनवरी, 1980 से 31 अगस्त, 1980 के बीच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कितनी भर्ती की गई, उनमें से कितनी नियुक्तियां चयन समिति और सेवायोजन के माध्यम से की गईं ?

श्री अम्मार रिजवी--

राज्य पुरातत्व संगठन के अधीन 1 जनवरी, 1980 से 31 अगस्त, 1980 के बीच 33 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां की गईं। सभी नियुक्तियां सेवायोजन कार्यालय से पंजीकृत अभ्यर्थियों में से की गईं।

52--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रमेश मालवीय और श्रीमती विद्या मालवीय ने उप सचिव, निदेशक सांस्कृतिक कार्य को निदेशक, पुरातत्व संगठन के कैशबुक/चेस्ट की तुरन्त चेकिंग करने के लिए 5, 6 पत्र दिए थे ? यदि हां, तो क्या चेकिंग की गई थी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

कैशबुक तथा कैश चेस्ट की चेकिंग की गई थी।

राज्य पुरातत्व संगठन द्वारा पुस्तक "भीतर गांव" का कथित प्रकाशन

53---श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या भीतर गांव नामक पुस्तिका जिसके लिए 6 हजार (6,000) रुपया मार्च, 1980 में निदेशक पुरातत्व संगठन द्वारा भुगतान किए गए थे, सचमुच छापी गयी ? यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी---

"भीतर गांव" पुस्तिका उ0 प्र0 राज्य पुरातत्व संगठन द्वारा प्रकाशित न की जा सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम मेवापुर, थाना कुमारगंज, जिला फैजाबाद में अग्निकांड से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से आदरणीय सदन और शासन के संज्ञान में एक भीषण अग्निकांड के लोक महत्व की सूचना देना चाहता हूं। दिनांक 22 फरवरी थाना अन्तर्गत कुमारगंज फैजाबाद के मेवापुर गांव में आग लग जाने से एक महिला की मृत्यु हो गयी और कई जानवरों की जानें गईं तथा 26 घर जल जाने के कारण लाखों की सम्पत्ति नष्ट हुई है।

इस भीषण अग्निकांड से पीड़ित परिवारों के स्त्री, पुरुष, बच्चे तथा जानवरों की जीविका की कठिन समस्या उत्पन्न हो गयी है। पीड़ित परिवार दाने-दाने के मोहताज हो गए हैं और बच्चे-बूढ़े अन्न-वस्त्र के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। शासन एवं प्रशासन से कोई अहेतुक सहायता न मिलने से लोग फाके कर रहे हैं। सूखे और बाढ़ से लोग पूर्व से ही मोहताज थे दूसरी तरफ अभी लोगों के घर में नयी फसल आने भी न पाई कि दैवीय प्रकोप ने उन्हें लाकर भुखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया।

अतएव, इस अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि उक्त गांव में अग्निकांड से पीड़ित परिवारों को जीवन रक्षा हेतु अन्न–वस्त्र वितरित कराया जाय और अधिक के अधिक आर्थिक अहेतुक सहायता प्रदान की जाय तथा मृतक परिवारों के आश्रितों को आर्थिक सहायता दी जाय और सभी प्रकार के सरकारी देय, लगान सिंचाई आदि के कर्ज माफ किए जायं ।

वाराणसी मंडल में विद्युत वितरण टाइम टेबिल के अनुसार विद्युत सप्लाई न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन को बताना चाहता हूं कि इस वक्त जनवरी एवं फरवरी, 1981 के लिए अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत् वितरण मंडल वाराणसी ने जो टाइम टेबिल विद्युत वितरण का बनाया है उसके अनुसार भी विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है ।

30/30 घंटा विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जनवरी माह में 1, 3, 2, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 को दिन में 11 बजे से पांच एवं रात्रि 9 बजे से बारह तथा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 को अर्धरात्रि से 5 बजे प्रातः तक तथा फरवरी के लिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27 मध्य रात्रि से सुबह 5 बजे तक एवं 2, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 22 प्रातः 5 बजे से 11 बजे दिन एवं 9 बजे रात्रि से 12 बजे रात्रि तक । 10, 12, 14, 24, 26, 28 को 11 बजे से 5 बजे तक सरकारी घोषणा के मुताबिक जनवरी, फरवरी में विद्युत की कटौती नहीं हुई है । वाराणसी मंडल के मिर्जापुर एवं वाराणसी में विद्युत आपूर्ति ठीक न होने के कारण से लाखों एकड़ गेहूं की फसल सूख रही है । इसलिए न तो राजकीय नलकूप, न तो प्राइवेट पम्पिंग सेट ही चल पा रहे हैं । किसानों में हाहाकार मचा हुआ है । अधीक्षण अभियन्ता द्वारा टाइम टेबिल के मुताबिक भी सब विद्युत स्टेशन पिंडरा चोलापुर, धनेई आदि किसी भी फीडर पर विद्युत् सप्लाई समय बद्ध नहीं हो रही है किसानों को धोखा दिया जा रहा है और उनसे पूरा पैसा भी लिया जा रहा है। 24, 25 तथा 26, 27, 28 फरवरी को मैंने स्वयं देखा कि 30/30 घंटे विद्युत् सप्लाई नहीं हो पायी । जोनल चीफ वाराणसी, एस० ई० वाराणसी मंडल (श्री माथुर) तथा अधिशासी अभियन्तागण इसके लिए जिम्मेदार हैं । इसलिए इस लोक महत्व के प्रश्न को उठाते हुए सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम 16 घंटे की विद्युत् सप्लाई करे और नोटिस निकालने एवं ठीक वितरण न करने तथा किसानों के साथ अन्याय करने के सम्बन्ध में उपरोक्त अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें।

मान्यवर, इस नोटिस के साथ जनवरी, 1981 और फरवरी, 1981 के टाइम टेबिलों की नत्थी संलग्न हैं ।

---

†छापी नहीं गयी ।

रानीखेत--मासी तथा पिथौरागढ़--धारचूला मार्ग पर बस दुर्घटनाओं में कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जसवंत सिंह बिष्ट--

मान्यवर, 24 फरवरी, 1981 को रानीखेत--जालली--मासी मार्ग में उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की एक बस के गिर जाने से 8 व्यक्तियों की तत्काल मृत्यु हो गई है। 26 फरवरी को पिथौरागढ़--धारचुला मार्ग पर परिवहन विभाग की बस के गिर जाने से 12 व्यक्तियों की जानें गयीं। डेढ़ माह पूर्व भी अल्मोड़ा--पिथौरागढ़ मार्ग पर दो बस दुर्घटनायें हुयीं जिसमें क्रमशः 12-14 जानें गयीं। जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है कि परिवहन विभाग ने लीलैन्ड कम्पनी से यह बसें खरीदी हैं। यह पर्वतीय क्षेत्र के लिए उपयोगी नहीं हैं और इनका ब्रेक भी सही नहीं है। इसके अतिरिक्त लम्बी गाड़ियां भी पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अधिक मोड़ होने के नाते अधिक उपयुक्त नहीं हैं। साथ ही इन क्षेत्रों में प्राइवेट गाड़ी के0एम0ओ0यू0 की बसें भी चलती हैं जो दुर्घटनाग्रस्त कम होती हैं। आपसे अनुरोध है कि इस सदन के माध्यम से सरकार उपरोक्त दुर्घटनाओं की न्यायिक जांच करे तथा मृतक परिवारों को जीवन यापन हेतु आर्थिक मदद करे।

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के प्रधानाचार्य व अध्यापकों द्वारा पिटाई से दो बच्चों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, दिनांक 23-24 जनवरी, 1981 की रात में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के एक प्रवक्ता की पत्नी व उनके घर के नौकर के बीच बड़ी बातचीत होने के कारण श्रीमती के0 के0 गोयल के द्वारा शोर करने पर कालेज के प्रधानाचार्य, अध्यापक एवं कर्मचारी एकत्रित हो गये और उस नौकर श्रीराम ग्वाला को बुरी तरह पीटा। इसके बाद प्रधानाचार्य सहित कई लोग कालेज के मुख्य द्वार के बाहर जाकर चाय की दूकान में सोये दो नौकरों चंद्रभान एवं परदेशी को जबरन घसीट कर इंजीनियरिंग कालेज के परिसर में लाये और उन्हें भी बुरी तरह मारापीटा और पुलिस के सिपाहियों के मना करने पर मारना नहीं बन्द किया।

मारने के कारण उन तीनों लड़कों की हालत बहुत गम्भीर होती जा रही थी तथा लड़के मरने के करीब हो गये हैं तथा झूठी चोरी का मुकदमा कायम कराकर पुलिस के हवाले कर दिया। सुबह 5 बजे पुलिस ने डाक्टरी जांच कराकर मैजिस्ट्रेट के सामने भेज दिया जहां जेल के अधिकारियों ने उन लड़कों की हालत देखते हुए जेल में लेने से इन्कार कर दिया। जेल के डाक्टर की सलाह पर उन्हें लगभग 1 बजे 24 जनवरी, 1981 को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जहां लगभग 15 वर्षीय चन्द्रभान एवं श्रीराम यादव की मृत्यु हो गई है। और एक की हालत अभी गम्भीर बनी है।

मान्यवर, इस तरह मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज के प्रधानाचार्य एवं अध्यापक तथा कर्मचारियों ने निरीह चाय की प्लेट धोने वाले दो गरीब बच्चों की जान ले लिया। इससे स्थानीय जनता में काफी क्षोभ व्याप्त है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसी समय अप्रिय घटना घट सकती है। प्रधानाचार्य, अध्यापकों एवं स्थानीय जनता से संघर्ष हो सकता है। मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज के प्रधानाचार्य/अध्यापक एवं कर्मचारी शहर के इलाकों में आग लगा देने एवं मारने-पीटने की धमकी दे रहे हैं।

अतः इस लोकमहत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर इस सम्पूर्ण मामले की सरकार से गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराने की मांग करते हुए प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोरतम कदम उठाने की मांग करती हूं।

आगरा बर्तन भंडार की फैक्ट्री में बम विस्फोट से दो व्यक्तियों की मृत्यु तथा कई व्यक्तियों के घायल होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय सिंह राना--

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आगरा में मोती कटरा नामक बस्ती में दिनांक 24 फरवरी, 1981 को घटित हुई लोकमहत्व की एक महत्वपूर्ण घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। यहां आगरा बर्तन भंडार का एक गोदाम है, जिसमें वास्तविक रूप से एक फैक्टरी चलती है, जिसमें लगभग 140 कर्मचारी काम करते हैं और फैक्टरी ऐक्ट के अंतर्गत इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। यहां 24 फरवरी को एक बम फटा और दो व्यक्ति घटनास्थल पर ही मर गये तथा चार अन्य लोग भी घायल हुये। सूचनाओं के अनुसार इस भंडार के अंतर्गत 85 बम अभी भी मौजूद हैं और इन बमों के अलावा बहुत बड़ी मात्रा में और ऐसा मेटल का सामान गोदाम में दिखाई दिया है जो कि सेना के डिपो में ही होता है, जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया और जो कभी डिस्पोजल में भी नहीं बेचा जाता है।

यहां 8 बोरी सेना के कारतूस एवं खोल भी बरामद हुये हैं। जिस व्यक्ति के पास न तो फैक्टरी ऐक्ट के अंतर्गत कोई लाइसेंस है न सेना के डिस्पोजल के सामान को खरीदने-बेचने का कोई लाइसेंस है, उसके यहां इतनी बड़ी मात्रा में सेना का सामान कैसे प्राप्त हुआ और उसके प्राप्त करने का क्या आधार है? कब से अवैध व्यापार चल रहा था? इस सम्बन्ध में जितने भी प्रश्न उठाये जायेंगे वह अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस कांड से माननीय सदन व माननीय विधायकों को इस सारे तथ्यों से अवगत कराया जाय और मामले की सारी जांच की जावे तथा पूर्ण रूप से इसका स्पष्टीकरण शासन द्वारा किया जावे। यही नहीं सम्पूर्ण क्षेत्र सेना के घेरे में है और आगरे का सम्पूर्ण जनजीवन बहुत ही त्रस्त व भयभीत है। इसके विरुद्ध अनेक प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं।

श्री मसरूर जाफरी, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

[12 बज कर 15 मिनट से]

श्री अध्यक्ष--

श्री मसरूर जाफरी, सदस्य, विधान सभा को गिरफ्तार किये जाने एवं कारावासित किए जाने की सूचना सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त हुई है।

[श्री अध्यक्ष--]

पुलिस अधीक्षक, गोंडा ने अपने वायरलेस संदेश, दिनांक 28 फरवरी, 1981, जो 2, मार्च 1981 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री मसरूर जाफरी, सदस्य, विधान सभा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत जब उन्होंने जेल भरो आन्दोलन के सम्बन्ध में एस0डी0एम0, उतरौला के न्यायालय पर अपनी गिरफ्तारी दी, दिनांक 28 फरवरी, 1981 को अपराह्न 4 बजे उतरौला में गिरफ्तार किये गए। वे जिला कारागार, गोंडा भेजे जा रहे हैं।

जिला मैजिस्ट्रेट, गोंडा के वायरलेस संदेश, दिनांक 1 मार्च, 1981, जो 2 मार्च, 1981 को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री मसरूर जाफरी, सदस्य, विधान सभा को शान्ति भंग करने की आशंका के कारण, दन्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत 28 फरवरी, 1981 को जिला गोंडा के उतरौला में गिरफ्तार किये गए। श्री मसरूर जाफरी दिनांक 28 फरवरी, 1981 को रात्रि के 9-45 बजे जिला कारागार, गोंडा में रखे गए। श्री मसरूर जाफरी की गिरफ्तारी के आदेश एस0डी0एम0, उतरौला ने दिये।

अधीक्षक, जिला कारागार, गोंडा ने अपने वायरलेस संदेश, दिनांक 1 मार्च, 1981, जो 2 मार्च, 1981 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री मसरूर जाफरी, सदस्य, विधान सभा, एस0 डी0 एम0, उतरौला के आदेशानुसार दन्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत दिनांक 28 फरवरी, 1981 की रात्रि के 9-45 बजे जिला कारागार, गोंडा में दाखिल किये गये।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा के मध्य हरिजन कल्याण उपमन्त्री के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का 'इंडिया टुडे' पत्रिका द्वारा छापे जाने के सम्बन्ध में उठाये गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

[12 बजकर 20 मिनट से]

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य श्री हुकम सिंह ने दिनांक 25 फरवरी, 1981 को एक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है। सूचना में माननीय सदस्य ने दिनांक 29 जनवरी, 1981 को सदन में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान श्री मोहन सिंह द्वारा हरिजन कल्याण उप मंत्री श्री सरजू प्रसाद सरोज पर लगाये गये आरोप तथा श्री सरोज द्वारा दिनांक 30 जनवरी, 1981 को उक्त आरोपों को निराधार एवं सत्य से परे बताने का उल्लेख करते हुए यह कहा है कि उक्त चर्चा को लेकर 'इंडिया टुडे' नामक पाक्षिक अंग्रेजी पत्रिका के पृष्ठ 44 पर एक टिप्पणी प्रकाशित की गई है। माननीय सदस्य का कहना है कि श्री मोहन सिंह एवं श्री सरोज के उक्त भाषणों से सदस्यता के रूप में उनके "विशेष विचारों" (माननीय सदस्य का आशय संभवत: "विशेषाधिकारों" से है) की अवहेलना हुई है एवं सदन का अवमान हुआ है।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह तो विशेषाधिकार समिति को देने लायक प्रश्न है। हमारे ऊपर आक्षेप कर रहे हैं। मैं उसको सिद्ध करूंगा। इसलिए इसको विशेषाधिकार समिति को भेज दें।

श्री अध्यक्ष--

सूचना में शिकायत किसके विरुद्ध है, इसका उल्लेख नहीं है। अतएव यह अस्पष्ट है। दूसरे शिकायत का आधार समाचार-पत्र बनाया गया है, जबकि इस सदन में इस प्रकार के निर्णय हैं कि समाचार-पत्र के आधार पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश विधान सभा में तत्कालीन माननीय सदस्य श्री गुरुदत्त सोलंकी के मामले में दिनांक 4 सितम्बर, 1979 को हुये निर्णय में मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस, हाउस आफ कामन्स तथा इस देश की संसद के दृष्टांतों एवं निर्णयों का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया गया था कि किसी सदस्य के कदाचारपूर्ण आचरण का सम्बन्ध, सदस्य की हैसियत से उसके कर्तव्यों से सम्बन्धित होना आवश्यक है, तभी सदन द्वारा उस पर कार्यवाही की जा सकती है। प्रश्नगत मामले में इस सदन के एक सदस्य के कदाचारपूर्ण आचरण का जो उल्लेख किया गया है वह उसके सदस्य की हैसियत से किसी कर्तव्य से सम्बन्धित नहीं है।

अतएव मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं। //

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, इसी सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर जो श्री सरोज और श्री मोहन सिंह ने वक्तव्य दिया और वह हर व्यक्ति को तो अधिकार यहां आरोप लगाने का है नहीं, केवल सदस्य के रूप में आरोप लगाये गये हैं श्री सरोज पर। तो इसमें एक न एक बात तो सही है ही। इसलिए गंभीर आरोप लगाये गए हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं।

जैसा आपने कहा कि यह सही है या वह सही है तो मैं भेजना चाहूं तो किसके खिलाफ भेजूं ?

श्री मोहन सिंह--

हमारे खिलाफ भेज दें।

श्री अध्यक्ष--

आपने सूचना में किसी के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना की बात नहीं कही है।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, विशेषाधिकार समिति को भेज दें।

श्री अध्यक्ष--

नहीं।

कृषि मंत्री श्री बलराम सिंह यादव के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

[12 बजकर 23 मिनट से]

श्री अध्यक्ष--

श्री किरन पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा ने 19 फरवरी, 1981 को माननीय कृषि मंत्री श्री बलराम सिंह यादव के विरुद्ध सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना दी थी जिसमें उन्होंने कहा है कि 5 फरवरी, 1981 को उनके द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने गेहूं की प्रति क्विन्टल कास्ट आफ प्रोडक्शन 130 रुपये बताया है, परन्तु 1980 के प्रथम सत्र के दौरान कृषि अनुदानों पर बोलते हुये माननीय कृषि मंत्री ने कास्ट आफ प्रोडक्शन 133 रुपये प्रति क्विन्टल बतायी थी। उनका आगे कहना है चूंकि प्रदेश सरकार ने गेहूं का खरीद मूल्य 140 रुपय प्रति क्विन्टल तय करने की संस्तुति की है, इसलिए माननीय मंत्री, श्री बलराम सिंह ने उसको उचित ठहराने के लिए गेहूं का उत्पादन व्यय 130 रुपये प्रति क्विन्टल बताया है जो असत्य और निराधार है तथा सदन को गुमराह करने वाला है।

मैंने उक्त प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय कृषि मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी चाही थी। उन्होंने अपने दिनांक 25 फरवरी, 1981 के पत्र द्वारा मुझे इस संबंध में सूचित किया है कि वर्ष 1980 के प्रथम सत्र में दिनांक 16 सितम्बर, 1980 को कृषि अनुदानों पर बोलते हुये उन्होंने गेहूं की कास्ट आफ प्रोडक्शन का कोई उल्लेख नहीं किया था। उनका कहना है कि उन्होंने उस दिन केवल यह कहा था कि प्रदेश सरकार ने एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को खरीफ के जो सीरियल हैं उनका समर्थन मूल्य 140 रुपया प्रति क्विन्टल निश्चित किये जाने की संस्तुति की है। इस सम्बन्ध में मैंने विधान सभा की 16 सितम्बर, 1980 की कार्यवाही को भी देखा और उससे कृषि मंत्री द्वारा उनके उक्त पत्र में बतायी गयी स्थिति की पुष्टि होती है। अतः मैं इसे सदन के अवमान के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, अलग से मैंने भी एक दिया है। आपके प्रक्रिया सम्बन्धीकरण के 218 पैरा के अन्तर्गत इसको भी इसी समय ले लेते।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न अलग से आया था जिसमें अलग से पूछा गया। इसलिए जब उत्तर आ जायगा तो निर्णय दे दूंगा।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981†

[12 बजकर 25 मिनट]

कृषि राज्य मन्त्री (श्री शिवराज सिंह)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

†दिनांक 3 मार्च, 1981 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शिवराज सिंह--

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं ।

कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

[12 बजकर 26 मिनट]

श्री अध्यक्ष--

कार्यस्थगन प्रस्ताव की कुल चार सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से एक सूचना श्री मोहन सिंह की है, जिसमें गोरखपुर व लखनऊ से प्रकाशित होने वाले दैनिक जागरण के सभी पत्रकार तथा गैर पत्रकार कर्मचारियों के अनिश्चिकालीन हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर जिला बलिया में बिहार पुलिस द्वारा बराबर गोली वर्षा करने तथा बन्धक बनाये गये 16 कर्मचारियों को अभी तक न छुड़ा सकने से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में है ।

तीसरी सूचना श्री प्रदीप कुमार यादव की, तेल टैंकर ड्राइवरों की पिछले तीन दिन से चल रही अनिश्चित कालीन हड़ताल के कारण प्रदेश में उत्पन्न गम्भीर तेल संकट के विषय में है ।

चौथी सूचना, श्री हरिबंश सहाय एवं श्री नन्द किशोर सिंह की डी0 ए0 वी0 कालेज, कानपुर के छात्र नेता श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान को 26 फरवरी, 1981 को दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दिये जाने से व्याप्त असंतोष के बारे में है ।

यह सूचनायें 2, 3 और 4 हमने अस्वीकृत कर दी हैं ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, थोड़ा सा कुछ कहने का मौका तो दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

किस पर कहना चाहते हैं ?

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, दैनिक जागरण वाले पर, वहां चार दिन से हड़ताल चल रही है।

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप बैठ जायं । पहले आप कह सकते हैं । मैं एक निवेदन और करूंगा कि आप सूक्ष्म में ही कहें ।

* श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं कल गोरखपुर में था, पिछले चार दिनों से वहां पत्रकारों और गैर पत्रकार कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। पालेकर एवार्ड की जो घोषणा की गयी थी, वो भी अभी तक नहीं दिया गया है। हम लोग जो यहां पर हंगामा करते हैं और शासन की ओर से जो आश्वासन दिया जाता है पर उसका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं होता। मान्यवर, वहां पर भिंड और मुरैना के इलाके के लोगों को बुला कर कर्मचारियों को, पत्रकारों को लाठी से पीटा जा रहा है लेकिन वहां जो जस्टिस त्रिवेदी साहब हैं, डाकूमेन्ट में हेर-फेर कर देते हैं। पर पत्रकारों को पूरे हेर-फेर का पता मिल गया कि पूरी इमदाद की जा रही है। वहां पर जो श्रम आयुक्त हैं उनके लिये किंवदन्ती है कि वहां पर जो हड़ताल चल रही है तो वहां पर मिल मालिकों की और सरकार की सांठ-गांठ है। अखबारों में इन मिल मालिकों और सरकार के सांठ-गांठ की बात को निकाला तो पत्रकारों को धमकाया जा रहा है। यह लोक महत्व का प्रश्न है। मान्यवर, इस पर दो घंटे की चर्चा करा दीजिए।

* राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अभी श्री मोहन सिंह जी ने जो बात कही उसके साथ ही इसमें पूंजीपति हैं, केवल उन्हीं का दोष नहीं है उसके साथ ही साथ शासन का पूरा सहयोग है। उस समय माननीय श्रम मंत्री ने कहा था कि पालेकर एवार्ड लागू होगा, इसके लिए जो-जो करना आवश्यक है किया जायेगा, लेकिन सरकार ने बचन देकर नहीं किया, वहां पर अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, मामला शासन के पास है लेकिन शासन कान में तेल डाल कर बैठी है इसी मामले के सन्दर्भ में मान्यवर, यह है :

There is overwhelming proof that the original, of which paper 78-D is photostat, was subsequently removed from the records of this Tribunal by some one on behalf of the employer and it was replaced and supplanted by a forgen and fabricated document.... There is strong internal evidence which leads to this conclusion.

उन्होंने कहा--

It is however, a sorry state of affairs that this Tribunal cannot make a complaint about this forgery and fabrication to a Magistrate under section 340 of the Code of Criminal Procedure.

लेकिन अब इसके बाद उस न्यायाधीश ने अपनी चिन्ता शासन के पास भेजा, उन्होंने कहा

This is a serious lacuna both in the Industrial Dispute Act as well as in the U. P. Industrial Act, 1947. It is for the State Government to take early remedial steps by suitable amendments in these two statutes.

इस तरह से विशिष्ट पूंजीपति वर्ग पत्रकारों का और वहां के कर्मचारियों का दमन कर रहा है और शासन उनका समर्थन कर रहा है। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस पर चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष--

श्री ओझा जी, जो कुछ कहना हो उसे संक्षेप में कहिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं तो संक्षेप में ही कहता हूं और हमेशा अलग बात कहता हूं। मान्यवर, मैं 28 तारीख को जागरण कार्यालय में गया। वहां की स्थिति यह थी कि जैसा कहा गया उनकी मुख्य मांग पालेकर एवार्ड की सिफारिशों को लागू करना था। वहां श्रमिक यूनियन, पत्रकार संघ तथा डी0 एल0 सी0 के जो प्रेसीडेन्ट हैं उनके बीच यह तय हुआ कि सारे मामलों का निस्तारण 3 तारीख को होगा। इससे पहले 26 तारीख को 4 सब एडीटर्स को ड्यूटी चार्ट से डिलेट कर दिया। मान्यवर, यह मेरी निश्चित जानकारी है। वहां पर वाच इनवार्ड में जो 5 आदमी हैं उनमें से एक शातिर क्रिमिनल है। मैंने कई बार कोशिश किया कि मैं डी0 एल0 सी0 प्रेसीडेन्ट से सम्पर्क स्थापित करूं, उन्होंने फोन पर एप्वाइंटमेन्ट भी कर लिया लेकिन समय पर नहीं मिला। मान्यवर, स्थिति इतनी विस्फोटक हो गयी है कि इस पर वक्तव्य होना ही चाहिये। गोरखपुर में 42 ट्रेड यूनियनों की वहां पर बैठक थी, पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी के भी कुछ सदस्य वहां पर मौजूद थे। मेरी निश्चित जानकारी है कि कल उन्होंने जो निर्णय लिया है यदि तत्काल प्रसारण मंत्री कोई वक्तव्य नहीं देते हैं तो पूरे गोरखपुर के कर्मचारी हड़ताल पर चले जायेंगे और उनकी सारी जिम्मेदारी शासन पर होगी।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जाइये। आप कृपया बैठें। माननीय ओझा जी बैठें। क्या लाभ है मेरे बार-बार कहने का कि आप बैठें जब आप सुनते ही नहीं ?

श्री ऊदल—

पालेकर के अलावा किसी भी आयोग को अगर सरकार नियुक्त करती है और उसमें जितनी बातें कही जाती हैं उनकी जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है। इस समय गोरखपुर की स्थिति असह्य हो गई है, आप इसको स्वीकार कर लें।

श्री विजय सिंह राना—

लेखन भाषण और प्रकाशन की स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, साधारण जनता का भी अधिकार है समाचार-पत्र ही माध्यम हैं लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस समय यह पूंजीपतियों के नियंत्रण में है। मैं यह कहना चाहता हूं कि समाचार-पत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के माध्यम से ही सामान्य जनता को लेखन एवं प्रकाशन का अधिकार सुरक्षित रहता है। पूंजीपति उन कर्मचारियों को इस तरह से दबा देंगे तो लोक भाषण, प्रकाशन, स्वतंत्रता का मूल अधिकार जो हमारे पास है वहीं दब जायगा। अतः अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा लोक महत्व का प्रश्न है जिसके ऊपर सदन के अन्दर चर्चा करना आवश्यक है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, मैं भी 28 फरवरी को जब वहां पहुंचा... ।

श्री अध्यक्ष—

आप और ओझा जी साथ ही साथ पहुंचे थे।

(हंसी)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

कल मैं घर से वापस आया तब भी वहां गया था । इस बीच बराव में वहां प्रेस क्लब कानपुर के जो अध्यक्ष हैं वह और दैनिक जागरण के जो कर्मचारियों के संयुक्त मंत्री हैं वह भी कल वहां पहुंचे थे नरेन्द्र मोहन की सूचना पर । नरेन्द्र मोहन वहां स्वयं नहीं गये । गुण्डे और बदमाश काफी ले जाकर जबरदस्ती प्रेस के घर में घुसना चाहते थे। पी0 ए0 सी0 का वहां सख्त पहरा है। अगर शासन हस्तक्षेप न करे तो प्रेस में जबरदस्ती घुसने की आशंका है । किसी भी तरह से उनकी मांगें मानी जाय । उनकी 12 मांगें हैं । इसके नाते पूरा जिला प्रशासन वहां पर अस्त व्यस्त है । मैं माननीय प्रसारण मंत्री जी से चाहता हूं कि इस पर शीघ्र कार्यवाही करें । ।

*सूचना मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

जहां तक पालेकर एवार्ड का सम्बन्ध है, माननीय मोहन सिंह जी सहमत होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार सब से पहली स्टेट है जिसने पालेकर एवार्ड को इनफोर्स करने की बात कही है, इसे कार्यान्वित करने की बात कही है । इस सिलसिले में माननीय मुख्य मंत्री जी का भी वक्तव्य आ चुका है कि जो लोग इसके कार्यान्वयन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करते हैं चाहे वह कोई अखबार का मालिक हो उनसे किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जायगा और वर्किंग जरनैलिस्ट का साथ शासन देगा । यह बात स्पष्ट रूप से कही जा चुकी है । जहां तक गोरखपुर की घटना का सवाल है, इस सम्बन्ध में आपके द्वारा मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन को किसी प्रकार की तरफदारी करने का सवाल पैदा नहीं होता है । बिल्कुल निष्पक्ष जो कुछ भी कार्यवाही होगी वह की जायगी । यहां पर कुछ बात कही गयी है कि अधिकारी किसी के असर में हैं । इस मामले की जांच कराई जायगी । किसी को इस बात का अधिकार नहीं है कि जिस नीति की घोषणा मुख्य मंत्री जी द्वारा की जा चुकी है उसका खिलवाड़ किया जाय । कोई भी चाहे वह कितना ही ऊंचा अखबार का मालिक क्यों न हो, इसमें किसी प्रकार का अमेन्डमेन्ट नहीं कर सकता है ।

श्री रियासत हुसैन--

पालेकर एवार्ड को इम्प्लीमेन्ट करने का मतलब सिर्फ आप यह समझते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने समय-समय पर स्टेटमेन्ट दिया है । अगर सरकार का मतलब यही है और जिसकी वजह से गोरखपुर में उपद्रव हो रहा है, एवार्ड को इम्प्लीमेन्ट नहीं कराया जा रहा है, जनता पार्टी सदन का त्याग करती है ।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि गोरखपुर के जागरण के सम्बन्ध में वर्तमान सरकार क्या करने जा रही है . . ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये... ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

अध्यक्ष जी... ।

श्री अध्यक्ष--

आप दोनों माननीय सदस्य बैठ जायें । मैंने कार्य स्थगन के प्रस्ताव की ग्राह्यता के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को सुनना चाहा और उसमें विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को मैंने सुना । ग्राह्यता के सम्बन्ध में जो बातें कही गयीं उससे अधिक बात घटना पर नहीं कही जा सकती और शासन को पालेकर एवार्ड के सम्बन्ध में और शासन ने उसके बारे में अपनी क्या नीति घोषित की थी उसके सम्बन्ध में कही । इस परिस्थिति में मैं चाहूंगा कि शासन इस सम्बन्ध में अपना एक पूरा वक्तव्य दे और उस वक्तव्य के पश्चात् जो आवश्यक होगा, उस पर कार्यवाही की जायेगी । कार्य-स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है ।

1981-82 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 49--सहकारिता, अनुदान संख्या 58--खाद्य तथा रसद, अनुदान संख्या 86--सहकारिता विभाग पूंजीगत-परिव्यय, अनुदान संख्या 98--खाद्य तथा रसद विभाग-पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 121--सहकारिता विभागऋण और अग्रिम

सहकारिता मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49--सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,42,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58--खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकान के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,36,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 86--सहकारिता विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,04,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

[श्री बासुदेव सिंह--]

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 98--खाद्य तथा रसद विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,11,20,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 121--सहकारिता विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों के चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,10,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, वर्ष 1980-81 आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की दृष्टि से अच्छा वर्ष नहीं रहा और सब माननीय सदस्य इस बात से अवगत होंगे कि इस वर्ष हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और गेहूं की रबी की और खरीफ की दोनों फसलें गत वर्ष निराशाजनक रहीं और उसकी परिणाम हमारी वितरण प्रणाली पर निश्चित ही पड़ा। गत वर्ष 112 लाख टन लक्ष्य रखा गया था और 90 लख टन से अधिक नहीं हुआ। वर्ष 1979-80 के 18 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद के विपरीत वर्ष 1980 में खरीद केवल 5.20 लाख टन रही और इसी कारण गेहूं के दाम 2 25 पैसे और 2.50 पैसे किलो तक पहुंच गये। जो भारतीय खाद्य निगम के द्वारा गेहूं मिला उसकी मात्रा में भी भारी कटौती हुई और यह बात माननीय सदस्यों के समक्ष में आ चुकी है। यह गेहूं की कमी अगले महीनों में सरप्लस, आधिक्य, प्रचुरता, बाहुल्यता में परिवर्तित हो जायेगी। मैं समझता हूं कि जो प्राप्त सूचकांक हैं उनके अनुसार फसल अच्छी होगी और इसमें कोई शक नहीं कि इस अच्छी फसल होने के कई कारण हैं। एक तो इस वर्ष सिंचाई की उपलब्धता भी अन्य वर्षों से अच्छी थी माननीय सदस्य जानते होंगे कि गंगा-जमुना की बीच जो सिंचन प्रणाली बहुत दिनों से विकसित थी लेकिन गंगा-सरयू के अन्तर्गत जो इन वर्षों में शारदा सहायक परियोजना प्रारम्भ हुई वह काफी सहायक रही और खाद्यान्न और सिंचाई का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है।

(व्यवधान)

सहकारिता का, बीजों के बांटने और खाद के बांटने में विशेष हाथ है इसलिए सहकारिता मिल कर काम करने का एक हुनर है। कोई वाटर टाइट कम्पार्टमेन्ट नहीं बल्कि एक सम्पूर्ण दर्शन जैसे समाजवाद एक सम्पूर्ण दर्शन है। समाजवाद की जो बुनियाद है वह सहकारिता से आरम्भ होती है।

(व्यवधान)

उस वक्त जब मैं आपकी पार्टी में था ऐसा कहने के सामर्थ्य के अवसर से सर्वथा वंचित रहा।

अब प्रश्न दलहन और तिलहन का है उसकी बहुत कमी है। अभी 8 लाख टन की आवश्यकता है कहीं-कहीं पर इसमें सुधार के आभास मिले हैं। आज चना प्रचुर मात्रा में नहीं है और अरहर, मसूर या अन्य दालों की भी काफी कमी है। इनके बफर स्टाक बनाने की बात है। लेकिन आवश्यकता इस बात की

नहीं है कि बफर स्टाक बनाया जाय आवश्यकता इस बात की है बल्कि कि इस क्षेत्र में शोध और अनुसंधान करके इसके उत्पादन को बढ़ाया जाय। उस ओर रचनात्मक कार्य हो जिसके लिए इस ओर सरकार सजग है। अगर दालों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता नहीं है तो बफर स्टाक बनेगा। तो किसान को राहत देने के बजाय उस पर बोझा डालना किसी दृष्टि से उचित नहीं होगा और दाम बढ़ जायेंगे इस कमी को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक और अनुसंधानात्मक उपाय सोचे जाने चाहिये और उससे मुझे आशा है कि उत्पादन बढ़ेगा।

अब चीनी के बारे में कहना चाहता हूं। गेहूं के समान ही चीनी की भी स्थिति रही है। चीनी में भी तो जो हमको मिलती थी, वह कम मात्रा में मिली। लेकिन फिर भी जन वितरण प्रणाली के तहद चीनी की समस्या किसी हद तक हल हुई है और उसके सम्बन्ध में मैं सदन को निवेदित करूंगा। आप जानते हैं कि हमने सदन के सामने वक्तव्य दिया था। इस बारे में लोग हमसे बराबर पूछते थे, सो मैं सदन की मर्यादा के विरुद्ध उस पर कोई बाहर वक्तव्य नहीं देना चाहता था। इसी कारण मैंने सदन के समक्ष खांडसारी के बारे में एक वक्तव्य दिया था। खांडसारी पर 50 प्रतिशत हमने लेवी लगाई है और एक समाचार अभी-अभी मुझे मिला है, इस जन वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में हाईकोर्ट ने जो रुख अपनाया था, स्थगन आदेश जारी किया था, तो उच्चतम न्यायालय ने उसके स्थगन को स्थगित कर दिया है...

(व्यवधान)

सब एक हैं, अनेकता में एकता है, मैं चाहता हूं भारत के लोग एक हों। अनेकता यहां (सदन) है, इसका उपाय होना चाहिए, अनेकता में एकता है। जो एकता है वह खंडित नहीं दिखाई पड़ती है...

एक सदस्य--

आपको माननीय अध्यक्ष जी को सम्बोधित करना चाहिए।

श्री वासुदेव सिंह--

अध्यक्ष जी सर्वोपरि हैं, उन्हीं के द्वारा आपको सम्बोधित किया जा रहा है। इस दृष्टि से जो जन वितरण प्रणाली का काम अभी कुछ रुक गया था, वह तीव्र गति से और बहुत तेजी से चलाया जायेगा। अब मिट्टी के तेल और डीजल की समस्या के बारे में सदन को अवगत कराना चाहता हूं। वह उससे अवगत भी हैं, लेकिन मैं अब समझता हूं कि इनकी अब इतनी कमी नहीं रहेगी। मिट्टी का तेल थोड़ा कम है, लेकिन डीजल की कमी दूर हो रही है। बरौनी का हिस्सा ठीक है और डीजल की समस्या अब नहीं है। जितना चाहिये और जहां आपको चाहिये आपको डीजल उपलब्ध है। जहां तक सीमेन्ट का सम्बन्ध है, उसके बारे में भी हमने अपनी नीति घोषित की है और हो सकता है कि उसके वितरण को हम डी0 सी0 डी0 एफ0 या जिला स्तर की किसी संस्था द्वारा ब्लाक स्तर तक करायें। अब कोयले के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं माननीय सदस्य

(व्यवधान)

[श्री वासुदेव सिंह--]

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि सहकारिता के क्षेत्र में 1683 करोड़ रुपये की पूंजी अभी तक लगी है, इसमें जो गड़बड़ है वह केवल .05 प्रतिशत है...

(व्यवधान)

इसके बारे में हमें आधुनिकतम दृष्टि अपनानी होगी। यह सन् 80 या 81 नहीं है। सहकारिता के बारे में मैं भी कटु था, मैं भी उसका आलोचक पहले था और उसमें बहुत बातें थीं। आलोचना की पात्रता को ध्यान में रखते हुए अब कुछ मामला बदल गया है। 1975 तक की बात तो मैं नहीं कहना चाहता हूं। जो पहला मेम्बर था वह आखरी हो गया।

इसी तरह से सीमेन्ट के बारे में मैंने कहा कि ब्लाक मुख्यालय तक पहुंचाने का काम हम पहली अप्रैल से लेना चाहते हैं।

(विरोध पक्ष की ओर से हंसी)

जो अंग्रेजी संस्कृति और सभ्यता के पोषक हैं वे पहली अप्रैल को भयंकर चीज समझते हैं। मुझे तो पहली अप्रैल का किस्सा मालूम है। अनाज के गोदामों का जहां तक सम्बन्ध है हम उन्हें भी ब्लाक स्तर तक पहुंचा रहे हैं। यह सब इस पुस्तिका में दिया हुआ है। हम यह भी करने जा रहे हैं कि हम हर पंचायत अदालत में गोदाम खड़े करेंगे। शीतगृह भी बनाने की ओर हमारा ध्यान है और मारे काम में कोई अड़चन नहीं आयेगी। सहकारिता एवं खाद्य विभाग में जो-जो काम हम करते जा रहे हैं वे सब इस पुस्तिका में दिये हुए हैं।

अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इस वर्ष में करने जा रहे हैं। भूमि विकास बैंक से ऋण लेने में हर सदस्य को 3 प्रतिशत अपना हिस्सा जमा करना पड़ता है। अनुसूचित जाति के लिए यह छूट है और उनको ब्याज रहित ऋण सुलभ किया जायेगा। उत्तर प्रदेश के शासन ने इस निमित्त 20 लाख रुपया दे दिया है। दूसरी सरकार ने सहकारी समितियों से इन जातियों के लिए ब्याज रहित ऋण, अल्पकालीन ऋण और अन्य ऋणों के लिए रुपया कोआपरेटिव बैंक को दे दिया है।

जहां तक सहकारिता विभाग का सम्बन्ध है आप जानते हैं कि हमने जन-वितरण प्रणाली के लिए 820 सहकारी समितियों को न्याय पंचायत स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया है। हम इस निर्णय को सुचारु रूप से इसलिए कार्यान्वित नहीं कर सके क्योंकि हाईकोर्ट का स्टे आ गया जहां कहीं पर आवेदकों ने रिट्स दायर की थीं। उससे भी कुछ काम रुक गया था लेकिन अब आज ही 10-12 बजे के बीच में जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का हुआ है उससे काम आगे बढ़ेगा। अब मैं सहकारिता के बारे में आपकी बातें सुनने के उपरान्त अपनी बातें आपके समक्ष रखूंगा। मैं यह भी आशा करता हूं कि शाम को कुछ घोषणायें भी की जायं। अतः सारी बातों को इस समय कहने की आवश्यकता नहीं है।

अब आपकी महत्वपूर्ण बातों को, सुनकर मेरा विश्वास और आस्था है कि अगर देश और प्रदेश का कल्याण किया जा सकता है और गरीबी का उन्मूलन किया जा सकता है तो हमें सहकारिता पर बल देना होगा। वैसे मैं सरकार की नीति का उद्घोष नहीं करता हूं लेकिन हमारी समितियां जब 1 करोड़ हो

जायेंगी तो 8,000 करोड़ रुपया जो इस समय पूंजीपतियों के पास है वह वहां से छटक कर सार्वजनिक क्षेत्र में आ जायेगा। तो मेरी और शासन की यही नीति है कि अधिक से अधिक आवश्यक वस्तुओं का वितरण अब सहकारिता के आधार पर समितियों द्वारा कराया जाय। आप जानते हैं कि सहकारिता आन्दोलन को सरकारी तन्त्र से यदि मुक्त नहीं किया जाता, तो उसे काम करने की अपनी क्षमता को कुंठित न करते हुये आगे बढ़ने का अवसर दिया जायगा और सहकारिता आन्दोलन जो इस प्रदेश में है, हमने इसे चुना था, महाराष्ट्र में और गुजरात में जैसे यह आन्दोलन आगे गया है यह प्रयास मेरा होगा कि आन्दोलन आगे जाय और मैं यह समझता हूं कि माननीय सदन के सभी सदस्य खाद्य और सहकारिता के सम्मिलित प्रयास में एक जुट हो कर राजनीति के ऊपर उठकर आवश्यकता की चीजों को, उनके वास्तविक परिपेयर में रखने की कोशिशें जो हैं, उसमें अपना सहयोग दें। मुझे खुशी है कि अभी तो कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं आया है और कटौती का प्रस्ताव शायद नहीं ही आवे।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, बड़ी तकलीफ हो रही है, विधायक निवास में कोई होटल नही है। एक होटल सहकारिता का अगर खोल दिया जाय, तो हम लोगों को रोटी तो मिलने लगें और तकलीफ दूर हो जाय।

श्री वासुदेव सिंह--

माननीय सदस्य ने जो बात कही है, इस प्रकार की दिल्ली में सेन्ट्रल हाल में व्यवस्था है। मेरी समझ से कुछ वैसी ही व्यवस्था माननीय सदस्य यहां पर चाहते हैं। मान्यवर, आप सहयोग करें, जो माननीय सदस्यों के लिए केन्द्रीय कक्ष निर्मित होने जा रहा है, उसी के निर्माण की देरी है, नहीं तो ऐसी व्यवस्था करने में शासन को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं यह कह कर कि सरकार तो माता जैसी होती है, लड़का चाहे लायक हो या नालायक, चाहे मोटा हो या पतला, वह सभी बच्चों को बराबरी के भाव से देखती है। उसी प्रकार से शासन सहकारिता के क्षेत्र में सबको समान रूप से देखते हुए अपने आचरण को समादिष्ट करती है। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव रखता हूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सूबेदार सिंह ने रोटी की बात कही और माननीय मन्त्री जी ने उस पर केन्द्रीय कक्ष की बात कही। मैं उस सम्बन्ध में सूचना दे दूं कि वह कार्य बिलकुल शुरू होने जा रहा है। लेकिन वह कार्य ऊपर से कराने की बात होगी, अभी सत्र चल रहा है उसमें जलपान गृह चल रहा है, इसलिए वह इस सत्र तक न गिराया जाय। जैसे ही सत्र समाप्त हो जायगा, वैसे ही कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, कल सदन में ग्राम्य विकास पर बहस होने वाली है और अब तक मान्यवर, उसका साहित्य माननीय सदस्यों को नहीं मिला है। मैंने पता लगाया कि अभी वह सचिवालय में भी नहीं आया है। जैसा कि आप द्वारा यह जारी किया गया है, यह पंचम संस्करण है, उसको धारा 211 की ओर आपका ध्यान मैं दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अरे आप तो इतने दूरदर्शी हैं आप भविष्य में सोचने वाली बात क्यों कह रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, यह भेजा जा चुका है । यहां नोटिस आफिस में पता लगा लें।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, कल तक वह नहीं पहुंचा था ।

*श्री धनी राम वर्मा--

मान्यवर, माननीय सहकारिता मन्त्री महोदय ने सहकारिता एवं खाद्य तथा रसद विभागों का बजट प्रस्तुत किया है । मैं उन दोनों बजटों पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49--सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58--खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 86--सहकारिता विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 98--खाद्य तथा रसद विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

[इस समय 1 बजकर 8 मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती सुनीता चौहान पीठासीन हुई ।]

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 121--सहकारिता विभाग ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

इन सभी अनुदानों में धनराशि कमी करने का उद्देश्य, विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मन्त्री महोदय ने सहकारिता तथा खाद्य एवं रसद के बजट के सम्बन्ध में जो संक्षिप्त भाषण दिया, उसको सुना । मान्यवर, सहकारिता के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ घोषणायें करने के लिये कहा है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वे घोषणायें कोई नहीं हैं । मान्यवर, वे उसी तरह से हैं जैसे कि कोई एक मदारी अपनी पिटारी में बहुत सी चीजें रखता हो । मान्यवर, वह कुछ चीजें प्रस्तुत करता है और किसी न किसी दूसरी चीज के लिये आकर्षण पैदा करता है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और उसी आकर्षण में लोग तमाशा देखने के लिये बैठे रहते हैं। लेकिन मान्यवर, यह केवल आकर्षण मात्र के लिये मन्त्री जी ने कहा है। मैं कहना चाहूंगा कि सहकारिता विभाग और खाद्य तथा रसद विभाग में जितना भ्रष्टाचार है, उतना शायद सरकार के किसी विभाग में न हो। वैसे तो सरकार के जितने विभाग हैं, इस वक्त भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, लेकिन सहकारिता विभाग इनमें सर्वोपरि है।

मान्यवर, यह सरकार बार-बार घोषणायें करती है कि हम किसानों के बड़े हमदर्द हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि शायद हमारे सदन को ज्ञात नहीं होगा कि सहकारिता विभाग द्वारा ब्याज की दरों को बढ़ा दिया गया है। पहले लोकदल की सरकार ने दो दफा एक/एक प्रतिशत ब्याज की दरों को घटा कर 11 प्रतिशत अनुसूचित और निर्बल वर्ग के लिये और 12 प्रतिशत अन्य कृषकों के लिये किया था। लेकिन 22 जनवरी को जो आदेश निकला है, उसमें लिखा गया है कि अब जो ब्याज की वसूली की जायेगी 1-4-81 से छोटे काश्तकारों के लिए 12 प्रतिशत और अन्य काश्तकारों से 14 प्रतिशत की दर से होगी। यह बड़े दुख की बात है। हम आशा करते थे कि सहकारिता विभाग के माध्यम से कृषकों को कुछ लाभ होगा। विभाग द्वारा उसके लिये कुछ राहत की जायेगी जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

मान्यवर, आप देखें कि सहकारिता विभाग द्वारा ऊंचे दरों पर पहले से ही ब्याज लिया जाता है। कम किया गया। लेकिन उससे भी कम करने की आवश्यकता थी न कि बढ़ाने की। विश्व बैंक द्वारा आज भी क्वेरी रिजर्व बैंक की आयी है। डेढ़ और पौने दो परसेन्ट ब्याज की दरों पर हमको पैसा मिलता है पौने दो प्रतिशत के हिसाब से ब्याज मिलता है। आर0 बी0 आई0 अभी तक 5 प्रतिशत शीड्स बैंक से लेता था और अब साढ़े पांच प्रतिशत कर दिया गया है और शीड्स बैंक अभी तक 6% कृषकों से लेता था और अब जैसा कि मैं आपको बतला रहा हूं कि 12 या 14 परसेंट कर दिया गया है।

मान्यवर, यह सिद्धान्त रूप में तय हो चुका है शीड्स बैंक एक परसेंट से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक से नहीं लेगी और डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक साधन सहकारी समितियों से एक प्रतिशत से ज्यादा नहीं लेंगे और साधन सहकारी समिति बैंक अपने ऋण देने वालों को यानी किसानों को 2% से ज्यादा पर नहीं देगा। लेकिन अब आप देखेंगे कि वह साधन सहकारी बैंक कृषकों को पौने नौ परसेंट पर ऋण देंगे और कृषकों से वसूली 12 से 14 प्रतिशत तक होगी और इतना ही नहीं, मैं निश्चित जानकारी के आधार पर कहता हूं कि आर0 बी0 आई0 जो ब्याज कमाता है शीड्स बैंक से। जो रकम सबसे ज्यादा देता है 5 परसेंट से साढ़े 5% तक ही उसको मैनेजिंग शेयर की बराबरी विश्व बैंक और आर0 बी0 आई0 की न के बराबर है। लेकिन वह ब्याज जो लेता है वह 3% से साढ़े 3% तक और हमारी निश्चित जानकारी है कि सरकार ऐसा करवाती है।

आर0 बी0 आई0 जो ब्याज कमाता है वह सारा का सारा शेयर सरकार को दे देती है और सरकार ने इसके लिए जो ऋण सूद के रूप में बढ़ाया इस दृष्टि से बढ़ाया कि जो सरकार को बचत की रकम कम मिलती है, वह ज्यादा बढ़ने लगे। दूसरी बात मैं यह भी बताना चाहता हूं मान्यवर, कि शीड्स बैंक

[श्री धनीराम वर्मा--]

और आर0 बी0 आई0 में जो सूद का अन्तर है, वह आधे परसेंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक और साधन सहकारी समितियों में एक परसेंट से ज्यादा सूद का अन्तर नहीं होना चाहिए। यह सारा का सारा सूद जो गरीब किसानों से वसूल किया जाता है। वह सारा का सारा पैसा बड़े-बड़े अधिकारियों के ऐशो-आराम और भ्रष्टाचार के बढ़ावे में खर्च होता है। मान्यवर, आप कहते हैं कि किसानों को ऋण उपलब्ध करायेंगे। मैं तो समझता हूं कि आपकी सारी की सारी योजनाएं और घोषणाएं बिलकुल निरर्थक हैं, थोथी हैं, झूठी हैं। उनके बारे में आपको कुछ अवगत करना चाहूंगा कि सन् 1980-81 में आपने घोषणा की थी कि 230 करोड़ रुपये किसानों को अल्पावधि ऋण के रूप में देंगे और 25 करोड़ रु0 मध्य कालीन के रूप में और 70 करोड़ रु0 दीर्घ कालीन के रूप में देंगे। लेकिन इन घोषणाओं के बावजूद आपने दिया क्या? सन् 1979-80 में अल्प लोन के रूप में साढ़े चार करोड़ रु0 मात्र, दीर्घकालीन के रूप में कहा गया था 70 करोड़ रु0 और दिया गया मात्र 12 करोड़ रुपये। इस तरह से आपकी जितनी भी योजनाएं हैं वे थोथी हैं, झूठी हैं सत्यता के आधार पर आपकी योजनाएं नहीं बनी हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर काश्तकार का हित आप चाहते हैं तो निश्चित तरीके से ब्याज की दर पिछली सरकार ने जो 11 परसेंट किया था उसको 9 परसेंट छोटे कृषकों के लिए और 10 परसेंट बड़े कृषकों के लिए निर्धारित कर दें। जिससे किसानों को राहत मिल सके। मैंने इसके सम्बन्ध में सुझाव भी दिए हैं कि प्रबन्धकीय व्यय इतना यादा नहीं होता है जितना कि आप व्यय करते हैं। सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाय तो यह व्यय कम हो सकता है। सहकारिता विभाग में वर्गवाद और जातिवाद का बोलबाला है। इसमें इतना भ्रष्टाचार है उतना किसी भी विभाग में नहीं है। सारे उत्तर प्रदेश में 33 जिला सहकारी बैंक हैं जिनमें से 9 सहकारी बैंकों में एक वर्ग विशेष के एक जाति विशेष के व्यक्ति होने के नाते उनके बोर्ड को सुपरसीड किया गया। मैं संशोधन करना चाहूंगा कि यह जो बोर्ड को सुपरसीड किया गया यह माननीय ब्रह्म दत्त जी ने किया। मैं चाहूंगा कि न्यायोचित बेसिस अपना कर उनके बोर्ड को बहाल करें। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपके सहकारी बैंक में सहकारिता विभाग में जाति के नाम पर प्रोमोशन दिया जाता है वर्गवाद के नाम पर प्रोमोशन देते हैं। मान्यवर, हरिजन की दोहाई देने वाली यह सरकार हरिजनों की कितनी उत्पीड़क और कितनी हिमायती है पिछली सरकार ने मेरा मतलब लोकदल की सरकार ने एक हरिजन को सेवा मंडल का सभापति मनोनीत किया था। आपकी सरकार आई और उस हरिजन को हटा दिया। आप हरिजन के विरोधी हैं या हिमायती इसी चीज से पता चल जायेगा और मान्यवर, उस हरिजन को हटाकर उसके स्थान पर किसको रखा गया डी0 एस0 शुक्ला को, उनके सम्बन्ध में आप पता लगा लें प्रदेश के हर सड़क पर, हर गली में चर्चा है कि वह भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति हैं। बिना पैसा लिए हुए किसी को वह काल लेटर तक इश्यू नहीं करते हैं। दूसरे हैं सी0 पी0 शुक्ल जी उनको भी सीनियर्स को सुपरसीड करके श्री बी0एल0 वर्मा जो सीनियर थे उनको सुपरसीड करके किसी शुक्ल जी को प्रादेशिक सरकारी बैंक में प्रोमोशन दिया गया और जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वह भ्रष्टाचार में लीन हैं। इतना ज्यादा विभागों में लेन-देन होता है कि सारे प्रदेश में इसकी चर्चा है। उनके माध्यम से जो ग्रामीण गोदाम बनाई जा रही हैं उन ग्रामीण गोदामों में मोरंग, बालू और सीमेन्ट की बात छोड़ दीजिए वहां मिट्टी का गारा लगाया जा रहा है और कहीं अगर सीमेन्ट से जुड़ाई हो रही है

तो वह 1/10 और 1/11 के अनुपात से। कुछ अधिकारियों के सम्बन्ध में उनके भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सदन के समक्ष कहना चाहूंगा। एक हरी शंकर मालवारी हैं। बेइमानी करने में हटाये गये थे लेकिन इस शासन ने उनको पुनः मण्डल कार्यकारी नियुक्त कर दिया। उनके खिलाफ लगभग 10 लाख रुपये के गबन का गम्भीर आरोप है। इतना ही नहीं कानपुर जिले के और भी कर्मचारी हैं जो0एस0 मिश्रा। बैंक में प्रशासक थे, 22 लाख की चोरी बैंक में दिखाई जब कि वह गबन था। उनको सजा देने की बात तो दूर रही उन्हें भ्रष्टाचार करने के लिए और अच्छे-अच्छे पदों पर भेजा जाता है और उनकी प्रशंसा की जाती है। उन्होंने एक काम जरूर किया कि यह 22 लाख की धनराशि अकेले नहीं खाये अगर अकेले खाये होते तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती लेकिन मिल बांट कर खाने की वजह से कोई कार्यवाही नहीं की गई।

यह सरकार प्रजातंत्र की दुहाई देकर प्रजातंत्र का गला घोट रही है। पिछली सरकार ने किसान सहकारी बैंक में जिन कर्मचारियों को नियुक्त किया था उनको अब धीरे-धीरे यह सरकार निकाल रही है और इलाहाबाद में तो ऐसे कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। मैं माननीय सहकारिता मंत्री का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने भूमि विकास बैंक के चुनाव करने की घोषणा की लेकिन पता नहीं किस दबाव में आकर उन्होंने चुनावों को स्थगित कर दिया जबकि कई स्थानों पर चुनाव हो भी गए हैं। इससे मालूम होता है कि जो प्रशासक नियुक्त थे उनको और भ्रष्टाचार का मौका दिया जा रहा है। बात यह है कि वह इलेक्शन लड़कर तो आने से रहे लेकिन चिपके रहना चाहते हैं। इलेक्शन मुलायम सिंह जी ने करवाया था जो दो-ढाई साल से प्रशासक नियुक्त थे और इलेक्शन नहीं हुए थे वह इलेक्शन करवाया इसके लिए वह प्रशंसा के पात्र थे।

(लाल बत्ती होने पर)

अभी तो शुरू किया है, मान्यवर..

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, 25 मिनट हो गये हैं, 2 मिनट और ले लें।

श्री धनी राम वर्मा--

8 हजार सहकारी समितियां हैं उनमें एक हफ्ते के अन्दर प्रशासक नियुक्त होने वाले हैं और प्रशासक नियुक्त होकर भ्रष्टाचार का बोलबाला होने वाला है। मैं चाहूंगा कि भ्रष्टाचार को रोका जाय और इसके बाद खाद्य और रसद की बात जहां तक आती है। शक्कर, डीजल और मिट्टी का तेल--यह आम जनता को मुहैय्या नहीं हो रहे हैं। डीजल में मिट्टी का तेल बड़ी मात्रा में मिलाया जा रहा है और इसकी कई जगह शिकायतें भी हुईं और वह सही भी पायी गयीं। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि आप इस मिलावट को रोकें। शक्कर 2.85 रु0 पिछले सत्र में बिकी कन्ट्रोल रेट पर और उसके बाद आपने एकदम 3.50 रु0 किलो शक्कर कर दी। गरीब मजदूर कैसे शक्कर खा सकेगा और वह भी मिट्टी मिली हुई।

[श्री धनी राम वर्मा--]

पिछले कई महीनों दिसम्बर, जनवरी में गांव में शक्कर नहीं मिली। मान्यवर, मैं यह चाहूंगा कि इसकी इन्क्वायरी करा ली जाय, हमारे यहां ही नहीं बल्कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में शक्कर का वितरण दिसम्बर-जनवरी मास में हुआ ही नहीं। मुझे बड़ी आशा है माननीय सहकारिता एवं खाद्य और रसद मन्त्री से। मैं व्यक्तिगत तरीके से जानता हूं कि वे प्रजातांत्रिक प्रणाली के मानने वाले हैं।

इसके लिये सबसे पहले मैं मांग करता हूं कि सारी सहकारी समितियों के इलेक्शन अतिशीघ्र कराये जायं। भूमि विकास बैंक के इलेक्शन स्थगित किये गये हैं, उनको शीघ्र करवाये जाने की घोषणा करें। साथ ही साथ मैं यह भी चाहूंगा कि ब्याज की जो ऊंची दरें हैं, जिसके लिये मैंने सजेशन दिया, हम आपको बतायेंगे कि आप इस पर 9 प्रतिशत ब्याज कर सकते हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि आप भ्रष्टाचार का प्रसार जो सहकारिता और खाद्य-रसद विभाग बन गया है, इनमें सुधार करें, जो इन विभागों की कुख्याति है, उसे दूर करें। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए एक सूचना देना चाहूंगा कि मथुरा जिला सहकारी बैंक को अतिशीघ्र सुपरसीड करने की साजिश की जा रही है। 50 प्रतिशत सरकारी हिस्सा जमा कराकर इसे भी भंग करने की साजिश की जा रही है और यह जो अप्रजातांत्रिक कदम उठाया जा रहा है, इसे आप रोकें। इसके साथ ही सदन के माननीय सदस्य हमारे इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे कि यह जो बजट खाद्य और रसद विभाग को दिया जा रहा है, उससे जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है और माननीय सदस्य हमारे इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे सहकारिता बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, समाजवाद का आधार सहकारिता और सरकारिता दो ही चीजें हैं। हमारे सहकारिता मन्त्री जी ने सहकारिता को जिस प्रकार से जन-जीवन का अंग बना दिया है, वह प्रशंसनीय है। इतना ही नहीं हमारे सहकारिता मन्त्री जी ने दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं को जिस प्रकार से जन-जीवन में सुलभ कराया है, वह भी प्रशंसनीय है। माननीय मन्त्री जी ने काश्तकारों को भी सहकारिता के माध्यम से उनकी फसल एडवान्स जमा करके आधा पैसा देना भी स्वीकार किया है, जो कि काश्तकारों के लिये लाभकारी कदम है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सहकारिता के माध्यम से न्याय पंचायतों पर गोदामों का बनवाना शुरू किया है। इसके अतिरिक्त आलू की जो बेकदरी जनता पार्टी के शासन काल में हुयी थी तो उस बेकदरी को देखते हुये सहकारिता के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज बहुत शीघ्र प्रदेश के बहुत से स्थानों पर बनाये जा रहे हैं। सहकारिता के अन्तर्गत हरिजन उत्थान के लिये जिस प्रकार से आई० आर० डी० और अंत्योदय स्कीमों से किसानों को ऋण दिया गया है वह प्रशंसनीय है।। मान्यवर, माननीय सहकारिता मंत्री जी ने हरिजनों को जो सहकारिता के माध्यम से ऋण दिये जा रहे हैं उसके अन्दर ब्याज में पूर्ण छूट दी है वह वाकई में हमारी इंदिरा गांधी जी की जो हरिजन उत्थान की नीति है उसमें एक प्रगतिशील कदम है। इन सबके बावजूद मैं मंत्री जी का ध्यान जिला सहकारी बैंकों की ओर ले जाना चाहता हूं।

हरदोई जिले के जो सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं उनके भाई मेरे खिलाफ चुनाव लड़े थे और उस चुनाव में उन्होंने सहकारी बैंक के माध्यम से 8-10 जीपें चुनाव में चलायीं। इसकी मैंने शिकायत की है लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी है। हमारे हरदोई बैंक में लाखों रुपयों के घपले हैं। 50 लाख रुपये का बैंक डिफाल्टर है और बैलेंसशीट में भी दिखाया गया है उसको सोसायटीज के नाम ट्रांसफर कर दिया गया है लेकिन रिकवरी शून्य है। इन सब अनियमितताओं की वजह से बैंक को सुपरसीड कर देना चाहिये। बैंक के सचिवों की सेवा केन्द्रित सेवा हो गयी है, इस कारण से सचिवों पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है और सचिव आजकल खुली लूट कर रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि शाहजहांपुर में सचिव डालचन्द ने एक कपूर परिवार के सभी सदस्यों को लाखों रुपयों का ऋण दे दिया और आज तक एक पैसा वसूल नहीं हुआ है। जिला बैंक बहराइच के सचिव गंगा बक्श सिंह ने बैंक से लाखों रुपयों की हेराफेरी की और उनके खिलाफ रुपयों की हेराफेरी साबित भी हो गयी लेकिन उनको अभी तक हटाया नहीं गया है।

इसी तरह से जिला बैंक इटावा के भूतपूर्व सचिव जो मुरादाबाद में तैनात हैं, उन्होंने अपना वेतन और एरियर मनमाने ढंग से निकाल लिया इस पर आडिट ने आब्जेक्शन किया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मान्यवर, इसका मुख्य कारण यह है कि जो सचिव हैं वह सीधे सचिव केडर के अन्तर्गत आने लगे हैं जिससे उन पर बैंक के डाइरेक्टर या बैंक का संचालक मंडल कुछ नहीं कर सकता है। सी0 पी0 शुक्ला, सचिव कैडर, उ0 प्र0 जो इनके आका यहां बैठे हैं वह खुले आम सबसे भ्रष्टाचार कराते हैं और हिस्सा लेते हैं जिसके कारण सचिवों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान यू0 पी0 कंज्यूमर्स फेडरेशन के ब्रांच मैनेजर पी0 सी0 माथुर की ओर ले जाना चाहता हूं। वर्ष 1980 में जब डालडा की प्रदेश में कमी हुयी तो रेपसीड आयल मंगाया गया। माथुर साहब ने रेपसीड आयल को कोआपरेटिव सोसायटीज के माध्यम से नहीं दिया बल्कि सीधे डीलर्स को दे दिया जिससे लाखों रुपयों का घपला हुआ।

मान्यवर वाई0 पी0 गुप्ता, सहायक निबंधक, पीलीभीत में थे, उन्होंने साढ़े 26 लाख रुपये का गेहूं के खरीद में घपला किया। कास्तकार गेहूं का चेक लिये टहल रहे हैं लेकिन उनका भुगतान नहीं हो पाया है और गुप्ता जी को पुरस्कार यह दिया गया है कि उनको अब लखनऊ में तैनात कर दिया गया है। मैं भूमि विकास बैंक की तरफ भी आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। जब उसकी स्थापना हुयी थी तो यह मालूम हुआ था कि इससे राहत मिलेगी और कास्तकारों के लिये यह जीवन होंगे। लेकिन भूमि विकास बैंक ने जिस तरह से किसानों का और हरिजनों का शोषण किया और लूट की वह एक मिसाल है। मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह देखें कि भूमि विकास बैंक में जितनी नीलामी लिस्ट निकलती है उसमें 70 प्रतिशत हरिजन कास्तकारों की निकलती हैं। उसका मुख्य कारण है कि मैनेजर और ग्राम सेवक मिलकर कास्तकारों को ऐसा पम्पिंग सेट खरीद देते हैं।

[श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--]

जो कि रजिस्टर्ड फर्म के नहीं हैं जिससे काश्तकार के पंपिंग सेट्स दो तीन महीने में खराब हो जाते हैं और वे इस काबिल नहीं रहते कि पंपिंग सेट्स का पैसा अदा कर सकें जिससे काश्तकार की जमीन नीलाम हो जाती है। जो पंपिंग सेट्स स्टैंडर्ड क्वालिटी के होते हैं वे काश्तकार को नहीं मिल पाते हैं और निम्न क्वालिटी के मिलने से उनकी यह दशा होती है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान भूमि विकास बैंक की ओर दिलाना चाहता हूं। भूमि विकास बैंक के प्रशासन ने प्रतिनियुक्ति पर आये सहकारिता निरीक्षक और निरीक्षकों की सेवायें उनकी सेवा तिथि से मान लीं और सीनियारिटी के हिसाब से एक लिस्ट प्रकाशित करदी और माननीय मंत्री जी ने उसे मान लिया लेकिन उसके प्रबन्ध निदेशक श्री ओ0 एन0 वैद्य ने कनिष्ठ लोगों की प्रोन्नति कर दी और लिस्ट में सीनियर लोग आज जक वही बरकरार हैं जो अपने आप में एक मिसाल है। मंत्री जी इसे देखने की कृपा करेंगे।

जहां तक न्याय पंचायत स्तर पर ग्रामीण गोदाम बनाने की बात है ये गोदाम उन गांवों में बनाये जायं जहां रास्ता सुलभ और आने-जाने के साधन हों लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार ग्रामीण गोदाम उन गांवों में बन रहे हैं जहां आने-जाने का रास्ता नहीं है, ट्रक तथा लेहड नहीं जा सकते। इससे क्या फायदा होगा? हरदोई जिले में ऐसे ही ग्रामीण गोदाम बनाये जा रहे हैं जैसे मेलावा में, भटेरा गांव में यह ग्रामीण गोदाम बनाये जा रहे हैं जहां आने-जाने के कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं। लिहाजा मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह स्पष्ट आदेश देंगे कि ये न्याय पंचायत स्तर पर ग्रामीण गोदाम अब वही बनाये जायेंगे जहां आने-जाने का रास्ता हों। मैं मंत्री महोदय की प्रशंसा करूंगा कि शकर तथा मिट्टी के तेल का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जा रहा है लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयां हैं।

एफ0 सी0 आई0 जितनी ईमानदार संस्था है उसके बारे में सभी लोग परिचित हैं। जो सोसाइटी एफ0 सी0 आई0 से शकर का बोरा उठाती है तो हर बोरे में दो तीन किलो शकर कम हो जाती है। साढ़े 3 रुपया किलो वह बेचती है और 3 रु0 48 पैसे में ले जाती है। इसके अलावा उसे ढुलाई के पैसे देने होते हैं जो कर्मचारी नियुक्त किया जाता है उसका वेतन तथा दूकान का किराया उसे देना होता है। वस्तु स्थिति देखी जाय तो उत्तर प्रदेश की कोई सोसाइटी इस व्यापार में लाभान्वित नहीं हो सकती। बहुत सी सोसाइटीज इस मारे शकर नहीं उठा पाती हैं और फिर कोई इसका वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है जिसे लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एक चीज यह भी देखने की है कि सरकार आंकड़ें दे देती है कि उसने खरीफ और रबी की फसल में काश्तकार से निर्धारित दर पर इतना अनाज खरीदा लेकिन मंत्री जी को मालूम होना चाहिये कि किस तरह से बिचौलिये काश्तकार को परेशान करते हैं। सेंटर पर खरीद करते समय तीन-तीन बार अनाज को छनवाया जाता है जिससे काश्तकार परेशान हो कर बिचौलिये को अपना अनाज बेच कर चला जाता है और काश्तकार को वाजिब पैसा नहीं मिल पाता है। गेहूं की जो खरीद हो रही है इस व्यवस्था को सरकार को चाहिये कि बहुत सुचारू रूप से चलायें ताकि काश्तकार का गला न काटा जा सके।

मैं सीमेंट वितरण की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हर जिले को वह आवंटित कर दिया जाता है और डी0 एस0 ओ0 उसे अपने चहेतों

को ज्यादा दे देते हैं। होना यह चाहिये कि जितने डीलर्स ह सबको बराबर-बराबर कोटा दिया जाय। मुझे आशा है कि मंत्री जी मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे और मेरा विश्वास है कि यह जो सहकारिता आन्दोलन मंत्री जी जिस गति से चला रहे हैं वह अवश्य सफल होगा। मैं उनकी बजट अनुदानों का स्वागत करता हूं और माननीय वर्मा जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रत्येक माननीय सदस्य यह कोशिश करें कि 7-8 मिनट ही बोलें चूंकि बोलने वाले माननीय सदस्य काफी हैं।

(1 बज कर 40 मिनट)

*श्री हर गोविन्द वर्मा--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं सहकारिता मंत्री से कहना चाहूंगा कि जो प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया है उसके विरोध में जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही उपयुक्त है। कोआपरेटिव विभाग जिस पर चर्चा चल रही है यह विभाग उत्तर प्रदेश में रंग बिरंगा हाथी है जिस पर रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटी ब्रह्मा, विष्णु और महेश बनकर बैठे हैं, मंत्री जी उसके पीलवान बनकर उत्तर प्रदेश के गरीब किसान मजदूरों और हरिजनों को कोआपरेटिव के माध्यम से चराने का काम करते हैं। इसलिए मान्यवर, इस प्रस्ताव के विरोध में मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी हमारे विचारों पर विचार करेंगे और संतुष्ट होंगे तो संशोधन करेंगे।

मान्यवर, आप देखें प्रदेश और देश में कोआपरेटिव विभाग किस विचारधारा से लाया गया और उसकी परिणति किस प्रकार से इस देश में हुई है। तो आप को लगेगा कि वह विपरीत दिशा में हुई है। इससे आशा थी कि कोआपरेटिव विभाग से गरीब लाभान्वित होगा लेकिन देखें तो इससे वही लाभान्वित हुये हैं जो पैसे वाले या तिकड़मी लोग या बेईमान और भ्रष्ट थे। इसका कारण यह है कि कोआपरेटिव विभाग में एक ही व्यक्ति मालिक है जिसपर दूसरा अंकुश नहीं लगा सकता है और वह चाहे जो करे। दूसरा कारण यह है कि नीचे से, जैसे इंस्पेक्टर कोआपरेटिव विभाग में तो सरकारी कर्मचारी होता है और इंस्पेक्टर से नीचे जो सुपरवाइजर होता है, सचिव होता है, यह लोग संस्था के अंदर आते हैं यानि अर्ध सरकारी कर्मचारी होते हैं जिससे इंस्पेक्टर का अंकुश सुपरवाइजर और सचिव पर होता है और संस्था का अंकुश इनपर होता है। इसलिए यह दोनों संस्था और इंस्पेक्टर जनता को लूटने का काम करते हैं।

सचिव ग्राम सेवक जो कोआपरेटिव में काम करते हैं वह सरकारी मशीनरी से डरते रहते हैं और उनके इशारे पर काम करते हैं। दूसरी तरफ संस्था के पदाधिकारियों से डरते हैं और उनके इशारे पर काम करते हैं परिणामस्वरूप पूरी संस्था में करप्शन होता है। जैसा कि उधर के माननीय सदस्य ने आपके सामने तथ्य पेश किया वह चाहे भूमि विकास बैंक का मामला हो या उनसे कर्ज लेने की बात हो या कोआपरेटिव के जरिये कर्ज लेने की बात हो जिसमें 50 से 70

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हर गोविन्द वर्मा--]

प्रतिशत गलत और फर्जी अंगूठे लगवाकर कर्जे बांटे गये हैं और जिनको कर्जा भी नहीं मिला है उनसे जबरदस्ती वसूली होती है। ट्रान्सफर इन्ट्री के माध्यम से गलत कर्जे बांटे गये हैं जो वसूल नहीं हो सकते हैं जिसको सुधारने के लिए चेक के जरिये पैसा लिया और दिया जा रहा है लेकिन पुनः ट्रान्सफर इन्ट्री की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी तो करप्शन रुक नहीं सकता है।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कोआपरेटिव मिनिस्टर से कि कोआपरेटिव के अंदर एक तो जो दो प्रणाली हैं--अर्ध सरकारी और सरकारी इसको तो तुरन्त समाप्त किया जाय या रजिस्ट्रार की शक्ति सहकारिता के आधार पर अर्ध सरकारी रखी जाय या नीचे के स्तर तक जैसे सुपरवाइजर और सचिव तक सरकारी किया जाय, तभी कंट्रोल हो पायेगा और करप्शन को इसमें से दूर करना है तो मंत्री जी को इस पर लगाम लगानी पड़ेगी और जो फर्जी कर्जे बांटे गये हैं आज तक चाहे उसमें भूमि विकास बैंक द्वारा हो या कोआपरेटिव बैंक से या अन्य तरीकों से जो बांटे गये हैं उनकी तुरन्त जांच करायी जाय और फर्जी कर्जों को तुरन्त माफ किया जाय और ट्रान्सफर इन्ट्री पर रोक लगायी जाय तभी कोआपरेटिव में सुधार आ सकता है। कोआपरेटिव विभाग पूरे देश और प्रदेश में जैसा कहा गया है कि रंग बिरंगा हाथी है जो पूरे देश को खाये जा रहा है और एक काम और बढ़ाया गया। शकर वगैरह इसके द्वारा वितरित कराने की योजना बनायी गयी। गरीबों के हित के लिये चलाते, गरीबों के सहयोग देने को चलाते तो निश्चित रूप से यह काम बहुत अच्छा था शकर, तेल, खाद वगैरह बंटवाने के लिये कोआपरेटिव के माध्यम से जितना काम हुआ है देश और प्रदेश के अन्दर आज चोटी के ऊपर तक इसका करप्शन पहुंच चुका है। मैं कहता हूं कि प्रदेश में कृषि को नुकसान होगा क्योंकि खाद आप कोआपरेटिव के माध्यम से ही दिलवाते हैं। सीतापुर जिले में कोआपरेटिव के माध्यय से जो खाद वितरित की गयी है उसमें मोरंग, राखी तथा मिट्टी मिली हुई है। पचासों तरह की खाद बांटी गयी हैं। 50 किलो खाद की बोरी में 35 या 40 किलो ही खाद मिलती है। आपकी दुकान से खाद मिलने वाली नहीं। कोआपरेटिव संस्थान से जो खाद 104 रुपये में आपको मिलती है उसे कोआपरेटिव विभाग 120 रुपये, 125 रुपये और 130 रुपये के हिसाब से बेचता है। इसलिये आपको समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश का हित कोआपरेटिव के द्वारा नहीं हो सकता है।

आप कोआपरेटिव के द्वारा अलग-अलग तरह की चीजों को वितरण करवाने का काम करते हैं। आपके सरकारी संस्थान के माध्यम से रजिस्ट्रार के कहने पर रुपये लगाने से लाभ पहुंचने वाला नहीं है। कोआपरेटिव शकर देगा, खाद देगा परन्तु मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह तो वह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो डी० सी० ए० के स्टोर हमारे यहां हैं उनके जरिये ये नियंत्रित कपड़ा बंटवाते हैं। पूरे जिले में किसी गरीब को कपड़ा नहीं बांटा जाता है जबकि लाखों रुपये का कपड़ा जिले के लिए दिया जाता है। कपड़े के अतिरिक्त और भी कोई चीज गरीबों को नहीं देते हैं तो ये सीमेन्ट और शक्कर क्या बांटेंगे, मेरी समझ में यह बात नहीं आती।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी इन बातों पर गौर करें कि कोआपरेटिव विभाग के अंदर पुनः कांस्टीटयूशनल अमेन्डमेन्ट करना पड़ेगा। बाई लॉज में अमेन्डमेन्ट करना पड़ेगा ऐक्ट में अमेन्डमेन्ट करना पड़ेगा, कोआपरेटिव को पुनर्जन्म देना पड़ेगा। यदि आप हरिजनों को उठाना चाहते हैं, देश की गरीबी दूर करना चाहते हैं, गरीबों का

उत्थान करना चाहते हैं, पिछड़ी जातियों की मदद करना चाहते हैं तो कोआपरेटिव विभाग खोलने का जो उद्देश्य है, उसको पूरा नहीं कर सकते हैं तो जितना पैसा आप जनता का कोआपरेटिव को दे रहे हैं, तो हम यह मान करके चलते हैं कि यह पैसा बिलकुल निरर्थक जा रहा है ।

इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह जो बहुत बड़ा विभाग है, यह जो बहुत ही उपयोगी विभाग है भारत की भूमि के लिये तो इस तरह से ब्रह्मा, विष्णु, महेश के जरिये जो इसको चलाने का काम किया गया है तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि निकट भविष्य में कोआपरेटिव विभाग पूरे प्रदेश को खा जायेगा । देश के किसान नीलाम हो रहे हैं, उसकी कुर्कियां की जा रही हैं । जल्दी ही अब एक ऐसा समय आने वाला है जिसे सर्वहारा कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश की दस-ग्यारह करोड़ जो लोग हैं, सारे के सारे सर्वहारा हो जायेंगे । पूरे प्रदेश को कंगाल बनाने की योजना इस सरकार ने चालू कर रखी है । इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सरकार को पुनः कहता हूं कि इस पर गौर करने की कोशिश करे ।

*श्री कैलाश चन्द्र--

मान्यवर, आपने कोआपरेटिव के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया--

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय 7 मिनट है, कृपया इसी के अन्दर अपना भाषण समाप्त कर लें ।

श्री कैलाश चन्द्र--

इसके लिये धन्यवाद । जैसा कि सभी को ज्ञात है कि पूर्ण सामाजिक सहयोगी प्रथा से कोआपरेटिव का जन्म हुआ है जहां तक मुझे स्मरण है कि सन् 1920 से कोआपरेटिव का आन्दोलन शुरू हुआ और दिन प्रतिदिन इसमें प्रगति होती गयी और भारत के स्वतन्त्र होने के बाद माननीय पंडित नेहरू जी ने इसे जबरदस्त सहयोग दिया और उनकी मान्यता थी ज्यादतियों से समाज को बचाया जा सकता है । आज हालत यह है कि उत्तर प्रदेश में हर बात में प्रगति हो रही है लेकिन जो आंकड़े कोआपरेटिव के बारे में दिए गए हैं उससे ऐसा लगता है कि कुछ खास प्रगति नहीं हो रही है । जहां तक आलोचना का सवाल है । आलोचना बहुत आसान काम है । आलोचना की जगह अगर समालोचना की जाय तो ज्यादा बेहतरे होता है । मैंने कोआपरेटिव में काफी समय तक काम किया है । कोआपरेटिव के अन्तर्गत पी0 सी0 ए0, उत्तर प्रदेश कन्ज्यूमर और पी0 सी यू0 आदि बाम्बेज हैं उन सबके कार्य पद्धति का अध्ययन करने का और कार्य करने का मुझे मौका मिला है । जहां तक आज प्रगति हुई है कोआपरेटिव की वह वाकई सराहनीय है लेकिन जहां पर आलोचना और भ्रष्टाचार की चर्चा की जाती है उसके बारे में एक खास कारण होता है जैसे कि सरदारों के बारे में एक बात प्रचलित है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कैलाश चन्द्र---]

और उनकी पगड़ी की वजह से ही उनकी पहचान होती है । इसी तरह से कोआपरेटिव का काम चल रहा है और जब चल रहा है तो सबको दिखाई देता है । कुछ काम ऐसे हैं, ऐसे मुश्किल काम हैं जैसे नियंत्रित कपड़े का काम तथा सीमेन्ट आदि के काम भी कोआपरेटिव को दे रखे हैं ।

फिलहाल चीनी का काम आ गया । इस तरह के काम कोआरेटिव को दे देने से उसमें शिकायतें बढ़ने का मौका रहता है इसलिए कोआपरेटिव में ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें चारों तरफ से आने लगी हैं । वैसे जहां तक मैं समझता हूं अन्य विभागों के मुकाबले में कोआपरेटिव आज भ्रष्टाचार के मामले में अन्तिम नम्बर पर हैं । इस बात को मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं । यह "आज" अखबार में जो खबर निकली है कि करोड़ों रु० का घोटाला लेकिन जब पूरी खबर को पढ़ा तो कुछ नहीं निकला । किसी आडिटर के माध्यम से वह खबर निकाली गई है और जनरल खबर है । ऐसे यह दसियों बार निकल चुका है कि गबन हुआ, मुकदमा कायम हुआ तो फिर यह खबर, खबर नहीं रह जाती है । इस तरीके से तो चलता रहता है । अन्य को देखते हुए कोआपरेटिव का कार्य बहुत सराहनीय है फिर भी हर क्षेत्र में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस पर ध्यान देना होता है । इस सम्बन्ध में मैं मा० मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे कुछ सुझाव हैं । एक तो अविलम्ब चुनाव की व्यवस्था करें ।

एडमिनिस्ट्रेटिव या रिसीवर भी भ्रष्टाचार का एक सर्वमान्य कारण है । दूसरा मेरा सजेशन यह है कि जब चुनाव हो जायेगा तो चुने हुए प्रतिनिधियों की शिकायत रहती है कि उनको सहयोग नहीं मिल रहा है अधिकारियों का तो उन अधिकारियों को यह निर्दिष्ट करें कि चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ सरकारीकरण ढंग का प्रयोग न करें । चुने हुए प्रतिनिधि दिन दूने रात चौगुने की भांति हैं । एल० डी० वी० का जहां तक काम है । एल० डी० वी० का इंजन एप्रूव किया गया था सन् 77 या 78 में । 78 में एप्रूवल हुआ था । किसी केन्द्रीय मंत्री के हस्तक्षेप से यह हुआ था । गाजियाबाद और आगरे के कुछ फर्मों के जो कि अच्छे इंजन नहीं थे उनको एप्रूव कर दिया गया और जो अच्छे इंजन थे देश के माने हुये इंजन थे उनको एप्रूव नहीं किया गया । ये इंजन खेत में पहुंचने के एक महीने बाद ही बन्द हो जाते हैं । यह जांच योग्य बात है । इस इंजन की प्रणाली की जांच की जाय और अच्छे इंजन इनके साथ-साथ एप्रूव किये जायं, जो कन्डेम्ड इंजन हैं उनके साथ और उनको हटाया जाय लिस्ट से ।

इसके अलावा कंज्यूमर स्टोर्स करोड़ों रुपयों का व्यापार कर रहा है । इसके जिम्मे बड़ा मुश्किल और दुरूह कार्य सौंपा गया है । एसेन्शल कमोडिटीज की सप्लाई भी यू० पी० कोआपरेटिव करता है । इसमें एक शिकायत है । कन्ट्रोल का कपड़ा बड़ी मात्रा में उसे मिलता है लेकिन उसका बंटवारा फेयर नहीं है । यह कपड़ा जो हकदार है, समाज का कमजोर वर्ग का आदमी है, उसको नहीं मिल पाता है । मेरा निवेदन है कि कोआपरेटिव के कन्ट्रोल के कपड़े के वितरण में सख्त नजर रखी जाय और उसकी व्यवस्था सुचारु रूप से कर के उन में सुधार कराया जाय ।

चीनी वितरण का कार्य हाल ही में माननीय मंत्री जी ने लिया है । यह स्वागत योग्य कदम है । बड़ा डेयरिंग स्टेप है मंत्री जी का कि जब तक चीनी की सप्लाई अच्छी रही तब तक प्राइवेट डीलर बांटते रहे, कोई बदनामी

नहीं हुई लेकिन जब चीनी की सप्लाई बहुत कम हो गई तब यह धन्धा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोआपरेटिव विभाग के जिम्मे किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि जरा स्लेकनैश होने पर लापरवाही होने पर बदनामी हो सकती है, कोआपरेटिव को भारी नुकशान हो सकता है कोआपरेटिव के कर्मचारी भी चीनी के धन्धे में लिप्त हो सकते हैं जिससे जो कोआपरेटिव की मन्शा है, जो उसका स्वरूप है जैसे रिकवरी, लोनिंग, खाद बांटने से वह पीछे हट जायगी और सभी लोग इस चीनी के धन्धे में लिप्त हो सकते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस में कुछ स्टाफ बढ़ाये। चीनी के धन्धे में दो पैसे का प्राफिट होने वाला नहीं है। गलत हिसाब से चीनी के धन्धे में विभाग को नुकशान होगा। इस मामले में ऐसी व्यवस्था करें कि चीनी के धन्धे में नुकशान न हो। स्टाफ बढ़ाने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दें क्योंकि उतने स्टाफ से इतना बड़ा और मुश्किल धन्धा नहीं हो सकता।

अगली बात में वह कहूंगा कि एक न्याय पंचायत स्तरीय समिति का गठन हुआ था जो 1978 में बन्द कर दी गई थी। मैंने अपने जिले में देखा कि 6-6 न्याय पंचायत के लिए कोई समितियां नहीं है। दस-दस मील का लम्बा क्षेत्र है जहां कोआपरेटिव की कोई समिति नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी निवेदन करूंगा कि न्याय पंचायत स्तरीय समितियों के गठन के लिए दुबारा विभागीय अधिकारियों को निर्देश दें। वे कुछ समितियों का गठन करें जिससे कि कार्य क्षेत्र कम हो और विभाग की कार्य क्षमता बढ़े।

इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। सत्यापन का कार्य जनता शासन ने कराया था। वैसे यह स्टेप पहले से ही कांग्रेस का प्रपोज्ड था। उस में करीब 20 करोड़ माफ किया गया। आगरे डिवीजन में पांच जिले हैं। मथुरा में 90 लाख, अलीगढ़ में 80 लाख, आगरा में 80 लाख, मैनपुरी में 60 लाख, एटा में 62 लाख होना चाहिए था जबकि 14 ही लाख मिला। यह राजनीतिक स्वार्थ के कारण हुआ है। इसकी जांच कराई जाय। इसमें अधिकारी तथा तत्कालीन राजनीतिज्ञ इनवाल्व थे। सत्यापन का काम फिर से शुरू किया जाय।

इन सुझावों के साथ मैं जो माननीय वर्मा जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, जो तथ्य हीन है, सच्चाई से परे है, उसका विरोध करता हूं।

श्री नन्द किशोर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, आप देखें, सहकारिता विभाग के लिये वर्ष 1980-81 के बजट में भूमि विकास बैंक द्वारा 70 करोड़ रुपये के ऋण देने की योजना थी और उसमें काश्तकारों के लिए बिजली के मोटर खरीदने की बात कही गई थी लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 1980-81 में केवल 5 मोटर ही खरीदे गये। आपके विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने आपको धोखे में रखा। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वे सदन की एक कमेटी बनाकर जांच करा दें कि आखिर केवल बिजली के 5 मोटर ही क्यों दिये गये। बाद में यह मालूम हुआ कि इन अधिकारियों ने इसके सम्बन्ध में घोटाला किया है। इसलिए इस मामले का

[श्री नन्द किशोर सिंह--]

विधिवत् जांच होनी चाहिये । दूसरी बात यह है कि आपके विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है और जो जांच करने के लिये जो सेल बनाया गया है जैसे कि देवरिया जिले की 25/30 सोसाइटियों में एक लाख से लेकर ढाई लाख तक का गबन किया गया है । उसके लिए एक डिप्टी रजिस्ट्रार जांच करने के लिये मधुबनी ब्लाक गये लेकिन वहां के सचिव ने लाठी डन्डे से उन लोगों के ऊपर हमला कर दिया जिन्होंने कि उसके सम्बन्ध में शिकायत की थी । यह क्या जुल्म हो रहा है, यह देखने की बात है ? इस तरह की घटनायें हमारे जिले में हो रही हैं और इसको रोकने में आप और आपका यह विभाग बिल्कुल अक्षम साबित हुआ है ।

मैंने पिछली बार कोआपरेटिव मीटिंग में यह बात कही थी कि देवरिया जिले की सुकरौली ब्रांच में एक मैनेजर श्री रामजी शुक्ल हैं उन्होंने उसमें गबन किया था, उनको गिरफ्तार भी किया गया था लेकिन आपके विभाग के बड़े अधिकारियों के कारण वह सस्पेन्ड नहीं हुआ । वह जेल भी गये थे । आपका जो कोआपरेटिव में जांच का सेल है उसने भी उनको सस्सपेन्ड की कार्यवाही नहीं किया । इस तरह से आपके विभाग के कारनामे हैं । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका यह विभाग नीचे से ऊपर तक या ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है । देवरिया में जो सहकारी संघ है, जो कन्ज्युमर स्टोर है जिसमें कपड़ा गरीबों को देने के लिय आता है उसमें आधा से ज्यादा कपड़ा गोदाम से आते ही सेल हो जाता है और गांवों तक पहुंचने से पहले ही बाहर बिक जाता है और केवल 5 से 7 प्रतिशत तक कपड़ा ही वहां वितरण के लिए पहुंच पाता है । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसके सम्बन्ध में भी जांच पड़ताल कर लें । मैं समझता हूं कि जिस दिन कपड़े का एलाटमेन्ट होता है उस रात में ही यदि छापा मार दिया जाय तो पता चल जायेगा कि वह कपड़ा कहां जाता है । तो यह देखने की बात है ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के पास खाद्य एवं रसद विभाग भी है । इस विषय में कहना चाहता हूं कि नवम्बर से लेकर फरवरी तक सरकारी नियंत्रण की चीनी कोआपरेटिव की दूकानों पर नहीं पहुंची है और पब्लिक सेक्टर की दूकानों पर ब्लैक की गई है । एक छटांक चीनी भी काश्तकारों को नहीं दी गयी है । देवरिया में सहकारी समिति बरवामीर छाप के किसानों को एक छटांक भी चीनी नहीं दी गयी। इस सम्बन्ध में मैंने शिकायत की थी और आपको चिट्ठी लिखी थी । उसके सम्बन्ध में आपने लिखा कि मैं इसकी जांच करवा रहा हूं । अभी तक जनवरी का कोटा भी नहीं दिया गया है । वे कहते हैं कि यदि प्राइवेट सेक्टर वाले नहीं देंगे तो हम भी नहीं देंगे । मैं चाहूंगा और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि आपने इसको अपने हाथ में लिया है तो आप किसानों को यथासमय उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी करें ।

जहां तक खाद का सम्बन्ध है इसको भी आपके गोदामों से 140 से 150 रुपये तक ब्लैक में बेचा गया है । इसके बारे में भी मैंने आपको पत्र लिखा कि गोदामों से यूरिया खाद ब्लैक मार्केट में बेची गयी है ।

मान्यवर, पिछली बार जिले के अधिकारियों से मैंने शिकायत की थी कि आप ऐसी दो-तीन दुकानों को देख लीजिये और पता कर लीजिये कि चीनी की क्या हालत है ? उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हम मेहनत करते हैं, लेकिन वे कागज-पत्र बनाकर ठीक-ठाक दे देते हैं । तो मैं चाहूंगा कि उस पर भी निगाह रखी

जाय और जो चीनी और तेल का सवाल है मैं समझता हूं कि अगर कड़ाई नहीं होगी तो वह बिलकुल नहीं मिलेगा। खाद तो आप दे नहीं पाये अब चीनी कसे दे देंगे।

तीसरी बात मुझे आपसे यह कहनी है कि आपने उत्तर प्रदेश में जो किसानों के नाम पर किसान सहकारी समितियां बनायी हैं उसमें जो 5 लाख से ऊपर लोन दिखा कर उनको सहकारी समिति बना दिया है इसमें अधिकारियों ने 99 फीशदी किसान सहकारी समितियां जो हैं वह फर्जी घोषित की हैं और उसमें एक एम0 डी0 बना दिया है। ऐसी कई सोसायटीज हैं जिनकी 3 और 4 लाख की ही लोनिंग है। बिना मतलब के उसमें एक एम0 डी0 नियुक्त कर दिया है। तो मैं चाहूंगा कि इस बात की जांच होनी चाहिये।

इसके साथ ही जो आपके सहकारी सचिव हैं उनको इस महंगाई में केवल दो सौ सवा दो सौ रुपया तनख्वाह दे रहे हैं इससे उनका कैसे गुजारा होगा। पहले तो वह घर के नजदीक रहते थे तो कुछ घर का काम करके अपना गुजारा कर लेते थे लेकिन 5, 10 मील उनको दूर कर दिया है। इसी तरह बी0 एस-सी0 ए0 जी, लड़कों को जो पर्यवेक्षक के रूप में रखा गया है उनको भी दो सौ और दो सौ तीस रु0 आप महीने में दे रहे हैं। पिछले महीने तो उनको नौकरी से निकालने के कोशिश की थी लेकिन वह रह गये हैं। मैं चाहूंगा कि उनके वेतन में बढ़ोत्तरी कर महंगाई भत्ता पूरा दिया जाय। इन शब्दों के साथ जो कटौती का प्रस्ताव माननीय धनीराम वर्मा जी ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

कोरम नहीं है। माननीय सदस्य बैठ जायं (संसदीय कार्य मंत्री के आने पर) माननीय मंत्री जी, आप इस बात का ध्यान रखें कि कोरम बना रहे। यह जिम्मेदारी सरकार की है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीया आपकी आज्ञा स्वीकार्य है, मैं इसका निर्देश दूंगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सहकारिता, खाद्य व रसद विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। यह सौभाग्य की बात है कि सहकारिता और खाद्य रसद विभाग एक ही मंत्री के पास हैं क्योंकि खाद्य, रसद और सहकारिता का जनमानस के जीवन से बहुत नजदीक का और गहरा सम्बन्ध है। माननीय सहकारिता मंत्री जी ने कुछ घोषणायें की हैं। बहरहाल बहुत अच्छा काम किया है और विकेन्द्रीकरण वह कर रहे हैं और वितरण प्रणाली को ब्लाक स्तर पर ले जा रहे हैं। अब तक ग्रामीण अंचल के लोगों को बड़ी भारी दिक्कत और परेशानी होती थी कि सीमेन्ट का पता ही नहीं चल पाता था कि कितनी सीमेंट आई और कब कितने का वितरण हो गया और कब वह समाप्त हो गया? मैं मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि जब सीमेन्ट का कोटा आए तथा दूसरी जो चीजें आयें—नियन्त्रित मूल्य का कपड़ा आदि उन सब चीजों के आगमन के सम्बन्ध में प्रकाशन अखबारों में आना चाहिये और उनकी सूची जिला

[श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--]

आपूर्ति कार्यालय में लगी होनी चाहिये कि इस जनपद में, इस तारीख को इन-इन चीजों का इतना-इतना कोटा आया है। जिससे जन समान्य को और हम जन प्रतिनिधियों को सही वस्तुस्थिति का पता चल जाएगा और इसकी वजह से आपूर्ति व्यवस्था के अधिकारियों में विद्यमान भ्रष्टाचार का हम पता लगा कर उस पर अंकुश लगा सकेंगे।

खाद्य रसद कार्यालय के अतिरिक्त ब्लाक स्तर के कार्यालय तथा तहसील में भी इसकी सूचना लगी होनी चाहिये। आपने अनुसूचित जाति के लोगों को 5 लाख रुपया ब्याज रहित ऋण के तौर पर देने की जो घोषणा की है यह एक स्वागत योग्य कदम है। अब इसके साथ ही सरकार के यह देखने की चीज है कि यह ब्याज रहित ऋण सही लोगों को सही तौर पर वितरित हो जाए, उसमें कोई भ्रष्टाचार न होने पाए। इसके बारे में सरकार को और हम लोगों को भी पूरा ध्यान देना होगा। हमारे वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसमें कहा है- उन्होंने बड़ी चिन्ता व्यक्त की है बहुत से गोर्डों को और खास कर मथुरा के बोर्ड को भंग करने के बारे में उन्होंने कहा है कि कि मथुरा बोर्ड को भंग करने की बहुत जल्दी साजिश की जा रही है।

ऐसी कोई बात नहीं है, आप इस मामले में बहुत माहिर हैं और आपने असेम्बलियां तक भंग की हैं जो अनुचित काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुये है, उनको भंग हमें करना ही पड़ेगा। मथुरा में बड़ा भ्रष्टाचार और गोलमाल है। मैं तो निवेदन करूंगा कि अलीगढ़ के संचालक मंडल ने भी बहुत सी अनियमितताएं बैंक में कर रखी हैं, इसलिए उसको भी तुरन्त से तुरन्त भंग किया जाना चाहिये।

आपने न्याय पंचायत स्तर पर वितरण प्रणाली को ले जाने की जो बात कही है, यह बहुत सुन्दर बात है। इसका कार्यान्वयन जल्दी से जल्दी हो, यह अति उत्तम होगा। आप न्याय पंचायत स्तर पर जो वितरण केन्द्र खोलें, उसमें ग्रामीण युवकों को रोजगार देने की व्यवस्था करें, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है कि रोजगार कैसे मिले, किस माध्यम से मिले। क्योंकि गांवों तक कोई अखबार या मैगजीन नही पहुंच पाती है। शहरों में तो यह सब पता चल जाता है। तो यह अच्छा होगा कि हर न्याय पंचायत स्तर पर अब आप वितरण केन्द्र खोलें तो ग्रामीण युवकों को सेल्स क्लर्क या सेल्स एकाउन्टेंट जो भी पद हों, उन पर नियुक्ति की जाय। यह बहुत ही पुनीत और अच्छा कार्य हो जायेगा। एक सुझाव मैं और वितरण प्रणाली के बारे में देना चाहता हूं और वह यह है कि आजकल वितरण व्यवस्था का कार्य आपूर्ति विभाग, सहकारिता विभाग और एफ0 सी0 आई0 तीन विभागों से मिल कर होता है।

हमारी दिक्कत यह है कि एफ0 सी0 आई0 पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। वहां पर न तो जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई होती है और न सरकार की। इसलिए इस वितरण व्यवस्था में से एफ0 सी0 आई0 को हटाकर यह कार्य पी0 सी0 एफ0 या डी0 सी0 डी0 एफ0 को दे दिया जाय, ताकि उस पर सरकार का या जनप्रतिनिधियों का कोई अंकुश हो सके। माननीय मेरा निवेदन है कि सत्यापन के जो कार्यक्रम चले वे थोड़ी सी अवधि में चले। फर्जी लोनिंग भी हर जगह पर है। मेरा अनुरोध है कि अगर सत्यापन के कार्य को फिर चालू कर सकें तो अच्छा होगा।

सीमेन्ट का जहां तक सम्बन्ध है वह देहात के क्षेत्रों में रहने वालों को कम और शहरी क्षेत्रों में रहने वालों को ज्यादा मिल जाता है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इसमें कोई अनुपात निश्चित कर दें।

जहां तक चीनी के वितरण का प्रश्न है मैं इस बात से सहमत हूं कि सहकारी समितियों के द्वारा होना चाहिए लेकिन यह आवश्यक है कि उस पर आपका नियंत्रण हो, चैक हो। अलीगढ़ जनपद में जो चीनी का कोटा आया उसे सरकारी तंत्र से मिलकर गड़बड कर लिया। सहकारी समितियों ने अवश्य ही वितरण की है लेकिन जिन व्यक्तिगत लोगों के पास चीनी का कोटा था उनके द्वारा 90 प्रतिशत चीनी का घोटाला करके लाखों रुपया कमा लिया गया है। मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे इस मामले की जांच करवायें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। प्रस्तावित बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीया अधिष्ठात्री महोदया, माननीय वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और माननीय खाद्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका विरोध करता हूं।

माननीय मंत्री जी ने स्वतः स्वीकार किया है कि सहकारिता एक दर्शन है और मंत्री जी हमारे दार्शनिक हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि समाजवाद लाने के लिए सहकारिता का होना आवश्यक है। जो समाजवाद गत 30 वर्षों में हमारे प्रदेश में आया है उसकी तस्वीर हमारे सामने है। माननीय मंत्री ने यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार का प्रतिशत भी कम हुआ है। मेरी उनसे प्रार्थना है कि अगर वे अपने ज्ञान का सत्यापन करें तो उन्हें ज्ञान होगा कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, घटा नहीं है। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी किसी कारण से अपनी आस्था व्यक्त की, लेकिन उनके द्वारा जिस चीज को गांव तक पहुंचाने की बात की गई है, यह नहीं बताया कि उसका माध्यम क्या होगा, अपरेटस और संगठन क्या होगा? यह प्रणाली किस प्रकार से कारगर साबित होगी, यह प्रश्न चिह्न लगा हुआ है? मेरा उनसे अनुरोध है कि इस प्रणाली को कारगर और मजबूत बनाने की एक व्यवस्था करें जिससे जो कठिनाइयां अब तक रही हैं, उनका निराकरण हो सके।

सहकारिता के सम्बन्ध में, मैं अपने जनपद गोरखपुर का एक उदाहरण देना चाहता हूं। न जाने कितने आरोप-पत्र शासन के पास आये, बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के और माननीय सदस्यों ने भी किये। वहां पर जो अधिकारी होते हैं उन्होंने 22 लोगों की भर्ती की। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि 5,000 रुपया लेकर प्रत्येक कैन्डीडेट को नियुक्त कर दिया। न कोई योग्यता और न कोई रिजर्वेशन का ध्यान किया गया। जो वहां पर संगठन था, उनके द्वारा विभागीय नियमों और शासनादेशों का खुले रूप से उल्लंघन किया गया। गोरखपुर सहकारिता बैंक में किस प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसकी पूरी जांच करायें। इस मामले में प्रदेश के वरिष्ठ सार्वजनिक व्यक्तियों का हाथ है। मेरी प्रार्थना है कि उस बैंक को शासन अपने अधिकार में ले।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---]

वहां का एक सचिव मामूली सा क्लर्क होता है। वहां के उपाध्यक्ष ने अस्पताल में भर्ती रह कर भी 25 हजार रुपये का टी० ए० बिल लिया है। ये सारी बातें शासन के संज्ञान में लाई गईं लेकिन आज तक भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। यहां पर हर व्यक्ति जनता पार्टी का नाम लेता और जब तक वह नाम नहीं लेगा वह अपनी बात समाप्त नहीं करता है। जनता पार्टी की चर्चा तो पूरे देश में है। सामान्य रिक्शा पुलर और प्रबुद्ध आदमी भी जनता पार्टी को याद कर रहा है। जिस सत्यापन की बात कही जा रही है वह भी जनता पार्टी के शासनकाल से आरम्भ हुई थी। इसके प्रति 30 वर्ष की अवधि में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था।

जहां तक टैक्सेशन वसूल करने की बात है जिसमें टैक्स देने की क्षमता हो उससे वसूल किया जाय। लेकिन जिनके पास सहकारिता का कर्जा बढ़ता जा रहा था और जिसमें कुछ फर्जी भी था जनता पार्टी की सरकार ने उन छोटे लोगों पर माफ करने का अपना संकल्प दोहराया था और उसी के तहत 50 सौ करोड़ रुपया हम लोगों ने, उस सरकार ने माफ करवाया था। मैं आपसे पुनः मांग करता हूं कि वह सिद्धान्त, वह नियम, वह मान्यतायें यह सरकार भी लागू करे और जिनके ऊपर फर्जी लोनिंग दिखलाई गई है, या जिन्होंने लोन लिया ही नहीं है या ऐसे गरीब हैं, जिनके पास लोन देने की क्षमता नहीं है, उसे माफ किया जाय। जहां तक दूसरे विभाग का सवाल है, उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि गोरखपुर-नेपाल का बार्डर है, तस्करों का अड्डा है। वहां पर एक डीजल आयल का डीलर है, उसके स्टाक में कई हजार लीटर मिट्टी का तेल था, दूसरे दिन उसको उसने नेपाल में फर्जी नामों से बेचा था। वहां से कम से कम 25 फीसदी डीजल नेपाल के बार्डर पर जाता है। 5 प्रतिशत सामान ऐक्चुअल कंज्युमर को नहीं मिलता है।

गोरखपुर ऐसा स्थान है, जहां से डीजल और मिट्टी का तेल नेपाल के बार्डर और बंगला देश को जाता है। उनके एकाउन्ट्स गोरखपुर के बैंकों में देखने को मिलेंगे। आप वहां के डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक को भंग कराये और सारे मामलों की जांच करायें। वहां पर हर जगह राजनैतिक हस्तक्षेप है। हमारे जिले के मंत्री जी भी हैं, माननीय उपाध्यक्ष भी हैं और दूसरे वरिष्ठ लोग भी हैं। मैं चाहता हूं कि इसकी उच्चस्तरीय जांच करायें। मैं एक उदाहरण और भी देना चाहता हूं कि जिस आदमी का चालान हो जाय, चार्जशीट लग जाय, उसका लाइसेंस सस्पेंड-कर दिया जाय। हमारे यहां एक मंगलराम सेठ हैं, गोखली, गोरखपुर में, लेकिन आज तक उसका लाइसेंस सस्पेंड नहीं हुआ। राम अवध हैं, उसका लाइसेंस आज तक नहीं सस्पेंड हुआ, जेल में भी वह रहा। आप कहते हैं कि स्वच्छ प्रशासन देंगे। आप किस प्रकार से स्वच्छ प्रशासन देंगे? मैं पूछना चाहता हूं, आप जवाब दीजिए।

पिछले 6 महीने में जब से आप शासन में आये हैं कितने लोगों का चालान हुआ और कितने लोगों का लाइसेंस खत्म किया है। मैं चाहता हूं कि यह प्रशासन अक्षम है, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने इनको एलाटमेंट किया, जो आवंटन उत्तर प्रदेश के लिए हुआ डीजल का, मिट्टी के तेल का, चीनी का उसको आपने लिफ्ट नहीं किया। इसलिए यह जो क्राइसेस है, इस प्रदेश में, उसी का यह द्योतक है। एक चीनी का व्यापारी लिफ्ट करता है और सीधे वह चीनी पाकिस्तान को चली जाती है। हमारे सामने गेहूं खरीद का सीजन आ रहा है। मैं चाहता हूं इस मामले को भी आप सुनिश्चित करें कि सभी क्रय केन्द्रों को बराबर बोरा मिले। उस

समय आपको यह कहने का मौका नहीं मिलना चाहिये कि मेरे पास बोरा नहीं है। मैं चाहता हूं कि बोरे की कमी दूर कर दी जाय ताकि समय से वह कार्य पूरा हो सके। इन शब्दों के साथ जो कटौती का प्रस्ताव है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

*श्री आजाद कुमार कर्दम––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो हमारे खाद्य और सहकारिता के मंत्री जी ने बजट रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और विरोधी दल के कटौती का विरोध करता हूं। मान्यवर, मैं पहली बार इस विधान सभा में चुन कर आया हूं। मान्यवर, पहले मेरा अरमान था कि चुनने के बाद मैं उस गरीब जनता के लिए और प्रदेश के लिए कुछ करूं। लेकिन जब मैं यहां चुनकर आया तो देखा तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। हमारे साथी जब उधर बैठते थे, तो वही कहते थे और जो इधर बैठते थे वे उधर जाकर वही कह रहे हैं कि हम बेईमान नहीं हैं। यह समझना ही मुश्किल हो रहा है कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। लेकिन चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, हमारे साथी यह नहीं जान रहे हैं कि इस प्रदेश का नाश आई0 ए0 एस0 आफिसर्स कर रहे हैं और नेताओं को आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आज हर डिपार्टमेंट के ऊपर आई0 ए0 एस0 बैठा है। चाहे उसको उस विभाग की जानकारी हो या न हो। इस बात को कोई देखने वाला नहीं है। इस तरह से ये अधिकारी मनमानी करते हैं और गरीब जनता का खून चूस कर अपना पेट भरते हैं।

मान्यवर, आगरा में कितने विधायकों ने और लोक सभा के सदस्यों ने आगरा के ए0 डी0 एम0 (सिविल सप्लाईज) के खिलाफ शिकायत की और कहा कि यहां इतने ऊंचे पैमाने का गोलमाल हो रहा है। इसकी ओर ध्यान दें। हमारे मंत्री जी ने आदेश किया लेकिन बावजूद सारे एम0 एल0 एज0 और एम0 पीज0 की शिकायत के उस ए0 डी0 एम0 (सिविल सप्लाईज) ने बड़ी मोटी रकम देकर अधिकारियों का मुंह बन्द कर दिया। इस तरह से देखें कि मान्यवर, ये अधिकारी जो इस प्रदेश का नाश कर रहे हैं, यह बड़े दुख की बात है। हमारी सरकार तमाम नीति बनाती है कि गरीब जनता का लाभ हो, किसानों और हरिजनों का लाभ हो। लेकिन तमाम नीतियों के बनाने के बावजूद भी ये अधिकारी मनमानी करते हैं। जिसको चाहते हैं, देते हैं, जिसको नहीं चाहते ठुकरा देते हैं।

आगरा के ए0 डी0 एम0 (सिविल सप्लाईज) के बारे में बताना चाहता हूं कि जब जनता के प्रतिनिधि जाते हैं, तो आफिस में नहीं मिलते। टेलीफोन करते हैं, तो मना करवा देते हैं। जो गरीब जनता की सिफारिश करते हैं, तो उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है और उन्हीं दलालों की सिफारिश पर 20–20 बोरी दे दिया जाता है क्योंकि उसमें उनको 10–10 रुपया ए0 डी0 एम0 साहब को मिलता है और जनता को प्रतिनिधियों की सिफारिशों को कूड़े में फेंक दिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री आजाद कुमार कदम--]

जाता है। तो मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा कोई नियम बनाया है कि जनता के प्रतिनिधियों को कोई प्रायरटी मिलेगी या नहीं ?

आपको मान्यवर, याद होगा कि हमारे मुख्य मन्त्री जी ने आदेश किया था कि कोई अधिकारी का तबादला नहीं किया जायेगा और न रोका जायेगा। लेकिन शायद हमारे मंत्री जी की नालेज में यह नहीं था और यहां जो अधिकारी हैं, एक हरिजन डी0 एस0 ओ0 का नजायज तरीके से उक्त ए0 डी0 ओ0 महोदय ने तबादला कर दिया, जबकि ऊपर से आदेश है कि तबादला नहीं किया जायेगा। इसके अलावा, जो वहां कई सालों से गोलमाल कर रहे हैं, उनका तबादला रोक दिया गया है। किस कारण ओर किसने रोका, लेकिन रोक दिया, सबूत है।

मान्यवर, अभी 18 तारीख को जब एक हरिजन कार्यकर्ता विधायक की लिखी हुयी अप्लीकेशन सीमेंट के लिये लेकर गया तो कुर्सी पर बैठा तो उसको हरिजन कहकर कुर्सी से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। इसके लिये ए0 डी0 एम0 वर्मा के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 लिखाई है और 4/7, 323 और 504 में केस दर्ज हुआ है।

(शेम शेम की आवाजें)

इससे यह साफ जाहिर हो जाता है कि वह ए0 डी0 एम0 हरिजन विरोधी है। उसके पहले डिप्टी डी0 एस0 ओ0 को भी बेइज्जत किया है। यह मारपीट की इसकी पहली हरकत नहीं। पहले भी हरकतें किया है। अभी एक कार्यकर्ता मिलने गया था। जब वह कुर्सी से खड़ा नहीं हुआ तो उसको मारपीट कर निकाल दिया गया और कहा कि साले तुम खड़े नहीं हुये, मेरे आने पर।

(शेम शेम की आवाजें)

आपका ध्यान एक बात की ओर और दिलाना चाहता हूं कि जब माननीय मुख्य मन्त्री जी आगरा 7 फरवरी, 1981 को गये तो वहां जिन दुकानदारों ने वहां के ए0 डी0 एम0 के भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ शिकायतें की और नारे लगाये तो माननीय मुख्य मन्त्री जी से वापस होने के दूसरे ही दिन सिविल सप्लाई के अधिकारियों ने उन लोगो की दुकानों को कैन्सिल कर दिया और उल्टी-सीधी एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गयी उन लोगों के खिलाफ जब कि वे दुकानदार ऐसे नहीं हैं, उनके खिलाफ जनता में कोई शिकायतें नहीं हैं। ऐसा केवल इस लिए किया गया कि उन लोगों ने उन ए0 डी0 एम0 महोदय के खिलाफ माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने शिकायतें क्यों की। इसी रंजिश की बिना पर, उनको परेशान किया गया।

दूसरा मान्यवर, एक मामला वहां का और प्रकाश में आया कि एक साथ ए0 डी0 एम0 द्वारा 3 दुकानें कैन्सिल की जाती है और फिर उसके दूसरे ही दिन उन्हें स्टे देकर बहाल भी कर दिया जाता है ऐसा किन परिस्थितियों में हो गया, किस आधार पर हो गया ? कुछ पता नहीं चल सका। तीसरा मान्यवर, एक चीनी का मामला भी प्रकाश में आया है कि ए0 डी0 एम0 साहब द्वारा 3 दुकानों की चीनी जो पास ही पास दुकान हैं, इधर-उधर करके लाखों रुपया कमाया गया

है और वह चीनी गरीब किसानों और गरीब लोगों के बीच नहीं पहुंच सकी, बल्कि उसका गलत प्रयोग कर भ्रष्टाचार किया गया ।

मान्यवर, मैं एक बात और माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के काले चिट्ठे उन्हें रोज अखबारों में देखने को मिलते होंगे और सरकार का ध्यान बराबर इस ओर आकृष्ट किया जा रहा है । सेठी साहब ने चीफ सेक्रेट्री को लिखा भी था कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को निकाल देना चाहिये । लेकिन मान्यवर, अब तक 7 महीने होने को आ गये हैं, अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी है । और आज भी ठाठ से कुर्सी पर बैठा है । किसानों, गरीब जनता और जन प्रतिनिधियों को बराबर गाली देता है, इससे हम सभी माननीय सदस्यों को ठेस पहुंची है और हम अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पुनः आग्रह करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। अतएव मैं फिर से अपने बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और विरोधीदल के लोगों ने जो कटौती का प्रस्ताव रक्खा है, उसका विरोध करता हूं ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, यह दोनों विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । सहकारिता और खाद्य एवं रसद । माननीय मंत्री जी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात यहां कही है और मैं समझता हूं कि सहकारिता के माध्यम से सार्वजनिक बितरण प्रणाली जो है, वह सही ढंग से लागू नहीं हो सकती । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में हालांकि यह केवल उपदेश देना ही होगा । फिर भी यदि सरकार चाहे तो कोई कारगर तरीके से सोचकर कुछ करेगी तो अच्छा नतीजा निकलेगा । सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब होता है, थोक व्यापार । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार और माननीय प्रोफेसर, वासुदेव जी थोक व्यापार करने के लिए तैयार हैं ? यह बहुत ही अहम प्रश्न है । अगर आप यहां तक जाने के लिये तैयार हैं । तब तो उसके लिए व्यवस्था करने की बात आती है । तब उसके लिए सभी आवश्यक वस्तुओं के प्रबन्ध भी करने होंगे और जब तक आवश्यक वस्तुओं का प्रबन्ध नहीं किया जायगा तब तक जन वितरण प्रणाली उपयोगी नहीं हो सकती ।

मैं समझता हूं कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है और राम रतन जी जब मंत्री नहीं हुये थे तो उन्होंने मुझे एक दावतनामा भी दिया था कि इस व्यवस्था के बारे में कुछ बात माननीय मुख्य मंत्री जी करना चाहते हैं । दुर्भाग्य की बात यह हुई कि मीटिंग में न वह रहे न मैं रहा न बुलाया ही गया, कोई बात नहीं । यह मंत्री हो गये मेरा निवेदन है कि इस पर गम्भीरता से सोचें । मैं इसलिये यह कह रहा हूं कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करना चाहती है ।

मान्यवर, सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली को लागू करने से लाखों-लाख लोगों को रोजगार दिया जा सकता है । इसके लिये अलग से व्यवस्था करनी होगी । मैं अब आता हूं पिछले साल पर 1980-81 का जो वर्ष रहा । यह कोई औचित्य नहीं है कि 117 रुपये कुन्तल में किसान का गेहूं खरीदा जाय और जो

[श्री ऊदल]

खरीद कर खाते हैं और आज खरीद रहे हैं वह 2 सौ और ढाई सौ रुपया कुन्तल खरीद रहे हैं। इससे न तो किसान को कोई लाभ मिला और न उपभोक्ताओं को ही कोई लाभ मिला। इसका कोई इलाज सरकार के पास नहीं है। मैं खाद्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं और खाद्य विभाग बतायें कि इसका क्या औचित्य है ? इसी तरह से धान के बारे में है। चावल सस्ता नहीं हुआ उसकी कीमत कम नहीं धान के बारे में कहा गया कि बम्पर पैदावार हुई हमारे भाई बलराम सिंह जी जो मन्त्री हैं बयान दिया और आज मैंने पूछा तो मंत्री जी ने कहा कि यह आंकड़ों का जाल है। आंकड़ों के भ्रमजाल में यह पूरा प्रदेश फंसा हुआ है।

मैं समझता हूं कि इस समस्या को समाप्त करना चाहिये और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अगर ठीक करना है तो सारी वस्तुओं को खाद्य विभाग को लेना चाहिये। इस तरह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली नहीं चलेगी। मान्यवर, चीनी के यहां तीन-तीन भाव हैं। मैं केशरी नाथ पांडे से कहना चाहता हूं कि यह हमारे भाई, एक साढ़े 3 रुपया किलो, दूसरी साढ़े छः रुपया किलो और तीसरी के बारे में कहना चाहता हूं कि राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट अन्त समय पछतायेगा जब प्राण जायेंगे छूट। तो मैं कहना चाहता हूं कि भाव एक होना चाहिये। दुनिया में भाव बढ़े हैं यूरोप के चाहे जिस देश में आप चले जायें एक-एक हजार किलोमीटर तक आपको एक ही भाव मिलेगा और यही नहीं आपको भाव पूछना भी नहीं पड़ेगा हर चीज पर दाम लिखा रहता है और कहीं भी एक पैसा का फर्क नहीं होता है। इसलिये एक भाव निश्चित करना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक है वरना यह चलने वाली नहीं है।

[2 बजकर 40 मिनट]

तो मैं कहना चाहता हूं कि नया बाजार है आपका, इसमें कितना कपड़ा नियंत्रित दाम का आता है, सब का सब ब्लैक में जाता है। सहकारिता सचमुच में समाजवाद की नींव हो सकती है लेकिन आज जो हालत है सहकारिता की इस देश में, किसी से छिपी नहीं है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। किस तरह से सुधार हो सकता है इस सम्बन्ध में हर तरह के लोग यहां हैं, नेहरू जी ने सहकारिता पर पुस्तक लिखी और मोहन सिंह जी अध्यक्ष थे, चौधरी चरण सिंह ने नागपुर में इसका विरोध किया और एक इतना मोटा पोथा लिख दिया।

अगर पूंजीवाद को तोड़ना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं तो समाजवाद के माध्यम से उसकी नींव पड़ सकती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार पूंजीवाद को तोड़ेगी ? लेकिन यह सरकार इसके लिये तैयार नहीं है। इसके लिए पहले नीयत ठीक होनी चाहिये। मंत्री जी ने भाषण करते समय बड़ी अच्छी-अच्छी बातें सुनायीं, मुझे एक शेर याद आ गया, मैं शायरी तो करता नहीं, लेकिन याद आ गया कि "दिल को बहलाने को गालिब यह खयाल अच्छा है।" खयाल तो अच्छा है, दोनों मंत्री भी अच्छे हैं राम रतन सिंह और वासुदेव सिंह, दोनों का सहकारिता में, समाजवाद में विश्वास है और वितरण प्रणाली पर भी विश्वास है, इसलिये मैं चाहता हूं कि एक सेमिनार करें और जिसकी उसमें आस्था हो उसे बुलायें कि कैसे लागू किया जा सकता है। इस बात को यहीं समाप्त करते हुये मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज मिट्टी के तेल की, डीजल की बड़ी किल्लत है।

मैंने बनारस में किसानों को लौटते देखा है । ट्रकें खड़ी हैं, बड़ा हाहाकार मचा है, तो आपके पास बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है, देहात में सीमेन्ट नहीं मिलती, शहरों में नक्शा पास हो जाता है बड़े-बड़े मकानों का, देहात में अगर कोई बड़ा मकान बनाना चाहे तो उसके लिए भी सीमेन्ट आवंटित करें । लोगों की सीमेन्ट की कठिनायी दूर कीजिये । आप तो अब मन्त्री हो गये । उससे पहले आपको भी मालूम था कि ब्लैक में बिक रही है । इसको दूर कीजिये । इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री रिजवानुर्रहमान किदवई--

माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने सहकारिता के बजट पर बोलने का अवसर दिया और साथ ही माननीय सहकारिता मन्त्री द्वारा प्रस्तुत सहकारिता के बजट का समर्थन करता हूं । जो बातें माननीय सहकारिता मन्त्री जी ने रखी हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत अच्छी हैं । इसके साथ-साथ मैं कुछ सुझाव मंत्री महोदय को आपके माध्यम से देना चाहता हूं ।

पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि कोआपरेटिव के सुपरवाइजर बैंक के अधीन न रहके ए0 आर0 के अधीन रहते हैं जब कि कोआपरेटिव बैंक का सारा काम उनके सुपुर्द है । उनके माध्यम से सारी वसूली में तेजी लाने और उनके माध्यम से कोआपरेटिव के सारे काम होते हैं । मेरा एक सुझाव है कि ये कोआपरेटिव सुपरवाइजर्स कोआपरेटिव बैंक के अधीन रहने चाहिये क्योंकि उनकी सारी तनख्वाह, उनका वेतन कोआपरेटिव बैंक के जरिये से मिलता है और कोआपरेटिव बैंक जब उनका वेतन देती है तो उन्हीं के अधीन उनको काम करना चाहिये ।

दूसरी बात, मैं ब्लाक स्तर पर जाना चाहता हूं । ब्लाक स्तर के ऊपर जो आपके ए0 डी0 ओ0 कोआपरेटिव सोसायटी के होते हैं, वे भी बैंक के अधीन नहीं हैं । मान्यवर, वे सरकारी अफसर हैं जो सीधे बी0 डी0 ओज0 के अधीन आते हैं । जो बी0 डी0 ओ0 कहता है वे उसके ऊपर अमल करते हैं न कि बैंक या कोआपरेटिव की सहायता करते हैं । हालांकि कोआपरेटिव के ए0 डी0 ओज0 जो होते हैं उनका काम कोआपरेटिव के सारे काम को देखना है, उनकी वसूली को देखना, जो छोटी सोसायटीज हैं ग्राम लेविल की, उनका इन्सपेक्शन करना, उनका आडिट करना, जो आडिट रिपोर्ट्स होती हैं उनकी कम्प्लायंस करना, यह सब उनके काम में आता है लेकिन चन्द ही वे बी0 डी0 ओ0 और ए0 आर0 के अण्डर में आते हैं, बैंक का उन पर कोई अंकुश नहीं लगता है इसलिये मेरा यह सुझाव है कि उनका सम्बन्ध बैंक के थ्रू रखना चाहिये और उसका तरीका एक यह होना चाहिये कि जो कैरेक्टर रोल में एण्ट्री की जाती है, उसका एक सुझाव उसकी एक रिपोर्ट बैंक के चेयरमैन के जरिये से भी मंगाकर तब कैरेक्टर रोल में एण्ट्री करनी चाहिये । एक बात मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कोआपरेटिव बैंक की वसूली के सिलसिले में कि बैंक अपना पैसा देता है सोसाइटीज को, वसूली करने के लिए उनके पास जो माध्यम है उसके लिये कुछ साधनों की आवश्यकता होती है । तो यह साधन जीप या दूसरा कोई साधन उसको दूसरे तरीके से मिलता है । पैसा वसूल करने

[श्री रिजकनुर्रहमान किदवई]

के लिये जीप बैंक देता है लेकिन उनका आदेश डी0 आर0 के जरिये लेना पड़ता है। डी0 आर0 से परमीशन लेकर वह जीप किराये पर ले सकता अन्यथा नहीं। तो मैं समझता हूं कि इस किस्म के जो अंकुश लगे हैं इससे वसूली के क्षेत्र में रुकावट होती है, मंत्री जी इसको हटाने की कृपा करेंगे। खाद में छूट दी जाती है। इस साल भी काफी छूट दी गयी है लेकिन उसका दुरुपयोग हुआ है।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस किस्म की छूट सीधे किसानों को न देकर कोआपरेटिव के माध्यम से देनी चाहिये। इसका सीधा तरीका यह होना चाहिये कि कोआपरेटिव के जरिये से सारा पैसा बैंक में जमा हो और सोसायटीज के जरिये उनको चेक देकर उसकी इन्ट्री उनके खाते में कर देनी चाहिये जिससे खाद में जो उनको छूट मिलती है वह इधर-उधर न होकर किसान को उसका लाभ मिल सके। एक बात मैं और कहना चाहता हूं और जिसका पहले भी तजकिरा हो चुका है कि गन्ना सोसायटीज जो हैं वह ऋण देती हैं 18 परसेन्ट के हिसाब से। जबकि हमारी जो सोसायटीज हैं वह 12 परसेन्ट के हिसाब से देती हैं। तो दो तरह की व्यवस्था कहां तक उचित होगी और इससे किसान को परेशानी और कठिनाई होती है। हम आप सभी जानते हैं, इसके लिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि यह भी कोआपरेटिव के जरिये से इसका वितरण होना चाहिये।

कैश क्रेडिट केन यूनियन्स का फिक्स होना चाहिये। जब यह फिक्स हो जायगा तो केन यूनियन्स कोआपरेटिव विभाग को पैसा देंगे और कोआपरेटिव विभाग वसूली केन यूनियन्स के जरिये से करेगा। इसका सूद कोआपरेटिव विभाग जितना और सोसायटीज से लेता है उतना ही केन यूनियन्स से लेगा इससे जो वसूली में परेशानी होती है वह नहीं होगी। इसके साथ ही माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं।

*श्री अकबाल हुसैन—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझको इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मौका दिया। मान्यवर, पिछले बजट में जब मैंने खाद्य और रसद पर कटौती का प्रस्ताव रखा था तो कहा था कि समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत जो आप गेहूं की खरीदारी करते हैं वह नीति गलत है। आपने 1.17 रुपये किलो पर गेहूं खरीदा था और आपने यह वादा किया है कि आप गेहूं का दाम 1.42 रुपये किलो देगें। लेकिन इस नीति का नतीजा है कि आज खुले बाजार में गेहूं नहीं है और आप सभी उपभोक्ताओं को गेहूं नहीं दे पाते हैं और गेहूं का दाम आज 2.25 रुपये और 2.40 रुपये है। इसीलिये मैंने कहा था कि समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत आपको सबसे पहले मूल्य की घोषणा करनी चाहिये थी और उसमें समन्वय इस तरह का रखना चाहिये था कि पूरे साल उपभोक्ता को एक ही मूल्य पर गेहूं या अन्य वस्तुयें मिलती रहें। मैं आपके माध्यय से कहना चाहता हूं कि यह जो समर्थन मूल्य योजना की नीति है आप उसमें संशोधन करें और इसको इस तरह से बनायें जिसे पूरे जिले में उपभोक्ताओं को एक ही मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो सकें। सीमेंट वितरण प्रणाली का जो जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया शायद पूरे प्रदेश को धोखे में ही रखा जायगा जैसे पिछले साल रखा गया और सीमेंट नहीं दे पाये। उम्मीद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह थी की सीमेंट की कमी पूरी हो जायगी लेकिन वह कमी सरकार पूरी नहीं कर सकी । जनपद गोंडा में पिछले सितम्बर से दिसम्बर तक एक बोरी भी सीमेंट का आवंटन नहीं किया गया । गोंडा बाढ़ग्रस्त जिला है । विशेष रूप से सीमेंट को वहां आवंटित किया जाना चाहिये । गोंडा को 1500 मीट्रिकटन सीमेंट का जो आवंटन किया गया है वह चुनार फैक्टरी से किया गया जिसका अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है । प्रदेश की सरकार ने वहां से सीमेंट का आवंटन कैसे कर दिया पहली तिमाही का जब कि आज तक वह नहीं मिल पाया है । आज भी सीमेंट की वहां बहुत कमी है । चीनी वितरण प्रणाली जिस तरह से लागू की गयी है उसके बारे में मुझे यह कहना है कि दिसम्बर के महीने में इस राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी । लिहाजा जिन लोगों के पास दूकानें थीं वह समझ गये थे अगले महीने से चीनी नहीं मिलेगी । लिहाजा पूरे महीने की चीनी उन्होंने ब्लैक में बेच दी ।

दूसरे महीने से सहकारी संघों को आप चीनी नहीं दे पाये व निश्चित रूप से मैं बतलाना चाहता हूं कि पिछले महीने की 18 तारीख तक पिपरी सहकारी समिति के माध्यम से 84 गांव सभाओं के लोगों को आवश्यक वस्तुएं मिलनी थी जैसे मिट्टी का तेल तथा सीमेंट वगैरह लेकिन तीन महीने तक उन लोगों को ये चीजें इसलिये नहीं मिल पाई क्यों कि वहां पर आप इन्तजाम नहीं कर पाये मैं इस सरकार को बतलाना चाहता हूं कि यह जो वितरण प्रणाली उसने रखी है सहकारी संघ और उपभोक्ता समितियों के माध्यम से उसमें वह सफल नहीं हो पायेगी । सहकारी संघ के माध्यम से सरकार ने खाद वितरण की व्यवस्था की था । रबी की फसल बोई जा चुकी थी तब भी खाद की व्यवस्था नहीं हो पाई थी । पिछली जो करतूत है सहकारिता की वह सब आपके सामने है । उसको देखते हुए भी आपने पुनः आवश्यक वस्तुओं को भी उनके हाथ में सौंप दिया है तो इससे इस प्रदेश में रहने वाले 10 करोड़ आदमियों की क्या हालत होगी उसकी तस्वीर बहुत जल्दी आपके सामने आ जायेगी ।

पचपेड़वा जनपद गोंडा में 14 लाख का गबन हुआ और आज भी वही लोग काबिज हैं एल0 एस0 एस0 की भूमि पर और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है उसके ऊपर 24 मुकदमें चल रहे हैं 406 और 409 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत और आज वह जमानत पर रिहा हैं । इसलिये मुझे अफसोश के साथ कहना पड़ रहा है कि क्या गबन करने के लिये और गबन करने वालों के लिये ही आपकी पार्टी संरक्षण दे रही है । एक संसद सदस्य वहां के हैं जिनके संरक्षण में वह उनकी जीप पर बराबर घूम रही है जिससे संघ की जमीन पर जो कब्जा किये हुये हैं उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं ।

मान्यवर, बस्ती जनपद में 14 लाख रुपये गेहूं के स्मगलिंग का एक केस पकड़ा गया और रमा शंकर सिंह, ए0 डी0 एम0 ने गेहूं पकड़ा था लेकिन ब्लैक करने वाले जमानत पर रिहा होकर घूम रहे हैं और वह ए0डी0 एम0 को यह पुरस्कार मिला कि उसका वहां से ट्रान्सफर कर दिया गया ।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र को सहकारिता के क्षेत्र में कुछ नहीं मिला है । हमारे पचपेड़वा और बढ़नी क्षेत्र में धान की फसल ज्यादा होती है इसलिये सहकारिता स्रोतों से वहां चावल की मशीन और चावल की भूसी से तेल बनाने की मशीन लगा दें तो उस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर हो सकता है ।

[श्री अकबाल हुसैन--]

मान्यवर, साथ ही साथ में इस बात पर भी बल देता हूं कि गोंडा में जो जनजाति की लैंड है उसमें जनजाति के एक आदमी को निकालकर ऐसे ब्लैकमार्केटियर की नियुक्ति की गयी है जिसके खिलाफ आरोप है कि उसने ब्लैकमार्केट किया है जिससे उसकी दुकान निलम्बित की गयी थी, इसलिये उसको हटाया जाय।

मान्यवर, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि इन सब चीजों पर विचार करके कम से कम सहकारिता के क्षेत्र में जो पचपेड़वा का क्षेत्र है उसके पिछड़ेपन को दूर किया जाय, 14 लाख रुपये का जो गबन हुआ है उसका पुनः सत्यापन कराया जाय और तब तक बसूली उसकी नहीं होनी चाहिये।

श्री कन्हैया लाल महेन्द्रू--

मान्यवर, आपने जो प्रस्तुत बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। आज खाद्य की समस्या जो हमारे बीच में है वह एक जटिल समस्या है जिसका सामना हमारे प्रदेश की जनता को करना पड़ रहा है। इसका कारण पिछली सरकार की गलत नीतियां थी और दैवी प्रकोप जैसे सूखा और बाढ़ है। लेकिन इसमें मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि जो हमारी वितरण प्रणाली है उसमें जबरदस्त सुधार करने की बात हम महसूस करते हैं। जहां तक राशन जो दुकानों से बांटा जा रहा है उसमें मेरा सुझाव है कि जनता को भलीभांति यह पता होना चाहिये कि इन दुकानों से हमको क्या सामान सरकार मुहैया करा रही है और इसका पता न होने से जनता को दुकानों से सही सामान नहीं मिल पाता है। मान्यवर, इसमें दो राय नहीं हैं कि सीमेन्ट की समस्या और कभी हमारे बीच में काफी दिनों से चल रही है उसके लिये सरकार को लखनऊ शहर के लिये कम से कम एक कोटा फिक्स करना चाहिये जिससे कि आम जनता और गरीब जनता जिसके बाढ़ और वर्षा से मकानों को जो क्षति हुई है वह उसको पूरा कर सके। मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा एक सुझाव है कि जो हमारे कर्मचारी हैं, हमारे जो सप्लाई आफिसर हैं उनकी मिली-जुली एक समिति होना चाहिये, जो समय-समय पर यह देखे कि जिन चीजों की कमी होती है हमारे क्षेत्र के बारे में, वहां के जन प्रतिनिधि से सलाह मुशविरा करें, और चीजों की कमी को दूर करने की कोशिस करें।

मान्यवर, मेरा एक सुझाव और है कि जो पेट्रोल की दुकानों को मिट्टी के तेल बेचने की इजाजत दी गयी है, तो उनसे मिट्टी के तेल का लाइसेन्स अलग कर दिया जाय ताकि मिलावट की संभावना कम हो जाय। जहां तक गेहूं का सवाल है, पिछली सरकार ने जो गलत नीति अपनाई उसी के कारण कमी बराबर चली आ रही है जिसके कारण हमारे क्षेत्र की जनता गेहूं की कमी को महसूस कर रही है। लेकिन मुझे पूरी आशा है कि जो फसल चली आ रही है, वह गेहूं की कमी को तथा अन्य जरूरत की चीजों को जल्द देने में सफल रहेगी।

अभी एक सहकारी बैंक के मैनेजर का नाम लिया गया। मेरा सुझाव है आपके माध्यम से कि उनका नाम बीच से हटा दिया जाय क्योंकि वे हमारे बीच में जवाब देने के लिये मौजूद नहीं हैं। जहां तक कोआपरेटिव का सवाल है, वह हमारे रोजमर्रा के जीवन की जरूरी चीजें हैं उसका मुकाबला हमारे सभी साथियों को मिल कर करना चाहिये। यदि समिति का गठन हो जाय तो इस तरह से समिति के द्वारा रोजमर्रा के वितरण की चीजें मुहैय्या की जा सकती हैं।

इस तरह से मैं अपने बजट का पूरा स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस नये बजट से इस प्रदेश के अन्दर नई रोशनी और नई लहर आयेगी और जरूरत की सभी चीजें जनता से मुहैया हो सकेगी ।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मैं, श्री वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में बोल रहा हूं । मुझे इस बात से बहुत प्रसन्नता है । कि माननीय मंत्री महोदय ने सहकारिता को बहुत बड़ा प्रश्न कहा है, भ्रष्टाचार जो व्याप्त है, इससे इन्कार नहीं किया । मान्यवर, स्थिति इस प्रकार की है कि अगर भ्रष्टाचार की कोई भी शिक्षा, कोई भी भ्रष्टाचार के बारे में ए, बी, सी, डी न जानता हो, दांव-पेंच की शिक्षा देने वाला यदि कोई विभाग है तो वह विभाग है सहकारिता और यह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि सहकारिता के आन्दोलन के माध्यम से जो उपलब्धि प्रदेश को होनी चाहिये थी, वह नहीं हो सकी । जो प्रदेश पिछड़े वर्ग के लोगों का है, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां कमजोर लोग निवास करते हैं, वे हर तरह से कर्जदार हो गए हैं ।

जिसके पास कोई सम्पत्ति नहीं थी, सहकारिता के माध्यम से आज उन्होंने ढेरों सम्पत्ति इकट्ठा कर ली है । सहकारिता का आन्दोलन हुआ था सहकारिता को इस प्रदेश के अन्दर महत्वपूर्ण बनाने की बात सामने आई थी । कमजोर वर्ग को, कमजोर व्यक्तियों को कैसे ऊंचे उठाया जाय यह इसका उद्देश्य था ।

मैं बुन्देलखन्ड क्षेत्र का हूं, वहां सहकारिता के कार्यों पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया जाता है । तो मैं आज यह कहने को तैयार हूं कि वहां पर सहकारिता के नाम पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है । न वहां सहकारी दुग्ध डेरी है । मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि झांसी जनपद में यदि कमजोर वर्ग के लोगों के घर में 10 रुपया या 15 रुपया प्रति दिन की दर से पहुंचना हो तो केवल वहां पर एक सहकारी दुग्ध डेरी भर लगवाने की आवश्यकता है और मेरा अनुरोध है कि माननीय मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे । सहकारिता के सम्बन्ध में मुझे एक बात और कहनी है कि आज बुन्देलखंड क्षेत्र के अन्दर 80 प्रतिशत की सोसइटी डिफाल्टर के रूप में पड़ी हुई है उसका एक कारण यह है कि जो बड़े-बड़े लोग हैं, बड़े किसान हैं उन्होंने छोटे-छोटे किसानों से गलत तरीके से हजारों रुपया ले लिया है । अब मैं इस बात की ओर कहना चाहता हूं कि जो खाद और वितरण की व्यवस्था है उसके सम्बन्ध में मेरा मत है कि वास्तव में तो जो यह व्यवस्था लागू की गई है वह ऐसे लोगों के लिए लागू की गई है जो आज की मंहगाई के समय में, अभाव के समय में खरीद नहीं कर सकते हैं । आज बुन्देलखंड (झांसी) के अन्दर शहरी व्यवस्था अलग है और गांव की व्यवस्था अलग है, वितरण की ।

मैं इस बात को भली प्रकार से कह सकता हूं कि राशन लेने वही व्यक्ति जाता है जिसकी आमदनी कम है । कम आमदनी वाला व्यक्ति गांव में भी रहता है और शहर में भी रहता है और आज गांव में भी प्रतिदिन मजदूरी करने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--]

वाले लोगों की संख्या बेहुत ज्यादा है और वहां के लोगों को गेहूं, शक्कर और अनेक चीजें खरीद कर खानी पड़ती हैं इसलिए मैं मांग करता हूं कि शहरी और गांव को वितरण व्यवस्था एक समान होनी चाहिए। बुन्देलखंड तथा जो पूर्वी क्षेत्र हो सकते हैं उनमें जो मात्रा है गेहूं की वह बढ़ाई जाय। पर यूनिट जो 10 किलो मिलता है, आजकल शायद 6 किलो मिलता है, वह मात्रा बढ़ाकर कम से कम 15 किलो की जाय और जहां मजदूर बस्ती है जहां चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी रहता है वहां आय के हिसाब से उसकी मात्रा को बढ़ाना चाहिये नहीं तो कमजोर व्यक्ति आज भूखों मरने की स्थिति में आ खड़ा हुआ है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि झांसी नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर जहां रेलवे कर्मचारी बहुत ज्यादा रहते हैं और उनमें भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ज्यादा हैं लेकिन उनको जो आज राशन की व्यवस्था है और जो उनको सामान मिलता है वह ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था के अनुसार ही मिलता है।

मेरा कहना यह है कि उनको जब कि वह नगरपालिका के अन्तर्गत रहते हैं, उनको वहां की शहरी व्यवस्था के अनुसार जो कि नगरपालिका के क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध कराई जाती है वैसे ही उपलब्ध कराई जाय। आज वितरण व्यवस्था इतनी दोषपूर्ण हो गई है कि गोदामों में जो भी सामान वितरण के लिए आता है वह दुकानों पर न आकर पहले ही ठेकेदारों को माल बेच दिया जाता है, वह चाहे शक्कर हो या गेहूं।

आज जितने भी राशन कार्ड हैं उनमें से 50 प्रतिशत जाली बने हुए हैं। उन्होंने इन्सपेक्टर को पैसा दिया और जाली राशन कार्ड बनवा लिया। आप 50 प्रतिशत ही वितरण के लिए सामान देते हैं और जो सामान मिलता है जाली परमिटों के आधार पर वह बंट जाता है। झांसी में किसी भी उपभोक्ता को 4 माह से कोई सामान नहीं मिला है और जब वह दुकानों पर जाता है तो कह दिया जाता है कि सामान समाप्त हो गया है। मैंने 301 के अन्तर्गत भी इसको लिखकर दिया था और उसमें मेरे पास यह लिखकर आया है कि 30 प्रतिशत माल इस जनपद में देने के लिए था। मैंने यह मांग किया था कि क्या कारण हैं, जो राशन कार्ड होल्डर हैं उनको माल क्यों नहीं मिला? उसके उत्तर में यह है कि यह तो माल सारा वहां पर समाप्त हो गया। मेरी मांग है कि राशन कार्ड सही बनाये जायें, सही परिवारों के राशन कार्ड होने चाहिए और जाली राशन कार्ड की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। इस व्यवस्था को समाप्त किया जाय।

*श्री राम कुमार भार्गव--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अपने सहकारिता मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत एक अच्छे बजट पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

चीनी का वितरण कोआपरेटिव द्वारा करने की, अभी एक अहम घोषणा एक महीने पहले की गई है। इस घोषणा का एक आम आदमी ने भी स्वागत किया है। इस नई प्रणाली का कुछ सरलीकरण किया जाय। कुछ रोज पहले मैं अपने क्षेत्र में गया था। यहां अभी चीनी नहीं बंटी है इसका मुख्य कारण यह है कि इसमें आपने कितने ही विभाग इनवाल्व कर दिये हैं जैसे डिप्टी आर० एम० ओ० चेक ले कर यहां आ गये। मेरा निवेदन है कि डी० एस० ओ० के द्वारा सीधे एलाटमेंट कर दिया जाय और कोआपरेटिव एफ०सी०आई० में पैसा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जमा कर के माल अपने गोदाम में ले जाय और उसके द्वारा वितरण हो। जो प्रक्रिया आप ने बनाई है उसका असर ग्राम आदमी पर पड़ता है और चीजें नहीं मिल पाती। इसलिए एक यह प्रक्रिया सरलीकरण की अपनायी जाय।

अभी कुछ माननीय सदस्य पी0सी0एफ0 के बारे में बता रहे थे। उनके इस बात का मैं भी समर्थन करता हूं। आप के आंकड़े बता देंगे। भूमि विकास बैंक द्वारा हर साल जितने बिजली की मोटरें आवंटित किय गये थे क्या उतने इस बार किये गए? अभी तक 11 महीनों में 22 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। इसकी क्या वजह है। दूसरी बात मिड टर्म ट्रान्सफर की है। सीतापुर के भूमि विकास बैंक में कितने ट्रान्सफर किये गये हैं। बीच–बीच में इस तरह के ट्रान्सफर्स से बहुत दिक्कत पैदा होती हैं।

अब मैं कोआपरेटिव बैंक के बारे में कहना चाहता हूं जिससे कि हमारा जिला ऋण ग्रस्त है। यह मैं मानता हूं कि ये स्वायत्त संस्थायें हैं। इसीलिए इनके अधिकारियों को ढील दी जाती है। लेकिन ढील का मतलब यह नहीं होता कि इसे कत्ल का घर बनाया जाये। स्कूल, कालेज भी स्वायत्त संस्थायें हैं। सीतापुर कोआपरेटिव बैंक में जो कर्मचारी पिछले 17 साल से अस्थायी तौर पर लगातार कार्य कर रहे थे उनको निकाला गया। उन कर्मचारियों की वहां पर बड़ी खराब दशा है। अपने बच्चों की दवा के लिए उनके पास पैसे तक नहीं हैं। इस सम्बन्ध में अभी पिछले महीने जांच के लिए मन्त्री जी ने आदेश किए थे। उस पर क्या कार्यवाही की गई उस का अभी तक मालूम नहीं हो सका? स्वायत्त संस्थाओं को मतलब यह नहीं है कि उनको डाकुओं का घर बनाया जाय। इन संस्थाओं को लगातार छूट मिली है।

आप से यह मांग करता हूं कि इन संस्थाओं पर जरूर अंकुश रखें। इन में भ्रष्टाचार हो रहा है, तमाम तरह की अनियमिततायें हो रही हैं। हमारे जिले में कर्मचारी 17 वर्ष की लगातार सेवा करते रहने पर भी निकाले गए हैं इस बात पर कि उन्होंने वहां के कोआपरेटिव बैंक के चेयरमैन के चुनाव में कार्य नहीं किया। इस पर वह बदला ले रहे हैं। स्वायत्त संस्थायें एक बार भंग हुई। इस बीच में हमारी माननीय मंत्री जी से बात हुई। स्टे वाली बात। मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं कि स्टे या नोटिसों में लूपहोल्स अधिकारियों द्वारा ही दिए जाते हैं। अगर अधिकारी न चाहें तो जिस चीज को आप करवाना चाहते हैं। वह पूरी नहीं होती है। अगर अधिकारी चाहेंगे कि कोई लूप होल रह जायं तो जरूर स्टे ले आयेंगे। आप कहते हैं कि वसूली नहीं होगी। बैंक से अनुदान बांटा जाता है। इंसानों की मौतें हुई हैं। वहां पर जो वसूली हो रही है उसके द्वारा स्वायत्तशासी संस्था के नाम पर आप एक गिरोह न बनाइये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का ससर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने की इजाजत दी। मैं कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

[श्री कुंवर सिंह नेगी--]

मान्यवर, इस सरकार के बारे में कहा जा रहा है कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ गया, अभाव बढ़ गया । अभाव और भ्रष्टाचार के साथ तो इस सरकार का चोली-दामन का साथ है । इंदिरा जी बदकिश्मती से जिस स्थिति में आईं उस समय प्रत्येक चीज का अभाव हुआ, अशान्ति बढ़ी, असन्तोष बढ़ा, अत्याचार बढ़ा । यह सरकार तो अपनी बदचलनी की वजह से...

(व्यवधान)

श्री त्रिवेनी--

जनता सरकार इसकी जिम्मेदार है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि यह सरकार अपनी बदचलनी की वजह से पूंजीपतियों, बिचौलियों और तस्करों की रखेल हो गयी है और अपने नाज-नखरों और रंग-रेलियों के लिये इस सरकार को काले धन का सहारा लेना पड़ता है । काले धन पर यह सरकार चल रही है । आप कहते हैं कि उत्पादन की कमी नहीं है लेकिन यह बनावटी अभाव जो पैदा किया जाता है...

एक सदस्य--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने सरकार के लिए बदचलनी शब्द का प्रयोग किया है, क्या यह संसदीय है ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठे ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

आज प्रदेश और देश में आवश्यक वस्तुओं का इतना अभाव ही नहीं है बल्कि वस्तुयें इतनी मंहगी हो गयी हैं कि वह लोगों की क्रय शक्ति से भी बाहर की बात हो गयी है और आज सारा प्रदेश अकाल की स्थिति में है और हमारे पर्वतीय अंचल में तो यह स्थिति और भी गम्भीर हो गयी है । आपके शासन के आने से 3/4 गुना प्रत्येक चीज का भाव बढ़ गया है । वहां पर चीनी और सीमेण्ट कहीं नहीं मिल रही है । मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति को देखते हुए और मंहगाई को देखते हुए वहां की प्रत्येक आवश्यक वस्तु पर, खाद्यान्न पर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की आप व्यवस्था करें । आप यहां पर तो नगर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र का पैमाना बनाये हुये हैं । पहाड़ों में नगर क्षेत्र बहुत कम हैं और चीनी वहां पर पैदा नहीं होती है । नगर क्षेत्र में म्युनिसिपल और टाउन एरियाज में एक किलो चीनी आप देते हैं और गांव वालों को आधा किलो चीनी मिलती है । पहाड़ों में आबोहवा के अनुसार लोगों को ज्यादा चीनी मिलनी चाहिये क्योंकि वह ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री कमला प्रसाद सिंह——

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय खाद्य, रसद एवं सहकारिता मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का हृदय से स्वागत करता हूं और विरोध पक्ष की ओर से प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

मान्यवर, सहकारिता के बारे में सबसे पहले मैं अपने माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है कि हमारे यहां जनपद जौनपुर की 24 लाख जनता माननीय सहकारिता मंत्री जी को धन्यवाद दे रही है । वहां पर इतना भ्रष्टाचार था उपभोक्ता समिति में कि करीब-करीब साढ़े 3 लाख रुपया का गबन पकड़ा जा चुका है और अगर और जांच होती है तो हमारा ख्याल है कि उसमें 10 से 15 लाख तक रुपयों का गबन निश्चित रूप से निकलेगा । उसमें जनता पार्टी के लोग थे । हमें मालूम हुआ है कि वहां की उपभोक्ता सहकारी समिति भंग कर दी गयी है और वहां का चार्ज किसी अधिकारी को दे दिया गया है । इसमें वहां की सारी जनता मंत्री जी को बधाई दे रही है कि एक बड़ा अच्छा काम उन्होंने वहां किया । इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सहकारिता में कुछ ऐसी गड़बड़ियां हैं जिनको दूर करना आवश्यक है ।

हमारे यहां एक मलनी सहकारी साधन समिति है उसके द्वारा हरिजनों को खाद दी गयी और फर्जी नाम लिख दिये गये । लोगों ने मेरा ख्याल है कि एक अधेले की भी खाद नहीं ली । नसीरुद्दीनपुर गांव में जो हरिजन हैं उनका गलत ढंग से नाम लिख दिया गया और वह राशि वसूल की गयी । तो इस तरह की जो धांधलियां हैं उनको दूर करने का प्रयास मंत्री जी को करना होगा । मुझे

(इस समय 3 बजकर 29 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

विश्वास है कि मंत्री जी जिस तरह कदम उठा रहे हैं उसमें उनको सफलता मिलेगी। मैंने पिछली बार भी यह बात कही थी जिसकी आज तक जांच नहीं हो सकी । जनता शासन में हमारे यहां जौनपुर में किस तरह से कर्जा सहकारिता विभाग से दिया गया उसको मैं बताना चाहता हूं कि कहीं पता नहीं चल रहा है । जैसे गौला दैत्य पुत्र गोमती नाथ गोमती नदी के किनारे पीपल का पेड़ है, गांव का नाम नौरंगाबाद और नौरंग सिंह नाम से जमानतदार भी नौरंग सिंह और जिस सुपरवाइजर ने प्रमाणित किया वह बस्ती जिले का, जो कि मर गया । यह बात मैंने उस समय के सहकारिता मंत्री माननीय मुलायम सिंह थे उनको बतायी थी कि इस तरह से फर्जी कर्जा दिया जा रहा है जिसका आज तक कोई पता नहीं चला । तो मैं कहना चाहता हूं कि उस समय की भी बातें आप सोचें । उस समय की बात जब यहां पर माननीय बनारसी दास जी मुख्य मंत्री थे तो हमारे जिले में 1 लाख 357 लीटर्स डीजल ऐसे व्यक्तियों के नाम से दिया गया——सरकारी गाड़ियों के नाम पर दे दिया गया है । जनता की खड़ी फसल उनकी आंख के सामने झुलस गयी, उसे अपने उपकरणों के लिए डीजल नहीं मिल सका, किसानों को एक बूंदा भी डीजल उस समय नहीं दिया गया, लेकिन सरकारी गाड़ियों के नाम पर अधिकारियों ने इतनी अधिक मात्रा में डीजल ले लिया । उस समय हमने मांग करके इस मामले में जांच के आदेश करवाये थे, लेकिन उस पर कोई जांच नहीं हुई । इतना मैं जरूर कहूंगा कि आज हमारे

[श्री कमला प्रसाद सिंह--]

यहां डीजल और किरोसीन आयल की कमी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद यह नहीं कहा जा सकता है कि हमारे जिले में लोगों को घरों में चिराग जलाने तक का किरोसिन आयल नहीं मिल रहा है। हां, इतना जरूर कहूंगा कि अभी सीमेन्ट की एजेंसियां दी गयी हैं उनमें शहर से 8 हजार रुपया और देहात से 5 हजार रुपया प्रति दुकान से जिला पूर्ति अधिकारी ने लिया है हमारे जनपद से लिया है। मैंने सहकारिता मंत्री और खाद्य मंत्री जी से इस धांधली और भ्रष्टाचार के बारे में बतला भी दिया है।

मैंने उन अधिकारी से पूछा कि आपने मेरे क्षेत्र में कितनी दूकानें दी हैं, उन्होंने उनके नाम बता दिए और बताया कि आपने जिन-जिन की संस्तुतियां की थी, उसको दे दिया है। इस पर मैंने उनसे कहा कि यह बड़ा अच्छा काम आपने किया है। फिर मैंने उन लोगों से पूछा कि अब आपको दूकान हो गयी है और सीमेन्ट के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। वह आदमी जब उनके पास पहुंचता है तो उन्होंने उससे रुपया मांगा। वह दो हजार रुपया पहले दे चुका था, उससे 5 हजार रुपये की मांग की गयी। उसने कहा कि विधायक जी ने तो बताया है कि मुझे दूकान दे दी गयी है, तो उन्होंने कहा कि हमने अभी आपको दूकान नहीं दिया है, दो हजार रुपया दिया है, 6 हजार रुपया और दे दीजिए, तो आपको दूकान मिल जाएगी। उसने उसे और रुपया नहीं दिया तो उसको दूकान नहीं मिली। मैंने बाद में उसका दो हजार रुपया उसको वापस दिलवाया। यह इस विभाग में इस तरह की धांधली चल रही है। ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर यदि अंकुश नहीं लगाया गया तो आप चाहे जितने अच्छे कार्य करें, चाहे जितनी जनता को राहत दें, उसका लाभ उन तक नहीं पहुंच पायेगा। मुझे आशा है कि आप इसको जरूर देखेंगे और ऐसे अधिकारियों को निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिये।

अब चीनी की बात कहना चाहता हूं। चीनी के मामले में भी देहात में अभी परेशानी है शहर में तो कुछ मिल रही है। मंत्री जी वहां गये थे तो उन्होंने चीनी के बारे में कहा था, अधिकारियों से भी कहा था कि गल्ला दिया जाए लेकिन आज वहां पर बहुत सी दुकानें ऐसी हैं जिन पर गल्ला आज तक नहीं पहुंच पाया है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि गल्ला उन पर पहुंचना चाहिये। हमारे यहां बीड़ी बनाने वाले व रिक्शा चलाने वाले आदि तमाम प्रकार के छोटे और गरीब लोग हैं ऐसे लोगों को यदि सस्ते गल्ले की दुकानों से गल्ला नहीं मिलेगा तो वह परेशान हो जायेंगे। इसलिए मैं मंत्री जी से कहूंगा कि गल्ले की व्यवस्था वहां होनी चाहिये। अब एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं हमारे यहां कोआपरेटिव बैंक में 6 साल पहले 12-13 नियुक्तियां हुई थीं उन लोगों को तीन-तीन महीने बाद 1-2 दिन के लिए नौकरी से हटा दिया जाता है, आज उसकी एज भी समाप्त हो रही है उनको दूसरी जगह स्थान भी नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनकी वहां पर नियुक्त परमानेन्ट तरीके से की जाए, ताकि उनकी रोजी रोटी का निश्चित सहारा हो सके। आशा है मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे। इसके साथ में मंत्री जी के बजट का हृदय से समर्थन और विरोध पक्ष के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री मित्रसेन--

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज जो सदन में सहकारिता एवं खाद्य विभाग के बजट पर माननीय वर्मा जी ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और उसके सम्बन्ध में कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, हमारे जो सहकारिता राज्य मन्त्री हैं पिछले टर्म में वे इधर बैठते थे और उन्होंने ही सहकारिता के बजट पर कटौती का प्रस्ताव पेश किया था। यहां पर कई प्रकार की आवाजें देखने को मिलती हैं। सत्ता पक्ष में बैठने से कुर्सी की आवाज क्या और विरोध पक्ष की क्या आवाज है ?

हम लोगों के सामने प्रदेश के अन्दर सहकारिता और खाद्य विभाग के कुछ ऐसे परिणाम निकलने चाहिये जिनसे प्रदेश के किसानों और गरीबों का कुछ हित हो सके। अभी यहां पर माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे खाद्य के बारे में। खाद्य के बारे में हमारे खाद्य सचिव जी दिल्ली का दौरा करते-करते एड़ियां घिस गयी हैं। उत्तर प्रदेश में खाद्य का अभाव हो गया है। जहां पर गेहूं की पैदावार सबसे अधिक है उस प्रदेश के लोग केन्द्रीय सरकार से भीख मांगते फिर रहे हैं। हमारे खाद्य सचिव श्री सुब्रामनियम दौड़ते-दौड़ते परेशान हो गये हैं। यह सब इन्हीं की नीतियों के कारण हुआ है। आज राशन कार्ड वाले को 3 किलो गेहूं तक मिलना दूभर हो गया है।

यही नहीं पिछली सरकार के जमाने में 1 लाख 40 हजार टन मिट्टी के तेल का गबन किया गया। मैंने उस सम्बन्ध में प्रश्न भी उठाये थे। अपनी चोरी छुपाने के लिए मामला सी0 आई0 डी0 को सौंप दिया गया और वहां के ए0 डी0 एम0 और अन्य अधिकारियों जिन्होंने चार्ज शीट्स लगायी थीं उनको सजा दे दी गयी। वह एक लाख 40 हजार लीटर मिट्टी का तेल पम्प पर गया ही नहीं।

अब हमारे मन्त्री जी ने गांवों में खाद्य का वितरण सहकारिता विभाग को दे दिया है। मैं चाहता हूं कि परिणाम अच्छे मिलें। आज की व्यवस्था में मैं देखता हूं कि अब इस भ्रष्टाचार को रोका नहीं जा सकता गांवों में राशन कार्ड बने हैं लेकिन जो असरदार लोग हैं उनके परिवार वालों के लिए चीनी आदि चीजें मिल जाती हैं। जो गरीब लोग होते हैं उनको कार्ड मिले ही नहीं हैं। जब सरकार के पास यह भी सूचना नहीं कि कितने परिवार रहते हैं और कितने कार्ड बने हुए हैं तो समझ में नहीं आता है कि कैसे वे उस गांव की चीनी निर्धारित करेंगे और कैसे वितरण प्रणाली की निश्चित व्यवस्था हो सकेगी। जब इनके पास कोई आंकड़े ही उपलब्ध नहीं है तो कैसे उनकी मिट्टी तेल और डीजल की आवश्यकता समझ सकेंगे। तो निश्चित है कि वहीं सड़कों पर ब्लैक में मिलेगा और बड़े लोग उससे फायदा उठायेंगे। इसे आप भी भली प्रकार से जानते हैं।

जहां तक कोयले का सम्बन्ध है प्रदेश से जिला स्तर तक उसके वितरण में अधिकारी लोग 1-1 लाख रुपया कमा चुके हैं। जिन एजेन्टों को दिया गया वे किस प्रकार से ब्लैक कर देते हैं। यह बात अखबारों में भी निकली थी कि न कहीं दुकान है न कहीं पर एजेन्ट्स हैं। सारा कोयला यों ही चला जाता है। हमारे सचिवालय में भी कई ऐसे अधिकारी हैं जो लाखों रुपया कोयले के मामले में कमा कर चले गये हैं। और एक सप्लाई आफिसर गोयल साहब थे, उन्होंने तो

[3 बजकर 40 मिनट से]

अपने जाने से पूर्व 6 महीने का कोयला एलाट करके चले गये। अब मैं सहकारिता विभाग पर आ रहा हूं। सहकारिता विभाग में इच्छा, बराबरी, आत्मनिर्भरता आदि

[श्री मित्र सेन--]

कई चीजें उसमें आवश्यक है । अब अगर समान लोगों के बीच में सहकारिता की जायेगी, तब तो सहकारिता चलेगी । गांव में 200 बीघे के काश्तकार, 400 बीघे के काश्तकार और 5 बिस्वा के काश्तकार के बीच में सहकारिता चलाई जायगी, तो सारी सहकारिता का लाभ बड़े लोग ले लेंगे, गरीब लोग मारे जायेंगे । बहुत से लोग फर्जी अंगूठे लेकर सहकारिता बना लिये हैं, मिल्कीपुर खंडासा आदि स्थानों में इस तरह से फर्जी अंगूठे लगा कर समिति गठित करके लोन ले लिए हैं और उससे गरीब लोग तबाह हो रहे हैं । इनके यहां सत्यापन किस प्रकार से होता है, यह उनके विभाग के लोग जानते हैं । सबसे तिकड़म वाली शिक्षा जो है, चोरी वाली शिक्षा अगर सीखना है तो सहकारिता विभाग से सीखा जाय ।

आज गांव सहकारिता से बहुत दूर चले गये हैं । डिस्ट्रिक्ट ग्रामीण बैंक और सोसायटीज जो हैं, जो ग्रामों को कर्जा देती हैं जो 13-14 परसेन्ट पर कर्जा देती हैं अगर इसके सरलीकरण का रास्ता बना दिया जाय, तो उनके ऊपर सूद भी कम पड़ेगा और ऋण लेने में भी आसानी होगी । डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव सोसायटी को और सोसायटी के सदस्यों तक, यह 3-4 जगहों तक जाते-जाते, वह सदस्यों के ऊपर 13-14 परसेंट सूद पड़ता है । तो इन सब में इतनी गड़बड़ियां हैं जो कि इस तरह से दूर नहीं हो सकती हैं । माननीय मन्त्री जी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और कब तक रहेंगे, दो-चार दिन रहेंगे, दो-चार साल रहेंगे, कोई ठिकाना नहीं है, ये यह अपनी पूरी ईमानदारी से कोशिश भी करें, तो यह भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है । इस भ्रष्टाचार में कोई सुधार का रास्ता भी नहीं है । अगर इस विभाग के भ्रष्टाचार को दूर करना है तो जागरूकता इनके विभाग के अन्दर पैदा करना पड़ेगा और उसमें विभाग के लोगों और शासन के ईमानदार लोगों के अन्दर इन संस्थाओं के प्रति जागरूकता पैदा करना पड़ेगा । अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन से कोई भ्रष्टाचार दूर करना है तो इन सब को इसमें लगाना होगा । इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इस विभाग के भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश माननीय मन्त्री जी करेंगे ।

श्री अमर सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने सहकारिता और खाद्य विभाग के बजट पर जो अनुदान की मांगें रखा है उनका मैं समर्थन करता हूं और साथ ही साथ कुछ बातें दोनों ही विभागों के संबंध में रखता हूं ताकि सरकार उन पर विचार करके उनको लागू करे । सहकारिता ऋण सहकारी बैंकों द्वारा जो दिये जाते हैं वे एक लम्बे अर्से से चले आ रहे हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह ऋण अगर किसी ने 100 रुपया लिया था, तो एक प्रथा थी ट्रान्सफर इंट्री की, उस ट्रान्सफर इंट्री के निकास की वजह से यह 100 के 1,000 हो गये और आज जिस किसान ने 100 रुपया लिया था, वह आज 100 रुपया देने के लिए अपने को सक्षम नहीं समझ रहा है । ऐसी दशा में, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सहकारी समितियों के जो ऋण हैं, उनके सूद की मात्रा कम की जाय और उसको कम करके जितना उसके ऊपर कर्ज है, उसको आसान किश्तों में वसूल किया जाय ।

दूसरी बात पेनल्टी सूद के बारे में जो सरकार की तरफ से 10% लगाई है । कभी-कभी ऐसा होता है कि ऋणदाता असली रकम को नहीं दे पाता है और वहां पर अमीन 10% सूद वसूल करता है और पूरी रकम को छोड़कर चला

जाता है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पेनाल्टी सूद 10% के कम करके 2% रखा जाय क्योंकि इस समय यह बहुत ज्यादा है और गरीब किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है ।

मान्यवर, उपभोक्ता वस्तुओं की जहां तक बात है, सरकार ने जो सहकारी समितियों के द्वारा उपभोक्ताओं को वस्तुओं के वितरण का काम पिछले माह से शुरू किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं । इसके पहले चीनी और मिट्टी का तेल आदि और दूसरी चीजों का जो वितरण किया जाता रहा है, उसमें 80% ब्लैकमार्केट होता था और उसमें केवल 20% मुश्किल से उनको पहुंच पाता था । मेरा यकीन है कि सहकारी समितियों के द्वारा इससे बहुत बड़ा लाभ लोगों को पहुंचेगा और बमुश्किल थोड़ी बहुत गड़बड़ी होगी ।

एक बात यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो सहकारी समितियों के द्वारा वितरण स्कीम चला रहे हैं, उसको पूर्णतया सहकारी समितियों को ही दिया जाय । सहकारी समितियों द्वारा जो वितरण किया जा रहा है, उसमें बहुत होड़ इस समय लगी हुई है । वह डीलर जो प्राइवेट सेक्टर में थे, उन्होंने सहकारी संघों को उन दूकानों को हथियाने के लिए 10–10 हजार रुपये एक–एक दूकान को हासिल करने के लिए खर्च किया है । इसलिए निवेदन है कि पूर्ण वितरण प्रणाली को सहकारी समितियों द्वारा ही किया जाय ।

रही बात यह कि किस तरह से दिया जाय, तो मंत्री जी तो बहुत अरसे से समाजवादी नीति के नेता रहे हैं और आज भी समाजवादी विचार के हैं और समाजवाद का अर्थ है समानता । तो मैं, मान्यवर, निवेदन करूंगा कि यह जो वितरण प्रणाली है, इसमें गांव और शहर का जो भेद है, उसको बिल्कुल हटा दिया जाय । मान्यवर, आज मिल मालिक, पूंजीपतिगण और दूसरे सरमायेदार शहरों में रहते हैं और वे सस्ती चीजें खाते हैं, सस्ता गेहूं, सस्ता चावल, सस्ती चीनी और सस्ता तेल उनको मिलता है जबकि गांवों में 85% गरीब लोग रहते हैं और ऐसे भी लोग रहते हैं, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनको ये चीजें उपलब्ध नहीं हैं । मेरा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन है कि इस वितरण प्रणाली में असमानता है । इस दूषित वितरण प्रणाली को हटाकर दोनों जगहों पर शहर और गांव में एक सी वितरण प्रणाली की जाय । अब एक दलील यह दी जाती है कि सामान की कमी है । तो मैं समझता हूं कि न चावल की कमी है, न आटे की कमी है, न चीनी की कमी है और न तेल की कमी है और अगर कमी है तो वितरण की । उसको सबको भुगतना चाहिये न कि उसके शिकार केवल गांव वाले बनें ।

गांव के लोग बहुत गरीब हैं और वे ही हर चीज महंगी खरीदते हैं । शहर में बिजली है गांव में नहीं । वहां तेल से काम चलाते हैं, लेकिन गांव में तेल भी कम मिलता है । इसलिए मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस वितरण प्रणाली को पूरे समाजवादी ढंग से लागू करें और गांव तथा शहर की वितरण प्रणाली को एक सा करें । गांव में साढ़े चार यूनिट पर एक किलो चीनी दी जाती है जबकि शहर में एक यूनिट पर एक किलो चीनी दी जाती है । तो भले ही 200 ग्राम प्रति यूनिट चीनी दें, लेकिन सबको दें । तो मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करें । आप समाजवादी रहे हैं । इस व्यवस्था पर विचार

[श्री अमर सिंह—]

इन शब्दों के साथ मान्यवर, प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया शांत रहें। बोलना लगभग सभी सदस्य चाहते हैं इसलिए मेरी राय यह है कि यदि 5 मिनट से अधिक कोई माननीय सदस्य न बोलें और मैं 4 मिनट पर ही यह लाल बत्ती द्वारा बता दूंगा कि आपका समय समाप्त होने वाला है और आप अपना भाषण समाप्त कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्य बोल सकें।

श्री यदुनाथ—

मान्यवर, आपने सहकारिता, खाद्य और रसद आपूर्ति बजट पर बोलने का समय दिया, आभारी हूं। माननीय प्रोफेसर साहब किसी समय हमें समाजवादी शिक्षा का सबक दिया करते थे और आज इतने अच्छे विभाग के मंत्री बन गये, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि कितना भ्रष्ट विभाग आपको मिला है। मैं तो समझता था कि आप समाजवादी शिक्षक हैं, मंत्री वगैरह बनेंगे ही नहीं। लेकिन आप सहकारिता मंत्री बन ही गये। जब कि आप फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं, इसलिए आपको तो विद्युत मंत्री होना चाहिए था। लेकिन बने आप सहकारिता मंत्री। खैर इन सब बातों को छोड़िये। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे बड़े राज्य सहकारिता में सफल हैं और आपकी यह 14 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश बिल्कुल असफल है।

सहकारिता विभाग केवल आज बनारस के नदेशर पैलेस में ही है, वहीं पर इसकी सारी कोआपरेटिव फेडरेशन्स हैं और वैसे सहकारिता नाम की चीज पूरे बनारस डिवीजन में कहीं नहीं है। जैसा कि अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि साढ़े 4 यूनिट पर एक किलो चीनी उनके यहां दी जाती है और शहरों में एक यूनिट पर एक किलो। लेकिन हमको तो जब से हम लखनऊ आये हैं न चीनी मिली न वनस्पति और न ही मिट्टी का तेल। इसलिए सोचा था कि चूंकि मिर्जापुर का एम0 एल0 ए0 हूं, चुनार से शायद मिट्टी के तेल की व्यवस्था हो जाये, लेकिन वह भी नहीं कर सका। लेकिन आपको तो मंत्री जी हर चीज लगभग मिल ही जाती होगी। तेल भी डीजल भी कार में मिल जाता होगा और पेट्रोल भी मिल जाता होगा और चीनी भी व्यापारीगण आपके घर पहुंचा देते होंगे। लेकिन आज इन चीजों को पाने के लिए तमाम आम जनता परेशान है। अभी हमारे मित्रसेन यादव जी ने कहा पी0 सी0 एफ0 के बारे में जहां की बड़ी बुरी स्थिति है, उसके बारे में जो कुछ कहा गया है। वह बहुत ही थोड़ा है। आज तो उसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। जबकि इतने महत्पूर्ण विभाग में आपके इतने दिनों के शासन में 32–33 साल के शासन में आप ठीक नहीं कर सके तो आप सहकारिता विभाग में व्याप्त समस्याओं को दूर करने और उसमें विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक योजनाओं को किस तरह से लागू करने जा रहे हैं। दूसरी बात मान्यवर, यह है कि आज खेतिहर मजदूरों के नाम पर कर्जा ले लिया जाता है और उसका फायदा बड़े–बड़े काश्तकार उठाते हैं और कर्जे की वसूली उनके नाम पर ही होती है। एक बार मैं मड़ियान ब्लाक में जो कि लोकपति त्रिपाठी जी का क्षेत्र है, उसमें गया और वहां जाकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ यह

देख कर, कि वहाँ के कमजोर वर्ग, दलित वर्ग और खेतिहर मजदूरों के नाम पर गाय और भैंस खरीदने का कर्जा दिया गया परन्तु वह गाय, भैंसे बड़े किसानों के घरों पर बन्धी हैं और कर्जे की वसूली उन्हीं गरीबों से होगी। इसलिए माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार फिर वह कम्प्यूटर सिस्टम लागू करें ताकि उसमें व्याप्त भ्रष्टाचर में कुछ कमी आये। इसके अलावा एक बात और आपको बता दूं कि विश्व बैंक अनुदान देने को तैयार नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि राजीव गांधी और सोनिया गांधी यह चाहती हैं कि हर चीज इटालियन हो। इसलिए शायद विश्व बैंक नाराज है और वह सहकारिता को अनुदान देने को तैयार नहीं है और ऐसा भी लगता है कि गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह भी कुछ नाराज हैं। मोहनमेकिन में खाना खाने की नाराजगी हो चाहे हिन्डालकों की लोकपति त्रिपाठी जी की बात हो। लेकिन विश्व बैंक ऋण देने को तैयार नहीं है अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि प्राविधिक कोआपरेटिव फेडरेशन पी0 सी0 एफ0 की हालत बड़ी बुरी है। उसकी हालत को माननीय मंत्री जी सुधारें। आप तो दुनिया के और देशों में गये हैं अमेरिका में प्रति दिन आलू, एक दिन प्याज इत्यादि का वितरण सहकारिता से होता है। भाई ऊदल जी दवा कराने हेतु रूस गये थे उन्होंने वहां का भी अपना अनुभव बताया। रूस जैसे समाजवादी देश में सहकारिता है, गुजरात और महाराष्ट्र में सहकारिता सफल है लेकिन उत्तर प्रदेश की क्या हालत है जिसके कारण से सहकारिता नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की जा रही है उसमें कम से कम एक एम0 एल0 ए0 को स्क्रुटनी के लिए रखा जाय। चाहे वह सत्ता पक्ष के हो चाहे विरोध पक्ष, आप देखेंगे जो आपके ए0 डी0 एम0 हैं डी0 एस0 ओ0 हैं जब पकड़े जायेंगे और सहकारी संस्थायें पकड़ी जायेंगी। जवाहर लाल नेहरू ने विदेश से सहकारिता की नकल किया, पंचवर्षीय योजना को लागू किया। लेकिन नकल मच्छिका स्थाने मच्छिका नहीं होनी चाहिये। गांव में पहले मड़ई उठाने के लिए लोग मिल जाते थे अब मड़ई उठाने के लिए मजदूर करना पड़ता है। हमारे यहां की सहकारता सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की है और आपमें साइन्टिस्ट है। आपके पास मशीनरी है। मेरा निवेदन है कि पूरे उत्तर प्रदेश की सहकारिता वितरण प्रणाली में एम0 एल0 ए0 को स्क्रुटनी के लिए रखा जाय, मैं धन्यवाद देता हूं और आपका आभारी हूं।

श्री बशीधर राज––

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सहकारिता मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और श्री वर्मा द्वारा प्रस्तुत कटौती के बिल प्रस्ताव का विरोध करता हूं। सहकारिता समाजवाद, साम्यवादी विचारधारा के बीच का यह सुखद रास्ता है। सहकारिता से उन तमाम ग्रामीण अंचल में रहने वाले निवासियों को जो शताब्दियों से सताये जाते रहे हैं जिनका समाज के बल–शाली व्यक्तियों द्वारा शोषण होता रहा है साहूकारों द्वारा भी शोषण होता रहा है उनको शोषण से बचाने का एक रास्ता है। इसी तरह से हरिजन और निर्बल वर्ग के लोगों को जो गरीब है जो परेशान असहाय है जिनको कोई ऋण नहीं देता है उनको सहकारिता से ही सहायता मिलती है जिनको मरने

[श्री बंशीधर राज--]

के बाद कफन नहीं मिलता उनको सहकारिता द्वारा ही कफन मिल जाता है। माननीय मन्त्री जी ने सहकारिता में अनन्य सुझाव प्रस्तावित किये हैं और कल्याणकारी योजनायें बनायी हैं। कोल्ड स्टोरेज, छोटे-छोटे किसानों को उनके बैल, भैंस, हल, कृषि यन्त्रों आदि के लिए योजनायें बनायी हैं और यदि इस बजट में कटौती की गयी तो उन तमाम निर्बल, गरीब कृषकों के साथ अन्याय होगा। वर्मा जी ने अभी कहा था कि सहकारिता विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं नहीं कहता कि वहां भ्रष्टाचार है कहां नहीं है लेकिन समूचे के समूचे विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है ऐसा कहना उचित नहीं है। समितियों द्वारा जो वितरण प्रणाली लागू की गई है निश्चित रूप से उससे सुधार होगा क्योंकि जो कोटेदार थे उनके विरोध को हम नहीं रोक सकते थे लेकिन अब निश्चित रूप से बटेगा और सामान गांवों में पहुचेगा। न्याय पंचायत स्तर पर जो सहकारी समितियां हैं और उनके माध्यम से जो वितरण प्रणाली की योजना बनायी गयी है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनको निर्देशित कर दिया जाय कि गांव स्तर पर वे इस वितरण प्रणाली को ले जायें।

ऋण वितरण में, वसूली में कोई कमी न आये इसके लिये आवश्यक है कि छोटे स्तर पर, जिनको वेतन कम देना पड़े, ऐसे सहयोगी रखें जिससे समितियों पर ज्यादा बोझ न पड़े। समितियों की जो ऋण वितरण एवं वसूली होती है अगर 5 लाख के ऊपर हो जाती है तो उनको प्रोत्साहन दिया जाय। उनके लिये यह भी होना चाहिए कि अगर 5 लाख से ज्यादा वसूली होगी तो आपको इस कैडर में रखेंगे, इससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा। जितनी समितियों में अच्छा काम होता है उनके लाभांश का वितरण भी किसानों में होना चाहिए। समितियों द्वारा सूद बहुत ज्यादा हो जाता था, न्याय पंचायत स्तर पर सहकारी बैंक की शाखायें खोली जाय और सीधे ऋण वितरण कराया जाय जिससे ऋण का सूद तीन-साढ़े तीन प्रतिशत देना पड़ेगा दौड़ धूप इससे कम होगी और उनको कम सूद पर ऋण उपलब्ध हो जायेगा। भूमि विकास बैंक और अन्य बैंकों से ऋण दिया जाता है। इस सम्बन्ध में उनकी पास-बुकें बना दी जाय और उनको बता दिया जाय कि उनकी सीमा इतनी है। उनकी सीमा निर्धारित कर दी जाय इससे...

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री बंशीधर राज--

जब बहुत जरूरत हो वह बैंक में जाये और उसका भुगतान तुरन्त मिल जाये ताकि उसको कार्य करने में सुविधा हो और शोषण से बचाया जा सके। अभी वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि इसमें भ्रष्टाचार होता है तो इसको दूर करने के लिये मेरा यह निवेदन है कि कोई ऐसी समन्वय समिति बना दी जाय जिसमें जनपद के विधायक हों ताकि इनके परामर्श से इसको देखा जा सके और उस पर अंकुश लगा सके।

श्री कुबेर भन्डारी--

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इधर के माननीय सदस्य कुछ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किये हैं और

उधर के सदस्य वितरण प्रणाली का समर्थन किये हैं । यह तो दारूलशफा में रहते हैं । अपने क्षेत्र में क्या हुआ, यह नहीं जानते ? मान्यवर, आपका ध्यान में विधान सभा के बगल हजरतगंज में दिलाना चाहता हूं कि यह लोग क्या कर रहे हैं ? ये श्रीमन्, प्राणाली को ठीक कर रहें हैं । इनकी सरकार में मन्त्री हैं जो रसद मन्त्री जी हैं इनके पुजारी जी बाल मुकुन्द पुजारी जी दुकान चला रहे हैं हजरतगंज में और लोकपति जी के भी पुजारी हैं । मान्यवर, अभी तक नयी सरकार ललफोता-शाही के ही जंग में फंसी रही है, अब ये सरकार तांत्रिक लोगों के चंगुल में और पुजारियों के चंगुल में फंस कर बरबाद हो रही है । मान्यवर, बाल मुकुन्द तिवारी जी....

श्री अध्यक्ष--

सरकार की बरबादी नहीं जरा जनता की बरबादी के सम्बन्ध में बतायें ।

(हंसी)

श्री कुबेर भण्डारी--

मान्यवर, जब सरकार सफल नहीं है तो वह भी बरबाद हो रही है और जनता भी बरबाद हो रही है । तो मान्यवर, वह जो दुकान चल रही हैं, चला रहे हैं हजारी शर्मा बड़ा भारी सामान छापा मार कर पकड़ा गया । उधर के श्री चन्द्रबली जी ने लिखा कि इनको ट्रान्सफर कर दिया जाय । एक तरफ अधिकारी से कहा जा रहा है कि छापा मार कर काला बाजारियों को पकड़िये, छापा मार कर अधिकारी पकड़ रहे हैं, तो सरकार का आदेश हो जाता है कि ट्रान्सफर कर दिया जाय । इनके मुख्य मन्त्री आदेश कर रहे हैं कि किसी अधिकारी का ट्रान्सफर नहीं होगा, लेकिन मन्त्री और विधेयक ट्रान्सफर करा देते हैं । जो तन्त्र-मन्त्र के जरिये सत्ता पक्ष के लोग चिट्ठी लिखते हैं, वह कैसे भ्रष्टाचार मिटायेंगे ? बस्ती में चीनी की काला बाजारी चल रही है । कोआपरेटिव की बात कही गयी है, समाजवादी बात कही गयी है लेकिन यह सरकार दूल्हे और कन्या दोनों का भाई बनना चाहती है । सहकारिता करना चाहते हैं आप तो आइये संजय सिंह जी बैठें हैं रंजीत सिंह जी हैं ।

अगर समाजवाद चाहते हैं तो अपनी सम्पत्ति की घोषणा करके दे दें, उसे बांट दें, सहकारिता हो जाय । मान्यवर, आपका ध्यान में उस घपले वाजी की ओर ले जाना चाहता हूं । एक हमारे ओ0 पी0 शर्मा हैं, बड़ा घपला किये हैं । किसानों के यहां फर्जी वसूली हो रही है । बाराबंकी में एक सचिव डकैती में पकड़े गये हैं । इस तरह से घपला है इस तरह से यह वितरण प्रणाली को ठीक करना चाहते हैं । ये दूल्हे के भी भाई बनना चाहते हैं और कन्या के भी भाई बनना चाहते हैं ।

श्री दूध नाथ राजभर--

मान्यवर, आपने इस बजट पर जो बोलने का मौका दिया है मैं उसके लिये आपका आभारी हूं । सहकारिता के सम्बन्ध में तमाम माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं भी कुछ सुझाव रखना चाहता हूं । सहकारिता को आलोचना की दृष्टि से उधर की तरफ से देखा गया है । मैं कहना चाहता हूं कि सहकारिता इस देश के अन्दर एक आन्दोलन की तरह से चलायी जा रही है । मैं आन्दोलन क्यों कहना चाहता हूं क्योंकि सहकारिता की मंशा है समाज से गरीबी हटाने की,

[श्री दूध नाथ राजभर--]

सहकारिता की मंशा है समाज से बेरोजगारी दूर करने की, सहकारिता की मशा है कि पिछड़ेपन को हटाने की और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की। इसी के साथ-साथ जो काम इस सम्बन्ध में किये गये हैं वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

अभी 1980-81 के बजट में इसमें कृषि ऋण हेतु 327 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी, इसको अब बढ़ाकर जो बजट पेश किया गया है उसमें 335 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि त्वरित विकास योजना लागू की गयी है, रिजर्व बैंक के सुझाव पर मास्टर प्लान नाम की योजना लागू है जिसके अन्तर्गत 5 एकड़ से छोटे किसानों को जब वह कर्ज लेने जाते हैं तो उनके लिये अंश पूंजी की व्यवस्था की है। इसमें निर्बल वर्ग के लिए 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि भूमि आबंटन चला था, भूमिहीनों को जमीनें दी गयीं थी लेकिन उनके पास न हल था न बैल थे और न जोतने की क्षमता थी और न तो खाद थी और न बीज था तो उसके लिये भी व्यवस्था की गयी है और 18 लाख प्रदेश में भूमि आबंटियों को लाभ पहुंचाया गया कि खाद, बीज, बैल आदि की व्यवस्था वह लोग कर सकें। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि एक समय था कि महाजनों के चंगुल से गरीबों को छुड़ा रहे थे। गरीब किसान 100 रुपया लेता था और उस 100 रुपये के 10 हजार हो जाते थे, चक्रवृद्धि व्याज की तरह से वह चलता था और गरीब किसान की लूट होती थी और गरीब किसान महाजन के हाथ गिरवी हो जाता था। उसके चंगुल से छुड़ाने के लिये समने महाजनी व्यवस्था को खत्म किया और सहकारिता के माध्यम उनको शादी व्याह के मौके के लिये या ऐसे ही कामों के लिये योजना बनाई है जिसमें ढाई सौ से पांच सौ रुपये तक कर्जा दे रहे हैं। तो हमारी मंशा को आपको देखने की आवश्यकता है। इसके अलावा भूमि सुधार तथा कृषि के सम्बन्ध में हमने तमाम योजनायें बनायीं हैं। मान्यवर, वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में चर्चायें आयी हैं और बहुत सारी आलोचनायें की गयीं हैं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चेंज करना चाहिये और समितियों के माध्यम से कर चाहिये। इस सम्बन्धमें आर्डिनेंस करना चाहिये था या कानून बनाना चाहिये था क्योंकि आज प्राइवेट सेक्टर में जो दूकानें हैं उनमें से कुछ लोग मैं रिट चले गये हैं और स्टे कराकर ले आये हैं। जो हमारी मंशा थी कि गरीबों को सस्ते मूल्य पर चीनी, मिट्टी का तेल और दूसरे सामान मुहैय्या करेगें वह आज स्टे के नाम पर बड़े पैमाने पर कालाबाजारी कर रहे हैं मैं माननीय मंत्री जी से, जो समाजवादी ख्यालों के व्यक्ति हैं, सुझाव देना चाहता हूं कि यह हमारी भूल हुयी है अगर हमने इनका अधिग्रहण कर लिया होता तो वह रिट में न जाते और न उनको स्टे मिलता और न उनको ब्लैक करने का अवसर मिलता। मैं अपनी सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से महाजन के चंगुल से आपने प्रदेश के भूमिहीन मजदूर तथा खेतिहर मजदूर को छुड़ाया उसी तरह से समितियों से अथवा बैंकों से जो कर्जे उन्होंने ले रखे हैं उनको भी माफ कर दिया जाय, तभी यह प्रगतिशील कदम होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राधे श्याम पटेल--

मान्यवर, सहकारिता के माध्यम से जो सरकार किसान, गरीब हरिजन, निर्बल वर्ग एवं कमजोर वर्ग के उत्थान का सपना देख रही थी, वह विफल हो गयी है। सहकारिता के आधार पर जो विकास का सपना देखा गया उसके स्थान

पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार ने जो धन इसमें लगा रखा है वह चन्द लोगों की जेबों में गया, उसको सुव्यवस्थित करने के लिये सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। मैं चाहूंगा कि वह इसके लिये कड़ा कदम उठाये और सुनिश्चित करे कि जो सुविधायें वह जनता को देती है वह उस तक पहुंच पाती हैं या नहीं चाहे सीमेन्ट हो, चाहे शकर हो अथवा अन्य उपभोक्ता की सामग्रियां हों। ये सब कागजों में ही रह जाती हैं, गरीब तथा निर्बल वर्ग तक नहीं पहुंच पाती हैं, मैं अब अपने क्षेत्र की दो-तीन समस्याओं की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस विषय में विभाग तथा मंत्री जी दोनों को पत्र के द्वारा अवगत कराया है।

मऊआयमा ब्लाक में टिकरी तालुका अब्दालपुर सहकारी साधन समिति है, वहां पर कई हजार का गबन हो गया। इसकी जांच कराई जाय और दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय जिससे स्थानीय लोगों की आस्था पुन सहकारिता आन्दोलन की ओर प्रवाहित हो सके। इसी तरह से बहइया ब्लाक में बुआपुर साधन सहकारी समिति, जो अब बीरापुर में सम्मिलित कर दी गयी है सचिव तथा सुपरवाइजर के माध्यम से कई हजार रुपये फर्जी प्रोनोट्स के जरिये से निकाल लिये गये। 10, 12 वर्ष बाद वसूली का सवाल आया तो पता लगा कि यह रुपया लोग निकाल कर खा गये। समय-समय पर लोगों ने इस सम्बन्ध में आवेदन दिये। इस सम्बन्ध में भी मेरा निवेदन है कि जांच की जाय। वसूल करना है तो उन लोगों से वसूल की जाय जिन्होंने गबन किया है या रुपया खाया है। जिन गरीबों ने इस रुपये को देखा तक नहीं और न जिन्होंने उसे पाया है और फर्जी लोगों के नाम पर रुपया निकाल लिया या ऐसे लोगों के नाम पर जो मर गये, उनसे वसूल करना अनुचित होगा। इस प्रकार की घटनायें सहकारिता आन्दोलन को बड़ा धक्का पहुंचायेगी। इसके अलावा एक बात यह है कि सहकारी गोदाम ऐसी जगह बनाये जायं जहां पर वे नहीं हैं। बहरिया ब्लाक में एक किरांव ग्राम है उसके आस-पास गोदाम की बहुत आवश्यकता है। दूसरे फूलपुर ब्लाक में कुसहरा गांव में एक सहकारी गोदाम की बहुत आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंत्री जी द्वारा रखे हुये प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राम कुंवर सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे सहकारिता के सम्बन्ध में कुछ कहने का मौका दिया। मान्यवर, चाहे इधर बैठे हों या उधर, हम सभी साथी इस बात के अनुयायी हैं कि हम लोग समाजवादी नारा लगाते हैं और मेरा ख्याल है कि समाजवाद लाने के लिये सहकारिता ही एक सही कुंजी है जिसको दोनों दलों के लोग मिलकर सही असली जामा पहना सकते हैं। इसलिये हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। उधर के साथियों ने तो इसमें कमी की आलोचना किया है तो विरोधियों का काम आलोचना करना ही नहीं है बल्कि उसको सफल बनाने के लिये मुझसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी भी है। मान्यवर, हमारे देश के राष्ट्र नायक बापू ने एक नारा लगाया था, उनकी एक भावना थी कि गांव में रामराज स्थापित करने के लिये कोआपरेटिव माध्यम से हम इसको सफल करेंगे। मेरा ख्याल है कि 1912 में अंग्रेजों के राज्य में यह कोपरेटिव ऐक्ट लागू हुआ और उसके बाद देश जब आजाद हुआ तो भूतपूर्व प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल

[श्री राम कुंवर सिंह--]

नेहरू ने 1965 में इसका विस्तार किया और महात्मा गांधी के स्वप्न को पूरा करने के लिये सहकारिता आन्दोलन को गांव स्तर तक पहुंचाया ।

मेरा ख्याल है कि सहकारिता आन्दोलन गांव के लोगों का बड़ा हित हुआ है और किसानों, गरीबों को राहत मिली है । मान्यवर, सहकारी आन्दोलन से गरीबों को ऋण देकर, खाद पानी, बीज, कीट नाशक दवाईयां, अच्छे औजार देकर हरित क्रांति का जो नारा लगाया गया है उसको सफल बनाने के लिये यह सहकारिता ऐक्ट महान अंग है जिससे किसानों और गरीबों का बड़ा हित हुआ है और इससे कोई भी इंकार नहीं कर सकता है ।

मान्यवर, जहां तक सहकारिता विभाग की बात है तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इसमें विशेष रुचि लेकर विभाग में कड़ाई करने की ओर ध्यान देने की जरूरत है । मान्यवर, अपने कोआपरेटिव के माध्यम से खाद का वितरण कराया है, उसमें मेरी जानकारी है कि सबसे ज्यादा खाद के वितरण का काम सहकारी समितियां करती हैं लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि सहकारी समितियों को सब को खाद इसलिए नहीं मिल पाती है कि उनकी संख्या अधिक है, उसके अनुपात से वितरण की व्यवस्था को लागू करते हैं लेकिन जो डिफाल्टर होते हैं उनको खाद नहीं दे पाते हैं, इसलिए वह खाद से, जो सहकारी समितियों के सदस्य होते हैं, वंचित हो जाते हैं । इसलिए उनको नकद दिलायें खाद या उनको छूट दे दें, नहीं तो जो सहकारी समितियों के जो सिपाही हैं और सही किसान हैं, उनको डिफाल्टर होने के नाते खाद नहीं मिल पायेगी ।

श्री विजय सिंह राना--

अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मुझे केवल महत्व की एक बात ही दिखाई पड़ती है कि टूडला तक पढ़े लिखों की फौज में एक प्रोफेसर को मंत्री बनने का सौभाग्य मिला है, इसलिए मैं प्रोफेसर साहब से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सहकारिता विभाग चला रहे हैं, सहकारिता विभाग चलाने के लिये कम से कम इसके सैद्धान्तिक पक्ष पर पर्यवेक्षण कर लिया जाय । मान्यवर, रूस और चीन जैसे देशों में सहकारिता के माध्यम से ही इतनी प्रगति की है कि आज वे प्रगति के चरन शिखर पर पहुंच गये हैं तो क्या कारण है कि आज हम सहकारिता के बावजूद भी पनप नहीं पाये हैं ? चाहे वो गौरव समिति हो या कोई हो सबने एक तरफ से कहा है कि हमारे यहां सहकारिता आन्दोलन सफल नहीं हुआ है । इस देश में सहकारिता के असफल होने के दो कारण थे एक और तो प्राइवेट प्रापर्टी के सेक्टर हैं और दूसरी ओर यह सहकारिता आन्दोलन में दावे के साथ कह सकता हूं कि जब तक प्राइवेट प्रापर्टी का सेक्टर मजबूत होता चला जायेगा, जो इस देश में मजबूत के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है तो सहकारिता यहां पर सफल नहीं हो सकती ।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ एक दूसरा कारण और भी है, वह है हमारी राजनैतिक स्थिति । हमारे सहकारिता संस्थान राजनीतिज्ञों के गोद में पनपने के कारण सफल नहीं हो पाये वह समाज के बीच पनपने ही नहीं पाये, जब कि आवश्यकता यह थी कि वह समाज में फैले, फूले और बढ़े, सहकारिता राजनीतिज्ञों के संरक्षण में पलती रही । इसके लिये वह बल प्राप्त कर सकी, अतः आवश्यकता इस बात की है कि सहकारिता आन्दोलन को आप

वह पृष्ठ-भूमि प्रदान कर दें कि समाज में, जहां वह पहले से विद्यमान थी गांव की जनता के बीच जहां वह पहले से विकसित थी, के साथ यह आज भी चलसके थी, उसके साथ ही साथ आप अपने सहकारिता आन्दोलन को समाज का पूरा सहयोग ले तो शायद इससे कुछ भला हो पाये । इन दोनों ही कारणों से हमारे देश की सहकारिता असफल रही है ।

हम अभी यह नहीं देख पाये कि यह दो कारण किस तरह से दूर करेंगे ? हमारे पास अफसरों की फौज पटी पड़ी है पर सहकारिता आन्दोलन सारा का सारा खत्म हो रहा है । यदि इसकी गहराई में जाकर सोचें या सोचने की कोशिश करें यह नहीं की कि जो सहकारिता जनता के हित के लिये शुरु की गयी थी, वह सारी की सारी असफल हो जाय ।

अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात सामने आयी । एक सिरे से भ्रष्टाचार का विरोध किया गया । यदि हम गौर करें तो सहकारिता में शायद भ्रष्टाचार के अलावा दूसरी चीज मिलेगी ही नहीं क्योंकि जो राजनैतिक संरक्षण में सहकारिता चल रही है, उसने उसको बढ़ाया है । हमने राजनैतिक कारणों से उसका सम्पोषण किया है जिला स्तर से लेकर प्रदेश में देश के स्तर तक । हमने हमेशा गलत चीजों को संरक्षण दिया है और हमेशा उसको बढ़ावा दिया है, उसको सही रास्ता दिखाने की कोशिश नहीं की है ।

अध्यक्ष महोदय, अभी एक उदाहरण दूं कि यहां पर हजरतगंज में एक राशनिंग आफिसर हैं श्री फूलचन्द जी, वह पहले यहां से सस्पेन्ड किये गये । उसके बाद राजनैतिक संरक्षण के कारण उस आदमी को फिर बहाल कर दिया गया और इतना ही नहीं बहाल करके फिर उसी जगह पर हजरतगंज में ही उस आदमी को उसी जगह रख दिया गया है । यह कहां की नीति है कि सस्पेन्ड आदमी को बहाल कर दिया जाय और यदि बहाल कर भी दिया गया तो पुनः उसी स्थान पर नियुक्त कर दिया जाय ।

मैं केवल दो ही बात कहने के लिये आपके सामने खड़ा हुआ था । आप बजट रखने के पहले कम से कम अपनी सारी मान्यताओं पर गौर कर लेते, उसकी सारी स्थिति का पर्यवेक्षण कर लेते जो स्थिति इस समय सहकारिता की चल रही है, तो अच्छा था । इसलिये हम एक रुपये के स्थान पर चवन्नी रखने का प्रस्ताव करते हैं ।

*श्री घनो राम वर्मा--

माननीय अध्यक्ष, महोदय, सहकारिता एवं खाद्य तथा रसद के बजट पर इस पक्ष के और उस पक्ष के 24 माननीय सदस्यों ने भाग लिया और मैंने सबको ध्यानपूर्वक सुना चाहे वे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों । दोनों विभागों में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार जो व्याप्त है उसकी चर्चा खुले रूप से की गयी ।

मान्यवर, हमारे भाई कैलाश जी यादव ने कहा कि संस्थागत सेवा मंडल के एक हरिजन सभापति को उच्च दर्जा देकर हटाया गया । वह तो उनका प्रमोशन है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री धनीराम वर्मा--]

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा और सत्यता यह है कि उन हरिजन अध्यक्ष को इसलिए हटाया गया जिससे विभाग में मनमाने तरीके से जातिवाद को बढ़ावा दे सकें। हरिजन अधिकारी को इसलिए नहीं रखा गया कि यदि हरिजन अधिकारी आयेगा तो निश्चित रूप से हरिजनों का कोटा पूरा करेगा, निर्बल वर्ग के लोगों को अधिक स्थान देगा इसलिए उन्होंने उस अधिकारी को हटाकर मनमाने ढंग से काम करने के लिए दूसरे अधिकारी को रखा।

अभी हमारे एक दूसरे सदस्य भाई ने बताया कि हरिजन अधिकारियों और हरिजनों को अनावश्यक रूप से सताया जा रहा है। उन्होंने अपने भाषण में सदन में सारी बात जो कही वह हरिजनों को सताये जाने से संबंधित थी। यह शासन, यह सत्ता पक्ष निश्चित रूप से हरिजनों की बढ़ोत्तरी, हरिजनों की खुशहाली नहीं देखना चाहती है, उनको दबाकर, उनका शोषण करना चाहती है।

अभी हमारे एक सदस्य भाई कुबेर जी ने यह बताया था कि, समय कम था इसलिए वे स्पष्ट नहीं कर सके थे, सहकारिता विभाग के एक अवर निबन्धक प्रशासक श्री ओ0 पी0 शर्मा इनके भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मान्यवर, इतनी अधिक चर्चा है कि वह बात गली कूचों में अब आ गई है। इसी हमारे प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के सगे बहनोई श्री सुन्दर लाल त्रिवेदी को जिन्होंने लाखों रुपया का गबन किया उनको बहाल किया। वह प्रदेश के हेडक्वार्टर्स में जाकर और प्रदेश के बड़े-बड़े होटलों में ठहरकर रंगरेलियां करता है। हमारे एक और अन्य सदस्य ने कहा था कि श्री शर्मा जी के सम्बन्ध में सरकारी कागज पर सरकार पक्ष के एक विधायक ने शिकायत लिखकर दी थी और आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। एक बात और कहना चाहता हूं और जैसा कि यादव जी ने कहा कि भूमि विकास बैंक से जो लोन मिलता है उस रुपया से घटिया किस्म के इंजन खरीदे गए। गाजियाबाद की एक ऐसी फर्म है जो जेनरेटर तैयार नहीं करती लेकिन उसे जेनरेटर खरीदने का आदेश दिया जाता है सहकारिता विभाग से जो दो लाख और सवा दो लाख रु0 में जेनरेटर मिलता है उसकी कीमत 2 लाख 80 हजार रुपया यह सहकारिता विभाग चुका रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार की जांच करावें और जो रुपया अधिकारियों की जेबों में चला जाता है उसको रोक थाम करवायें। हमारे कई माननीय सदस्यों ने ट्रान्सफर इन्ट्री और सत्यापन की बात कही। मान्यवर, जब से चैक सिस्टम हुआ यह निश्चित है कि ट्रान्सफर इन्ट्री कुछ रुकी लेकिन मैं आप के माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री महोदय से कहूंगा कि 30 जून के पहले सप्ताह में यानी 20 से 30 जून तक व्यापक पैमाने पर ट्रान्सफर इन्ट्री होती है। इसकी इनक्वायरी कराई जाय। उसमें रुपये का लेन देन नहीं होता है। एक नियम बनाया गया है कि एक सप्ताह में जो वसूली होगी जो काश्तकार सप्ताह के पहले पैसा जमा कर दे एक सप्ताह के अन्दर रुपया उसको वापस कर दिया जायगा। होता क्या है? समिति स्तर पर पैसा गलत तरीके से जमा कर लिया गया, कैश में आ गया उसके बाद जो बैंक शाखा के मैनेजर हैं, खजान्ची हैं, जितने कर्मचारी हैं वे भ्रष्टाचार करते हैं। मान लीजिये 30 तारीख लोनिंग करना है। 29 तारीख को पैसा जमा करा लिए। रुपया आ गया और ट्रान्सफर इन्ट्री कर दी।

इसी से जो शाखा के कर्मचारी हैं, सचिव हैं, वे व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मान्यवर, सत्यापन के सम्बन्ध में कहा गया। यह सही बात है कि लोनिंग वितरण में घोटाला हुआ, गलत लोनिंग हुई और निश्चित

तरीके से जो सत्यापन हुआ उसमें भी अनेक खामियां रह गयीं। मैं आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पुनः सत्यापन कर के और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वास्तव में लोनिंग नहीं ली और गलत तरीके से इन्ट्री कर दी उन्हें लोनिंग से मुक्त करायें। इसी से गरीब का हित हो सकता है।

मान्यवर, अभी इसी बीच में ग्रामीण गोदामों की बात कही गयी। मालूम नहीं किस दबाव में आ कर ग्रामीण गोदामों के निर्माण ऐसी जगह कराया गया जहां पर कोई आने जाने का साधन नहीं है। अपने क्षेत्र की बात आपको बताऊं। विधूना ब्लाक में जलालपुर सहकारी समिति है। वह सड़क से 3–4 मील दूर है। वहां पर समिति का भवन बनाने के लिए सामान ढोया गया। जिस ट्रैक्टर से सामान ढोया जा रहा था उसके उलटने से तीन आदमी जान से मरे। पता लगाइये। एक दफा नहीं मरे बल्कि एक, एक दफे और दूसरा, दूसरे दफे। दो दफे टक्कर हो गई। ऐसी जगह समिति का मुख्यालय नहीं बनाया जाना चाहिये। मेरा सुझाव है कि समिति का मुख्यालय पंचायत स्तर पर बने लेकिन साथ ही साथ वह सड़क के किनारे भी हो। हमारे जनपद में विधूना ब्लाक में ही एक न्याय पंचायत महू में है। महू अदालत पंचायत स्तर पर ग्रामीण गोदाम का निर्माण न कराये जाने का निर्णय लिया गया। कहा गया कि दूसरी न्याय पंचायत कैथावा से उसका सम्बन्ध रखा जाय। वहीं से सारी सामग्री मिलेगी। यह काम गलत है। जो सिद्धान्त बनाया गया है वह सिद्धान्त सभी स्थानों पर समान रूप से लागू होना चाहिये।

खाद वितरण की बात सहकारी समितियों के द्वारा और संघों के द्वारा कही गयी। जो खाद वितरण की गई उसमें घोटाला हुआ, यह बात सही है। आप किसी संघ की बात देखें। विधूना ब्लाक में जो खाद वितरण की गई वह बोरों में नहीं की गई। नये बोरों को लाकर उसमें पाइराइट और खाद को मिलाकर वितरण किया गया। जिससे खेत को कोई फायदा नहीं हुआ है। इसके बारे में आम शिकायत है। इसलिये इसकी भी आप जांच करें और दोषी अधिकारियों को निश्चित तौर पर सजा दें। ऐसा बहुत से सदस्यों का मत रहा है और मेरी भी यही धारणा है।

मैं खाद्य तथा रसद विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे सभी माननीय सदस्यों ने खाद्य तथा रसद विभाग के सम्बन्ध में बहुत व्यापक पैमाने पर जो भ्रष्टाचार हुये हैं और लगातार हो रहे हैं उनमें नियंत्रण करने के लिये आपसे मांग की गई है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने शकर, सीमेन्ट, मिट्टी के तेल, डीजल, खाद्य सामग्री आदि के वितरण में ठीक प्रणाली नहीं अपनाई उस पर नियंत्रण नहीं किया तो निश्चित रूप से आप बदनाम होंगे। इसके बारे में मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे निश्चित तौर पर सारी वितरण प्रणाली की देखरेख के लिये जन प्रतिनिधियों को निश्चित रूप से नियुक्त

[श्री धनी राम वर्मा--]

करें जो कि इस पर देखरेख रख सके और कोई अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार न कर सके ।

इन शब्दों के साथ में इस बात पर जोर देता हूं कि आज जो सहकारिता विभाग, खाद्य और रसद विभाग भ्रष्टाचार का केन्द्र बन गया है उसको किसी तरह से आप शुद्ध करें । इसी से जो आपकी अच्छी शोहरत बनी हुई है वह रह सकेगी नहीं तो निश्चित रूप से उस पर धब्बा लगेगा । साथ ही में यह भी निवेदन करना चाहता हूं और जैसा कि सब लोगों ने यह इच्छा व्यक्त की है कि सहकारिता विभाग का इलेक्शन जो भूमि विकास का है, या साधन सहकारी समितियों का है उनका निश्चित तौर पर समय पर करा लें नहीं तो 8 हजार से ज्यादा जो ये सहकारी समितियां हैं जिनकी अवधि तीन साल से ज्यादा होने जा रही है वे सरकारी देखरेख में आ जायेगी और उनसे निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा । इन शब्दों के साथ में चाहूंगा कि सम्मानित सदस्य मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और निश्चित रूप से इस भ्रष्ट विभाग को एक पैसा भी देने के लिये अपनी सहमति नहीं प्रकट करेंगे ।

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो बहुमूल्य सुझाव दिये हैं मैं उनके लिये उनको अपना आभार व्यक्त करता हूं । यह सही है कि हमारा विभाग दूध का धोया हुआ नहीं है और मैं इस बात की प्रतीक्षा करूंगा कि माननीय सदस्य भ्रष्टाचार की विशिष्ट शिकायतों और उनसे सम्बन्धित मुद्दों की ओर हमारा ध्यान समय-समय पर आकृष्ट करते रहेंगे । मान्यवर, मैं आपके द्वारा सम्मानित सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं किसी भी दबाव में नहीं हूं एवं निष्पक्ष और सख्त कार्यवाही भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए जो भावना आप लोगों ने व्यक्त की है, उससे भी अधिक मैं करूंगा । श्री ओ० पी० शर्मा जो अतिरिक्त निबन्धक हैं उनके बारे में निबन्धक ने स्वयं जांच की थी और उनके सम्बन्ध में जितनी शिकायतें हैं, उनके बारे में उन्होंने यह पाया कि वे निर्मूल और तथ्यहीन हैं । मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि इस विभाग में राजनीतिक दलों का भी समावेश हो रहा है और राजनीतिक दलों में कुछ ऐसे तत्व आ गये हैं कि जिसमें खाद्य तथा रसद विभाग एवं सहकारिता विभाग दलगत राजनीति के दलदल में फंसा हुआ है । इसलिए इन विभागों को उससे अलग रखने की कोशिश होनी चाहिये ।

माननीय वर्मा जी ने सूद के बारे में कहा । भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुतियों के अनुसार व्याज की दरों में वृद्धि का निर्देश प्राप्त हुआ था और उसी को दृष्टि में रखते हुये सूद की दरों में वृद्धि की गई । अल्पकालिक ऋण में छोटे किसानों को सूद की दर 11 से 12 परसेन्ट की गई । बड़े किसानों को 12 परसेन्ट से 14 परसेन्ट है और यह 1-4-81 से केवल उन्हीं सदस्यों पर लागू होगा जो अपने बकाया को समय से अदा नहीं करते । शेष में कोई वृद्धि नहीं की गयी है । सिंचाई के लिए मध्यकालीन ऋणों में 11 परसेन्ट के बजाय 10·5 परसेन्ट कर दिया गया है ।

माननीय सदस्यों ने श्री शुक्ला जी के बारे में प्रश्न उठाया था उन्होंने 25-10-78 को कार्यभार संभाला था इसलिये यह पुराना मामला है । वर्तमान शासन काल में उनकी नियुक्ति नहीं हुई । माननीय रमेश चन्द्र अग्रवाल ने

बहराइच बैंक के बारे में ध्यान आकर्षित किया वह मामला उच्च न्यायालय में है और सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना–पत्र पर आज विचार होगा। एफ0 स0 आई0 के द्वारा अनियमितताओं के बारे में जो कहा गया है उसी को ध्यान में रखते हुए पी0 सी0 एफ0 इस काम को करेगा।

इस वर्ष दीर्घ कालीन जो ऋण है उसका लक्ष्य 68 करोड़ था जिसमें से 15 फरवरी तक बैंक द्वारा 32·43 करोड़ रुपया वितरित किया जा चुका है। और 1981 के अंत तक बैंक द्वारा 45 करोड़ रु0 का दीर्घकालीन ऋण वितरित किया जायेगा।

बिजली के मोटरों की पर्चेज के बारे में जो शंका व्यक्त की गयी है उसके बारे में रिजर्व बैंक की सहमति से कृषकों को अच्छी मोटरें उपलब्ध कराने के लिये पी0 सी0 एफ0 के माध्यम से व्यवस्था की जा रही है। जो अच्छे किस्म के इंजन होंगे, कृषक जहां से चाहे क्रय कर सकता है जो कि आई0 एस0 आई0 मार्क होगा उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। क्योंकि हम यहां पर किसानों के लिए और निर्बल वर्ग के लिए हैं।

चीनी के दुकानों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जो नयी वितरण प्रणाली चालू हुई है, उसमें बहुत सी दुकानें अभी पुरानी ही हैं। हमने आदेश दिये हैं कि शादी और होली के अवसरों पर मुक्त रूप से बांटी जाय।

(व्यवधान)

समय कम है अगर आप अपना जवाब सुनना चाहते हैं तो हमें मत छेड़िये।

मान्यवर, यह कहा गया कि हरदोई बैंक डिफाल्टर है। आज की तारीख में वह डिफाल्टर नहीं है।

वर्ष 1979 में कुल 173 मामलों में भूमि नीलाम की गयी जिसमें से केवल 36 मामले हरिजनों के थे और इनमें से 10 हरिजनों की भूमि नीलामी के मामले निरस्त कर दिये गये।

जिला सहकारी बैंक गोरखपुर के श्री राम नरेश सिंह, क्लर्क की बात कही। श्री रामनरेश सिंह, निरीक्षक जो उसी बैंक में पहले अधिशासी अधिकारी थे सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं वह क्लर्क नहीं हैं।

सहकारिता विभाग में जो भ्रष्टाचार की बात कही गयी कि वह भ्रष्टाचार में लिप्त है तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरे विभाग की कुल 1,683 करोड़ रुपया की कारोबारी पूंजी लगी है। अगर उसमें भ्रष्टाचार के मामले हैं तो वह 0.05 परसेन्ट से अधिक नहीं है फिर भी मैं इसको नगण्य नहीं मानता और इसको दूर करने की चेष्टा हम करेंगे। मान्यवर, एक अप्रैल से देहाती क्षेत्र में सीमेंट का कोटा डी0 सी0 डी0 एफ0 अथवा जिले की किसी अन्य सहकारी संस्था द्वारा ब्लाक मुख्यालय में बांटा जाएगा। इसकी मैं घोषणा करता हूं, जैसी आपने हमसे अपील की है। अनुसूचित जाति के लोगों के लिये हमारी महत्वपूर्ण और लाभकारी

[श्री वासुदेव सिंह--]

योजनाएं इस प्रकार से हैं। भूमि विकास बैंक से ऋण लेते समय इनको जो अब तक ऋण का तीन प्रतिशत बैंक के हिस्से में जमा करना पड़ता है, अब यह धनराशि इनको ब्याज रहित ऋण के रूप में दिये जाने का निर्णय लिया गया है और राज्य सरकार ने इस कार्य हेतु भूमि विकास बैंक को 20 लाख रुपया उपलब्ध कराया है। इसी प्रकार सहकारी समितियों के हिस्से के लिए इनको ब्याज रहित ऋण दिया जायगा जिसके आधार पर वह कृषि कार्यों के लिए अल्पकालिक और मध्यकालिक ऋण भी प्राप्त कर सकेंगे। इसके सम्बन्ध में सरकार ने 5 लाख रुपया उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक को दे दिया है।...

(व्यवधान)

यह सरकार निर्बल और हरिजन लोगों के प्रति बहुत जागरूक है। हम गरीब से गरीब आदमी को भी परेशान नहीं देखना चाहते हैं। हम मोहन सिंह जी के शीशे में नहीं गरीब से गरीब के शीशे में देश का चेहरा देखते हैं। बैंकों के चुनाव का जहां तक सम्बन्ध है, उनके चुनाव यथाशीघ्र निष्पक्ष कराये जायेंगे और जहां-जहां चुनाव हो सकते हैं सम्पादित कराये जायेंगे। ऊदल जी ने जो एक बात कही है, अच्छी बात कही है जो उन्होंने किसान सेवा सहकारी समितियों के सचिवों के बारे में कही है। तो इस सम्बन्ध में नई किसान सेवा सहकारी समितियां अब तभी बनाई जाएंगी जब समिति का व्यवसाय कम से कम 9--10 लाख रुपये सालाना का होगा। इसके अलावा हम समितियों के सचिवों को वेतन के अतिरिक्त कमीशन देने पर भी विचार कर रहे हैं। हम यह घोषणा करते हैं कि उनको वेतन के अतिरिक्त कमीशन देने पर हम विचार करेंगे। मान्यवर, जनगणना का काम पूरा होने पर हम दो करोड़ नये राशनकार्डों का वितरण करायेंगे। इससे बोगस कार्ड खत्म किये जा सकेंगे। सहकारी समिति के जो सदस्य हैं, उनके लिए हमने यह नई व्यवस्था की है कि उनको पास बुक दी जाएगी, जिस पर उनका फोटो लगा रहेगा। मैं वचन नहीं देता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा उन्हें उनके फोटो के साथ उनका कार्ड दे दिया जाए। वर्तमान राष्ट्रीय नीति के अनुसार नगर क्षेत्र में प्राइमरी उपभोक्ता समितियों का निबन्धन बन्द हो गया है। राष्ट्रीय नीति के अनुसार कोआपरेटिव सेन्ट्रल स्टोर की शाखाएं खोलने को ही प्रोत्साहन दिया जायगा।

(व्यवधान)

बहुत-बहुत प्रश्न आपने उठाये हैं, उनके मैं जवाब दे रहा हूं। आप नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं मोटे तौर पर कहूंगा...

(व्यवधान)

अब राशनकार्ड पर भी सीमेन्ट मिलेगी। पिछली बाढ़ के समय बाढ़ से प्रभावित जनता को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश में तीन लाख टन गेहूं और 1.6 लाख टन चावल का वितरण किया गया है। इसमें से एक लाख टन चावल और दो लाख टन गेहूं सीधे बाढ़ग्रस्त जिलों में उठाया गया है।

फरवरी 1980 से अक्तूबर, 1980 तक 34,970 टन औसतन गेहूं प्रति माह दिया गया है और नवम्बर, 1980 से फरवरी, 1981 तक 23,202 टन गेहूं और 8000 टन आटा, इस प्रकार कुल 31,502 टन औसतन इस अवधि में बांटा गया है। इस प्रकार कुल औसत 7800 टन प्रति मास खाद्यान्न बांटे जाने का है। ग्रामीण गोदामों के बारे में भी हम जागरूक हैं। एफ० सी० आई० ने जो आपत्ति की है, उसका

अब सवाल नहीं उठता है, क्योंकि उस कार्य को अब एफ0 सी0 आई0 से ले लिया जाएगा। पी0 सी0 एफ0 द्वारा बिजली की मोटरों की आपूर्ति का कार्य रिजर्व बैंक व सरकार के कहने पर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य काश्तकारों को उचित मूल्य पर अच्छे और सही मोटर उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य यह भी है कि पर्याप्त मात्रा में मोटर सब जिलों में उपलब्ध हों।

अभी एक बुन्देलखंड के माननीय सदस्य ने कहा था कि वहां पर गेहूं का कोटा कम है। यद्यपि प्रदेश के अन्य भागों में गेहूं का कोटा कम किया गया है, बुन्देलखंड में कमी नहीं की गयी है।

झांसी शहर के कुछ भाग को नगरपालिका के क्षेत्र में शामिल करने की प्रार्थना को मन्जूर कर दिया गया है और आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जनपद देवरिया में सहकारी समितियों द्वारा संचालित 477 दूकानों के माध्यम से 11.34 लाख रुपये मूल्य की चीनी खाद्यान्न एवं मिट्टी के तेल का वितरण किया जा चुका है। इसे माननीय सदस्य समझ लें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 7.57 करोड़ रुपये की लागत का एक सोयाबीन कारखाना हल्द्वानी में कायम किया जा रहा है। इसके लिए योरोपियन इकोनामिक कम्युनिटी ने सहायता देने की सहमति प्रदान की है।

दूसरे 1 अप्रैल, 1981 से चीनी मिलों से चीनी क्रय करके जिला मुख्यालय तक पहुंचाने का कार्य उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन द्वारा किया जायेगा। यह कार्य इस समय भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य के लिए सभी व्यवस्था पूरी कर ली गयी हैं।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक ने जनपद मैनपुरी में एक ग्रामीण बैंक की स्थापना की है। देश के सहकारिता इतिहास में यह पहला उदाहरण है। यह बैंक मुख्यतः लघु एवं सीमांत कृषकों, लघु उद्योगों, छोटे-छोटे दस्तकारों आदि को ऋण उपलब्ध करायेगा।

1 अप्रैल, 1981 से सीमेन्ट का वितरण जिला स्तरीय सहकारी संस्थाओं सीमेन्ट को दिया जायगा। ये संस्थायें उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन के तत्वावधान में वितरण का कार्य करेगी :

सहकारी समितियों के अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए निम्नलिखित सुविधायें दी गयी हैं :--

(क) भूमि विकास बैंक में इस वर्ष के सदस्यों को ऋण का 3 प्रतिशत हिस्से के रूप में जमा करना पड़ता है। राज्य सरकार ने 20 लाख रु0 का प्राविधान ऋण देने के लिए किया है।

(ख) लघु सिंचाई कार्यों के लिए सहकारी समितियों, निर्बल वर्ग के सदस्यों को 11 प्रतिशत के बजाय 10.5 प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण प्रदान करेगी।

(ग) विश्व बैंक की सहायता से 5 वर्षों में 150 सहकारी शीतगृह लगाने की योजना है जिसकी कुल लागत लगभग 67 करोड़ होगी।

[श्री वासुदेव सिंह--]

जहां तक नव निर्मित मकानों पर किराया नियंत्रण अधिनियम 10 वर्ष तक लागू नहीं होता है। यह अवधि 20 वर्ष तक बढ़ायी जा रही है। यदि मकान मालिक स्वयं के प्रयोग के लिए मकान खाली कराना चाहे तो यह कार्य सरसरी तौर से पूरा कराने के लिए अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। इसके लिए मकान मालिक का बयान पर्याप्त होगा। परन्तु यदि इसके पश्चात् मकान मालिक स्वयं मकान में निवास नहीं करते या उसे एक सीमित अवधि के अन्दर बेचने का प्रयास करते हैं तो इसमें उन्हें सजा भी हो सकती है।

सैन्य सेवा के अवकाश प्राप्त अधिकारी एवं जवानों के मकान यदि किराया नियंत्रण अधिनियम में हों तो ऐसे अधिकारियों या जवानों की मांग पर मकान तत्काल उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है। यही सुविधा अवकाश प्राप्त राज्य कर्मचारियों को भी दी जायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दो बातें माननीय ऊदल जी ने उठाई हैं। समाजवाद की चर्चा उन्होंने की है। बहुत अच्छा सुझाव उन्होंने दिये हैं। मैं समझता हूं कि उनका समाजवाद, हमारे समाजवाद से बहुत नजदीक आ रहा है और जो कम्युनिज्म का सिद्धान्त है, पुराने ढंग में, पुराने परिपेक्ष में, अब वह अप्रासांगिक हो रहा है उसे समाजवादी ढंग से लाने की चेष्ठी हो रही है। लोकतांत्रिक परिपेक्ष्य में आम चर्चा है, मैं समझता हूं कि समाजवाद की बात जो उन्होंने की है, उस समाजवाद के ढर्रे पर जवाहर लाल जी के नेतृत्व को लेकर अब यह आ गया। मैं माननीय मोहन सिंह और उनके सरीखे लोगों के कहूंगा कि आकर्षण रहित सिद्धान्त और आकर्षण विहीन सिद्धान्त एक ही होते हैं, अगर इसमें हमारे बन्धु इधर-उधर भटके हुए हैं, तो यह उनमें स्वयं की कमी है। कांग्रेस दल समाजवादी विश्वासों, आस्थाओं का वस्तु स्थल बनाकर देश में क्रांति से मार्गों पर तैयार है। अगर आप चाहते हैं इस देश के इतिहास में समाजवाद सुदृढ़ हो, तो आप कांग्रेस का अनुकरण करें और अपना सहयोग दें। जो बात समाजवाद की माननीय यदुनाथ सिंह जी ने कही, अब वह समाजवाद वहां से हटकर गरीब और निर्बल वर्ग में आ रहा है। वैसे आमतौर पर अगर माननीय सदस्यों के अवचेतन का विश्लेषण किया जाय, तो सभी हृदय से मेरे इस बजट का, मेरे द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का हृदय से समर्थन करते हुए प्रतीत हुए। मैं यह समझता हूं कि यह ईमानदारी और कल्याणकारिता और उदारता का तकाजा है कि आदान-प्रदान की इस प्रक्रिया और उसकी परिधि को हमें बढ़ाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहूंगा कि कटौती के प्रस्ताव के रखने वाले माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री त्रिवेजी--

मान्यवर, इन्हें अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेना चाहिए।

श्री धनी राम वर्मा--

मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे कृपया शान्त रहें। अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

अनुदान संख्या 49--सहकारिता, अनुदान संख्या 58--खाद्य तथा रसद, अनुदान संख्या 86--सहकारिता विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 98--खाद्य तथा रसद विभाग-पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 121--सहकारिता विभाग--ऋण और अग्रिम

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49--सहकारिता विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49--सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,42,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58--खाद्य तथा रसद विभाग-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58--खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,36,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 86--सहकारिता विभाग-पूंजीगत परिव्यय-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 86--सहकारिता विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,04,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 98--खाद्य तथा रसद विभाग--पूंजीगत परिव्यय-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 98--खाद्य तथा रसद विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,11,20,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 121--सहकारिता विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 121--सहकारिता विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,10,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 2-3-81 को नियम 51 के अन्तर्गत 11 सूचनाएं प्राप्त हुयी थीं, जिसमें से 4 सूचनाएं, जिनको स्वीकार किया है, वह सर्वश्री मोहन सिंह, मित्रसेन यादव, कुबेर भण्डारी, हरिवंश सहाय एवं श्री नन्द किशोर सिंह जी की है, जो 28 फरवरी, 1981 की रात बस्ती जिले के महौली थाना में ग्राम महाखेरा में डाकुओं के एक गिरोह द्वारा लगभग दो लाख रुपये की लूट, आगजनी एवं गोली चलाने से दो व्यक्तियों के मरने एवं चार लोगों के घायल होने से जनता में भय एवं आक्रोश होने के बारे में है। इसको वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है । शेष सभी सूचनाएं अस्वीकार हुयीं ।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे पूर्वाह्न बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ
2 मार्च, 1981

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

पी0एस0 यू0 पी0--35 वि0 सभा--19-8-1982--835 (पी0 डी0) ।